11

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

कोयला मंत्रालय

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(2021-22)

ग्यारहवां प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

CPU No. 1026

ग्यारहवां प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

कोयला मंत्रालय

[सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

04 फरवरी, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
04 फरवरी, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फरवरी, 2022/ माघ,1943 (शक)

सीपीयू सं1026.

मूल्यः रुपये.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (..... संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली-11002 द्वारा मुद्रित

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		(v)
प्राक्कथन		(vi)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	1-17
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....	18-72
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	73-77
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है.....	78-81
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं ।.....	82

अनुबंध

एक	दिनांक 22 अप्रैल 2020 का का.ज्ञा.सं. 11028/1/2019-पीसीए (भाग-I)	83
दो	दिनांक 26 अगस्त 2020 का का.ज्ञा.सं.11028/1/2019-पीसीए (भाग-I)	84-85
तीन	कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वासन और पुनर्स्थापन नीति, 2012	86-97
चार	वार्षिकी योजना, सीआईआई, 2020 (भूमि के बदले प्रत्यक्ष रोजगार अथवा एकबारगी आर्थिक मुआवजा के स्थान पर)	98-109
पांच	केन्द्रीय सतर्कता आयोग परिपत्र सं. 12/09/2020, दिनांक 24 सितंबर, 2020	110

परिशिष्ट

एक	समिति की 21 दिसम्बर, 2021 को हुई उन्नीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	111-112
दो	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	113

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना

श्री संतोष कुमार गंगवार - *सभापति*

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि
6. श्रीमती पूनमबेन माडम
7. श्री अर्जुन लाल मीणा
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
17. श्री अनिल देसाई
18. श्री सैय्यद नासिर हुसैन
19. श्री ओम प्रकाश माथुर
20. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
21. श्री के.सी. रामामूर्ति
22. श्री एम.शनमुगम

सचिवालय

1. श्री आर.सी.तिवारी - अपर सचिव
2. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा - निदेशक
3. श्री जी. सी. प्रसाद - अपर निदेशक
4. श्री अरित्र दास - समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)' के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोकसभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित यह ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. दूसरा प्रतिवेदन 29 जनवरी, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 33 सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर कोयला मंत्रालय से 18 जुलाई, 2021 को प्राप्त हो गए थे।

3. समिति (2021-22) ने 21 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। बैठक के कार्यवाही सारांश परिशिष्ट-एक पर दिए गए हैं।

4. दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो पर दिया गया है।

नई दिल्ली **संतोष कुमार गंगवार**
24 जनवरी, 2022 **सभापति**
04 माघ, 1943 (शक) **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति**

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

समिति का यह प्रतिवेदन "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड" विषय पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा), जिसे 29 जनवरी, 2021 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है। इसमें 33 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

2. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 33 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (अध्याय दो)

क्रम सं. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 15.1, 16.1, 16.2, 18.1, 19.1, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 21.3 और 21.4
(कुल 27)

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है। (अध्याय तीन)

क्रम सं. 10.2, 14.1 और 17.1 (कुल 3)

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है। (अध्याय-चार)

क्रम सं. 2.3, 2.4 और 10.3 (कुल 3)

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं और अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं । (अध्याय पांच)

क्रम सं. शून्य (कुल 0)

3. समिति चाहती है कि कोयला मंत्रालय इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण/उत्तर प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त समिति यह भी चाहती है कि उन टिप्पणियों/सिफारिशों जिन पर

सरकार ने अपूर्ण उत्तर/सूचना दी है, के संबंध में अंतिम और व्यापक की गई कार्रवाई टिप्पण/उत्तर भी तीन माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएं ।

4. समिति अब अनुवर्ती पैराओं में कुछेक टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

सिफारिश (क्रम संख्या 2.1)

5 समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में सीसीएल के बोर्ड में रिक्तियों को भरने के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की थी :-

> "समिति ने यह देखा कि कंपनी के निदेशक मंडल के 12 स्वीकृत पदों में से कार्यात्मक निदेशकों में से निदेशक (कार्मिक) का एक पद और गैर-सरकारी निदेशक की श्रेणी में एक पद रिक्त है। समिति यह भी नोट करती है कि कंपनी के निदेशक मंडल में 'महिला निदेशक' का प्रतिनिधित्व नहीं है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंध के अनुरूप नहीं है। इस तथ्य के बावजूद ऐसा हो रहा है कि कंपनी के सचिवालयीय लेखाकार विगत कई वर्षों से अपने प्रतिवेदनों में लगातार यह टिप्पणी करते रहे हैं। इस प्रकार समिति को सीसीएल के निदेशक मंडल में महिला निदेशक नियुक्त नहीं करने का कोई तार्किक कारण नजर नहीं आता। अत: समिति चाहती है कि उसे कंपनी अधिनियम, 2013 में निदेशक मंडल में महिला निदेशक नियुक्त करने का स्पष्ट अनुबंध होने और विगत कई वर्षों से लेखा संपरीक्षकों द्वारा इसे दोहराए जाने के बावजूद निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं किए जाने के सही कारणों के बारे में अवगत कराया जाए। समिति यह भी पुरजोर सिफारश करती है कि निदेशक मंडल में सभी नियुक्तियां तुरंत भरी जाएं और 'महिला निदेशक' की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम के उपबंध का बिना और देर किए अनुपालन किया जाए।"

6. मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"आज की तारीख में बोर्ड ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में स्वतंत्र निदेशकों के 5 स्वीकृत पद हैं जिसमें से 4 पद भरे हुए हैं। सीसीएल के बोर्ड में नियुक्त 4 स्वतंत्र निदेशकों में से एक श्रीमती जाजुला गोवरी, अधिवक्ता हैं, जिन्हें 10-07.2019 को 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और इस प्रकार

यह सीसीएल बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति के मानदंडों को पूरा करता है। जहां तक निदेशक (कार्मिक) और स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पद का संबंध है, सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) का पद 01.01.2020 से श्री आर.एस. महापात्रो के बाद से रिक्त है। उक्त पद की सूचना 01.01.2020 को ही लोक उद्यम बोर्ड को दे दी गई है। पीईएसबी ने 27.01.2020 को इस पद के लिए विज्ञापन भी दे दिया है। हालांकि, उक्त पद के लिए चयन बैठक अभी तक पीईएसबी द्वारा आयोजित नहीं की गई है। कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों के लिए लंबित चयन बैठकों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के लिए पीईएसबी के नवनियुक्त अध्यक्ष के साथ भी इस मामले को उठाया है। स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पद के लिए कोयला मंत्रालय स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पदों को भरने के लिए लोक उद्यम विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को लगातार अनुस्मरण भेज रहा है।"

7. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के बोर्ड में सभी रिक्तियों को तुरंत भरने की पुरजोर सिफारिश की थी। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर से, समिति ने पाया कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के बोर्ड में निदेशक (कार्मिक) का एक पद 01 जनवरी 2020 से रिक्त है। सीसीएल ने लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) को रिक्ति की सूचना उसी दिन दे दी थी। आश्चर्य की बात यह है कि कोयला मंत्रालय द्वारा इस मामले को पीईएसबी के अध्यक्ष के समक्ष उठाने के बावजूद पद के लिए चयन बैठक डेढ़ साल से अधिक के अंतराल के बाद भी आयोजित की जानी बाकी है। इसी प्रकार, लोक उद्यम विभाग और डीओपीटी को लगातार स्मरण पत्र भेजने के बावजूद, स्वतंत्र निदेशक का पद अभी भरा जाना बाकी है। समिति को इतनी लंबी अवधि के लिए एक महत्वपूर्ण पद को न भरने के लिए कोई व्यावहारिक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, विशेषकर तब जबकि निदेशकों का कार्यकाल पहले से ही पता होता है। ऐसे में कोयला मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पीईएसबी और डीओपीटी को इस पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी ताकि नए पदधारी पदों के खाली होने के तुरंत बाद कार्यभार ग्रहण कर सकें। इसलिए, समिति की दृढ़ इच्छा है कि डीपीई, पीएसईबी और डीओपीटी द्वारा तुरंत सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि सीसीएल के बोर्ड में रिक्त पद, जो लंबे समय से रिक्त हैं, बिना और समय गंवाए तुरंत भरे जा सकें।

सिफारिश (क्रम संख्या 2.2)

8. सीसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में निम्नानुसार सिफारिश की थी:-

"समिति ने यह पाया कि नियंत्रक कंपनी अर्थात सी.आई.एल के मंडल से कोई भी स्वतंत्र निदेशक सहायक कंपनी अर्थात सी.सी.एल में निदेशक नहीं है जो कि कॉर्पोरेट शासन संबंधी डी.पी.ई दिशानिर्देशों के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता है। एक प्रश्न कि नियंत्रक कंपनी अर्थात सी.आई.एल. का कोई भी स्वतंत्र निदेशक सहायक कंपनी अर्थात सी.सी.एल में निदेशक क्यों नहीं है, के उत्तर में कंपनी ने बताया कि सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंशग) बाध्य ताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 24 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक भारत में निगमित गैर-सूचीबद्ध महत्व पूर्ण (मैटीरियल) सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होगा। विनियम में महत्वतपूर्ण (मैटीरियल) सहायक कंपनी को उस कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी आय अथवा निवल मूल्य इससे तुरंत पिछले लेखांकन वर्ष में कंपनी अथवा सहायक कंपनी की संचित आय अथवा निवल मूल्य से 10% अधिक हो । सीसीएल के प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि चूंकि सीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की भौतिक सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए सीसीएल के निदेशक मंडल में सीआईएल (नियंत्रण कंपनी) का कोई भी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंमग) बाध्यकताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 24 के बीच विरोधाभास है। अतः समिति इच्छा व्यक्त करती है कि कोयला मंत्रालय स्पष्ट करे कि क्या इस संबंध में डी.पी.ई दिशानिर्देश लागू होंगे या नहीं। समिति यह भी जानना चाहती है कि क्या सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंंाग) बाध्य ताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ने इस मामले में सरकारी उपक्रमों हेतु बनाए गए दिशानिर्देशों का अधिक्रमण किया है और साथ ही समिति यह भी जानना चाहती है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होने वाली कंपनियों पर एस.ई.बी.आई के विनियम लागू होंगे या नहीं।"

9. मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के ऑडिटेड वित्तीय विवरण के अनुसार, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) सीआईएल की मैटेरियल सब्सिडियरी है और सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यलताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की धारा 24 सीसीएल पर लागू होगी और सीआईएल के बोर्ड से एक स्वतंत्र निदेशक को सीसीएल के बोर्ड में नियुक्त किया जाना है।हालांकि, वर्तमान में सीआईएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक मौजूद नहीं है।इस प्रकार, जब भी सीआईएल के बोर्ड में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाती है, तो उसे सीसीएल के बोर्ड में भी नियुक्त किया जाएगा ताकि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की धारा 24 का अनुपालन किया जा सके।सीआईएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का मुद्दा डीओपीटी और डीपीई के साथ उठाया गया है।"

10. समिति नोट करती है कि होल्डिंग कंपनी यानी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का कोई भी स्वतंत्र निदेशक अनुषंगी कंपनी अर्थात सीसीएल में निदेशक नहीं है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य आवश्यकता है। सीसीएल ने विषय की जांच के दौरान समिति के प्रश्न के लिखित उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा था कि चूंकि यह सीआईएल की एक महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी नहीं थी, और इसलिए, सीसीएल के बोर्ड में सीआईएल से किसी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। मंत्रालय ने समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई उत्तर में अब सूचित किया है कि वर्ष 2020-21 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) सीआईएल की एक महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी है और सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की धारा 24 सीसीएल पर लागू होगी और सीआईएल के बोर्ड से एक स्वतंत्र निदेशक को सीसीएल के बोर्ड में नियुक्त किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे बताया है कि वर्तमान में, सीआईएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है और इसलिए जब कभी भी सीआईएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है, तो उसे एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम,

2015 की धारा 24 का अनुपालन करने के लिए सीसीएल के बोर्ड में भी नियुक्त किया जाएगा। समिति विषय की जांच के दौरान समिति को जानकारी प्रदान करने के लापरवाहीपूर्ण तरीके पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है। समिति को ऐसा प्रतीत होता है कि न तो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और न ही होल्डिंग कंपनी यानी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को कंपनी की स्थिति के बारे में पता था और इसके परिणामस्वरूप, सीआईएल के बोर्ड से सीसीएल के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वित्त वर्ष 2020-21 से पहले सीसीएल, सीआईएल की महत्वपूर्ण सहायक कंपनी थी या नहीं, इस पर मंत्रालय सहित उनमें से किसी के पास कोई स्पष्टता नहीं थी। इसलिए समिति, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और सीसीएल को संसदीय समितियों को सूचना प्रस्तुत करते समय भविष्य में अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए सचेत करती है। समिति एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम, 2015 की धारा 24 के तहत आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीसीएल के बोर्ड में सीआईएल के एक स्वतंत्र निदेशक की तत्काल नियुक्ति करने की भी सिफारिश करती है।

सिफारिश (क्रम संख्या 2.3 और 2.4)

11. समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन के पैरा 2.3 में सीसीएल के बोर्ड में स्थायी आमंत्रित गणों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

> "समिति नोट करती है कि सीसीएल के निदेशक मंडल में दो 'स्थाई आमंत्रित गण' हैं जिनमें से एक पूर्वी रेलवे के मुख्य प्रचालन प्रबंधक और दूसरे झारखंड सरकार के प्रधान सचिव (खान और भू- गर्भ विज्ञान) हैं। सचिवालयीय संपरीक्षक ने यह टिप्पणी की है कि निदेशक मंडल की बैठकों में 'स्थाई आमंत्रितगणों' की उपस्थिति बहुत कम रहती है। इस मुद्दे पर कोयला मंत्रालय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि 'स्थाई आमंत्रितगण' केवल राज्य सरकारों के साथ विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, वन-अनापत्तिो संबंधी मामलों, और कभी-कभार औद्योगिक संबंधों की समस्याओं से संबंधित कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दों इत्याोदि के संबंध में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। यदि ऐसा है तो समिति यह नहीं समझ पा रही है कि 'स्थाई आमंत्रितगणों' को निदेशक मंडल की सभी बैठकों में क्योंर

उपस्थित होना चाहिए जहां बैठकों की कार्यसूची 'गोपनीय' अथवा वाणिज्यिक रणनीतियों, व्यवसाय प्रचालनों इत्यादि जैसे विषयों पर हो सकती है, जिनमें 'स्थाई आमंत्रितगणों' की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। समिति इस बात से भी अवगत होना चाहती है कि क्या निदेशक मंडल में 'स्थाई आमंत्रितगण' का प्रावधान डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप है अथवा यह कंपनी का स्वतंत्र निर्णय है। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निदेशक मंडल की सभी बैठकों में स्थाई आमंत्रित गणों की उपस्थिति संभवत: बहुत जरूरी नहीं होती है, समिति सिफारिश करती है कि उन बैठकों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं जिनमें ''स्थाई आमंत्रितगणों '' की उपस्थिति आवश्यक होती है। दिशानिर्देशों में उनको दिए जाने वाले पारिश्रमिक, उनकी पदावधि, उनकी शक्तियां, उत्तरदायित्व, उनके विचारणीय विषयों इत्यादि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।"

12. मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया: -

"सीसीएल/कोयला कंपनियों के बोर्ड में स्थायी आमंत्रितगणों को इन बोर्डों में निदेशक के रूप में नहीं माना जाता है और उनके पास मताधिकार नहीं होता है और बोर्ड की बैठक में कोरम के उद्देश्य से उनकी गिनती नहीं की जाती है ।साथ ही सीसीएल की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्यों को किसी पारिश्रमिक/प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है।जहां तक स्थायी आमंत्रितगणों द्वारा भाग लेने की आवश्यकता वाली बैठकों की प्रकृति को निर्दिष्ट करने वाले दिशा-निर्देश तैयार करने का संबंध है, बोर्ड के अन्य निदेशकों की तरह स्थायी आमंत्रितगण बोर्ड को प्रत्येक प्रस्ताव पर उचित निर्णय लेने में मदद करते हैं और वे बोर्ड का अभिन्न हिस्सा हैं । ऐसे में उन्हें बोर्ड की हर बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।"

13. सीसीएल के बोर्ड में स्थायी आमंत्रितगणों की नियुक्ति के संबंध में, समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन के पैरा 2.4 में भी निम्नानुसार सिफारिश की थी: -

"समिति को इस विषय में भी आशंका है कि क्या 'स्थाई आमंत्रितगणों' के माध्यम से जनसंपर्कता का कोई प्रयोजन भी सिद्ध हुआ है विशेष रूप से

तब जब सीसीएल ने स्वयं ही यह कहा हो कि पर्यावरणीय और वानिकी स्वीकृतियों, स्वामित्व का अंतरण इत्यादि के अभाव में उनकी प्रमुख परियोजनाएं कई वर्षों से बुरी तरह से अटकी पड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए परियोजनाएं, अर्थात, मगध ओ.सी, आम्रपाली ओ.सी, कोनार ओ.सी जो वर्ष 2006 में ही चालू हो जानी चाहिए थी, वे वस्तुत:आठ/नौ वर्षों के विलंब के साथ वर्ष 2014-15 में शुरू हुईं। इसी प्रकार चंद्रगुप्त ओ.सी.पी, संघमित्रा ओ.सी.पी, कोटरेबसंतपुर पंचमो ओ.सी.पी. इत्यादि परियोजनाओं में मुख्यतः पर्यावरणीय और वन संबंधी स्वीकृतियों के अभाव में विलंब हो रहा है। अतः समिति इस बात से चिंतित है कि स्वीकृतियां प्राप्त करने, भूमि अधिग्रहणों, औद्योगिक संबंधों, कानून एवं व्यवस्था, पुनर्स्थापन इत्यादि में आने वाली बाधाओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने में 'स्थाई आमंत्रितगण' कितने कारगर सिद्ध हुए हैं। अत: समिति की यह सुविचारित राय है कि विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों को शीघ्रता से दिलाने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के कार्य पर सार्थक प्रभाव डालने में 'स्थाई आमंत्रितगणों' की भूमिका और अधिक कारगर होनी चाहिए और इसलिए समिति सिफारिश करती है कि निदेशक मंडल में नियुक्त किए जाने वाले 'स्थाई आमंत्रितगणों' का प्रभावी और लाभकारी ढंग से उपयोग करने के लिए मंत्रालय एक उपयुक्त तंत्र विकसित करे।"

14. मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

"नई परियोजनाओं को चालू करने और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार तथा उत्पादन और प्रेषण को बनाए रखने के लिए सीसीएल को राज्य सरकार और रेलवे के साथ गहन संपर्क में रहना होगा। इस प्रकार, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति मामलों, यदा-कदा औद्योगिक संबंधों की समस्याओं से संबंधित कानून और व्यवस्था के मुद्दों, रेलवे मुद्दों के संबंध में राज्य सरकारों के साथ सूक्ष्म संपर्क बनाए रखने के लिए स्थायी आमंत्रितगण रखना वांछनीय है ।"

15. समिति ने उन बैठकों की प्रकृति को निर्दिष्ट करने वाले दिशा-निर्देशों को लाने की सिफारिश की थी जिनमें स्थायी आमंत्रितगणों को भाग लेने की आवश्यकता होती है। यह भी वांछित था कि स्थायी आमंत्रितगणों के पारिश्रमिक, कार्यकाल, शक्तियों, जिम्मेदारियों आदि को भी दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया जाए । हालांकि, समिति ने पाया है कि कोयला मंत्रालय वांछित दिशा-निर्देशों को लाने के मुद्दे पर मौन रहा है। कोयला मंत्रालय और सीसीएल ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि बोर्ड में 'स्थायी आमंत्रितगणों' का प्रावधान डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार है या यह कंपनी का एक स्वतंत्र निर्णय है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 'स्थायी आमंत्रितगणों' को निदेशक नहीं माना जाता है और उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है और बोर्ड की बैठकों में कोरम के उद्देश्य से उनकी गणना नहीं की जाती है। वे केवल राज्य सरकारों के साथ विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी मामलों, औद्योगिक संबंधों से जुड़ी समस्याओं से संबंधित कानून और व्यवस्था के मुद्दों, रेल मुद्दों आदि के संबंध में सूक्ष्म संपर्क बनाए रखने के लिए होते हैं। हालांकि समिति ने अपनी मूल सिफारिश में पाया था कि 'स्थायी आमंत्रितगणों' ने संपर्क के प्रयोजन की पूर्ति नहीं की है क्योंकि सीसीएल ने स्वयं कहा था कि उनकी कई प्रमुख परियोजनाएं पर्यावरण और वन मंजूरी, स्वामित्व के हस्तांतरण आदि के अभाव में कई वर्षों तक लंबित रही हैं । समिति ने उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने और सीसीएल के बोर्ड में नामित 'स्थायी आमंत्रितगणों' का प्रभावी और लाभकारी उपयोग करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने पर जोर दिया था। तथापि, मंत्रालय ने उत्तर प्रस्तुत करते समय इनमें से किसी भी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है और अपेक्षित दिशानिर्देश नहीं बनाने का कोई कारण नहीं बताया है, जैसा कि इस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। समिति की ऐसी महत्वपूर्ण सिफारिशों के प्रति मंत्रालय के उदासीन रवैये से समिति प्रसन्न नहीं है। समिति अपनी सिफारिश को दृढ़ता से दोहराती है और चाहती है कि कोयला मंत्रालय कम से कम अब वांछित दिशा-निर्देश जारी करे और समिति को यथाशीघ्र एक व्यापक उत्तर प्रस्तुत करे।

सिफारिश (क्रम संख्या 7.2)

16 . समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में धोवनशालाओं के कार्य निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित टिपण्णी और सिफारिश की थी:-

"समिति यह भी नोट करती है कि सीसीएल बिल्ड ओन एंड ऑपरेट (बीओओ) संकल्पना के आधार पर 7 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम टी वाई) की क्षमता वाले 2 कोकिंग कोल धोवनशालाओं और 8 एम टी वाई क्षमता के 3 नॉन कोकिंग कोल धोवनशालाओं को लगाने की प्रक्रिया में है। समिति को सूचित किया गया है कि नई कोकिंग कोल धोवनशालाओं के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा पुरानी कोकिंग कोल धोवनशालाओं को बदलने के पश्चात सीसीएल 14-15% राख की मात्रा के साथ वाश्ड कोकिंग कोल उत्पादन की योजना बना रहा है जो इस्पात उत्पादन में प्रयोग होता है। चूंकि कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता का घरेलू उत्पादन इस्पात क्षेत्र की मांग से कम है अत: 14-15% राख की मात्रा के कोकिंग कोल का आयात किया जाता रहा है। आयातित कोयले की मात्रा 2018-19 में 52 एमटी थी। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2018-19 के दौरान कोकिंग कोल धोवनशालाओं में 122.82 करोड़ रूपए की हानि हुई और साथ ही अप्रैल 2018 से जुलाई 2018 तक वाश्ड मिडियम कोकिंग कोल की कोई मांग नहीं थी, समिति यह समझने में असमर्थ है कि ऐसा किस प्रकार हुआ कि एक तरफ देश प्रचुर मात्रा में वाश्ड कोकिंग कोल का आयात कर रहा है और दूसरी ओर उसकी विदेशी मांग में कमी आ रही है। अत: समिति चाहती है कि सीसीएल इस अजीब स्थिति का पूरा विश्लेषण करे और वाश्ड कोकिंग कोल की वास्तविक मांग और संभावित उपभोक्ताओं का वास्तविक मूल्यांकन करे ताकि कोयला धोवनशालाओं की संस्थापित क्षमता का इष्टतम उपयोग हो सके और नई कोयला धोवनशालाओं में निवेश के बेहतर लाभ मिल सके। समिति का यह मत है कि इन परियोजनाओं के वांछित मात्रा में कोयले के आयात निर्भरता को कम करने में बड़ी भूमिका है और अत: यह सिफारिश करती है कि इन कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल धोवनशालाओं को संचालित करने और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र इष्टतम क्षमता उपयोग

के साथ चलाने की आवश्यकता है। समिति का यह मत है कि विदेशी कोयला कंपनियों द्वारा कोयले के घरेलू उत्पादन और विद्युत कंपनियों द्वारा उनका तापीय ऊर्जा उत्पादन में उपयोग न केवल बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित करते हैं, जीडीपी में योगदान करते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अत: समिति यह महसूस करती है कि कोयले के आयात के विनियमन में इस प्रकार नीतिगत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है कि हमारे कोयले के भंडार का इष्टतम उपयोग हो सके और कोयले का घरेलू उत्पादन भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो सके और साथ ही तापीय ऊर्जा और इस्पात के उत्पादों का मूल्य आयातित कोयले के उपयोग के कारण न बढ़े। समिति यह आशा करती है कि सरकार इस संबंध में शीघ्र पहल करेगी।"

17 मंत्रालय ने अपने की गई कार्यवाही उत्तर में निम्नवत बताया-:

" कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियां और बंदरगाह के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। यह समिति प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ एक बड़े मंच पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करती है ताकि कोयले के आयात को समाप्त करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्र के कोयला उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जा सके। आईएमसी की अब तक नौ बैठकें हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देश पर कोयला मंत्रालय द्वारा आयात डाटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात पर नज़र रख सकें।

घरेलू कोयले की खपत में वृद्धि की दिशा में एक प्रमुख प्रयास के रूप में, उन मामलों, जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (गैर-तटीय) के 90% तक कम कर दिया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्र) के 70% तक कम कर दिया था, में विद्युत संयंत्रों की वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे 79 गैर-

तटीय विद्युत संयंत्र हैं जहां एसीक्यू में 10% (लगभग 10.5 मि.ट.) की वृद्धि होगी और 5 तटीय विद्युत संयंत्रों के एसीक्यू में 30% (लगभग 9 मि.ट.) की वृद्धि होगी। एसीक्यू में वृद्धि से विद्युत संयंत्रों को अधिक घरेलू कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

उपर्युक्त के अलावा, 75% के ट्रिगर स्तर वाले या आपूर्ति के बढ़े हुए स्तर वाले संयंत्रों के लिए 75% से 80% तक ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) के ट्रिगर स्तर में वृद्धि, बैंक से ऋण सुविधा का लाभ उठाने में उपभोक्ता की मदद करने के लिए यूसेन्स एलसी (लेटर ऑफ क्रेडिट) भुगतान तंत्र की सुविधा की शुरूआत, व्यापारियों सहित कोयला आयातकों के लिए स्पेशल स्पॉट नीलामी योजना जैसे अन्य कुछ उपायों से कोयले के आयातों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के तहत अल्पावधि के लिए पेश किए गए कोयले के साथ-साथ 30 वर्षों तक की अवधि के लिए गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेजों की अवधि में वृद्धि का कोयला आयात प्रतिस्थापन की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।"

18. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ कोकिंग और गैर-कोकिंग कोल धोवनशालाओं का पूर्ण क्षमता के साथ प्रचालन और संचालन किए जाने की सिफारिश की थी ताकि आयात पर निर्भरता कम किया जा सके, और नीतिगत हस्तक्षेप के द्वारा आयात किए गए कोयले का इस प्रकार नियमन किया जाए कि हमारे कोयला भंडारों का इष्टतम उपयोग हो, घरेलू कोयला उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और साथ ही आयातित कोयले के उपयोग के कारण ताप विद्युत तथा इस्पात क्षेत्र के उत्पादों की लागत में वृद्धि ना हो । समिति ने आयातित घुले हुए कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए कोयला मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा अपनाए गए बहु-आयामी दृष्टिकोण की सराहना करते हुए समिति ने यह पाया है कि ऐसी विरोधाभासी स्थिति जिसमें एक तरफ तो देश घुले हुए कोकिंग कोल का भारी मात्रा में आयात कर रहा है और दूसरी तरफ इसकी स्वदेशी मांग में मन्दी रही, के विषय में उत्तर में मौन साध लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि घुले हुए कोकिंग कोल की वास्तविक मांग

और वास्तविक ग्राहकों का कोयला मंत्रालय द्वारा वांछित आकलन नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त सी.सी.एल द्वारा 7 एम.टी.वाई की समग्र क्षमता की दो (02) कोकिंग कोल धोवनशालाओं और 8 एमटीवाई की तीन (03) नॉन कोकिंग कोल धोवनशालाओं की स्थापना किए जाने संबंधी स्थिति भी ज्ञात नहीं है । समिति महसूस करती है कि आयातित धुले हुए कोयले की निर्भरता को कम करने के संबंध में कोयला मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों के प्रयासों के सार्थक परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब परिभाषित समय सीमा में पर्याप्त संख्या में धोवनशालाओं की स्थापना की जाए और उन्हें प्रचालनरत बनाया जाए और ईष्टतम क्षमता उपयोग हेतु घरेलु मांग और स्वदेशी आपूर्ति का यथार्थपरक आकलन किया जाए । समिति चाहती है कि मंत्रालय और सी.सी.एल इस संबंध में विस्तारपूर्वक उत्तर दें ।

सिफारिश (क्रम सं 10.3)

19. समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में एचईएमएम को किराये पर लेने से आई लागत के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

> "सीसीएल द्वारा प्रस्तुत डाटा के समिति के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान संयंत्रों और उपकरणों को किराए पर लेने के लिए 859 करोड़ रूपए खर्च किए। कंपनी ने यह सूचित किया कि एचईएमएम को किराए पर लेने अथवा इन उपकरणों को खरीदने की तुलनात्मक लागत प्रभाविता के मूल्यांकन के लिए कोई स्वतंत्र अध्ययन नहीं कराया गया। यह ध्यान में रखते हुए कि 859 करोड़ का इतना बड़ा खर्च एक वर्ष में संयंत्र और उपकरणों को किराए पर लेने के लिए किया गया विशेषत: तब जब सीसीएल के अपने उपकरण का कुछ मामलों में पूरी क्षमता तक उपयोग नहीं किया जा रहा जो इस बात से स्पष्ट है कि एचईएमएम की उपयोगिता वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारित मानदंड के 50% से भी कम थी, समिति यह सिफारिश करती है कि समिति को एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपकरणों को किराए पर लेने के कारण बताए जाएं जबकि सीसीएल के अपने उपकरण काफी हद तक उपयोग नहीं किए जा रहे और साथ ही एचईएमएम को किराए पर लेने और स्वयं खरीदने की तुलनात्मक प्रभाविता और अन्य संबंधित मुद्दों को स्पष्ट बताया जाए।"

20. मंत्रालय ने अपने की गई कार्यवाही उत्तर में निम्नवत बताया-:

" सीसीएल में कोयला उत्पादन का लगभग 99% ओपनकास्ट खानों से आता है । कंपनी योग्य पेशेवरों द्वारा चलाई जाती है, जो कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। सभी ओपनकास्ट खानों में ओवरबर्डन को हटाने के लिए शॉवल डम्पर का कॉम्बिनेशन उपलब्ध है। पिपरवार, अशोक, मगध, आम्रपाली, उत्तरी उरीमेरियंड और कारो में कोयला खनन के लिए सरफेस माइनर्स की शुरुआत की गई है।"

i. सीसीएल में सतही खनन सीएमपीडीआईएल द्वारा सामान्य कार्य प्रणाली के रूप में तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार सीसीएल के स्वामित्व वाली हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) या सीसीएल द्वारा किराए पर ली गई मशीनों द्वारा किया जाता है।

ii. सीमित जीवनकाल के साथ छोटे पैचों में जहां विभागीय मशीनों को लगाना किफायती नहीं होता है, वहां सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कोल इंडिया के अनुबंध प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार खुली निविदा प्रणाली के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी को तैनात किया जाता है।

iii. चूंकि विभागीय उपकरणों का जीवनकाल काफी लंबा होता है (शॉवल - **6-12** वर्ष, डंपर - **6-9** वर्ष) ऐसी मशीनों को विशेष रूप से केवल उन पैचों में तैनात किया जाता है जो तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं।"

21. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में सी.सी.एल द्वारा प्रत्येक वर्ष उपस्करों को किराए पर लिए जाने से होने वाले भारी खर्च को देखते एच.ई.एम.एम को किराए पर लेने और जब सी.सी.एल के अपने स्वयं के उपस्करों का ही काफी हद तक उपयोग नहीं हो पाता है तो उपस्करों को किराए पर लिए जाने के कारणों के विषय में एक विस्तृत टिप्पण मांगा था । कोयला मंत्रालय इन मुद्दों पर अपने उत्तर में खामोश बना हुआ है । मंत्रालय ने इस संबंध में कोई विस्तृत तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं कि किस तरह से मशीनरी और उपस्करों को किराए पर लेना अधिक किफायती रहेगा जबकि

कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान 859 करोड़ रुपये का भारी व्यय किया है । समिति अपनी आशंका व्यक्त करती है कि किस कारण से सी.सी.एल भारी लागत पर मशीनरी और उपस्करों को किराए पर ले रही है जिसके परिणामस्वरूप इसकी लाभ की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । जैसा कि समिति के मूल प्रतिवेदन में इस बात पर बल दिया गया है, समिति इच्छा व्यय करती है कि सी.सी.एल उपस्कर और एच.ई.एम.एम को किराए पर लेने पर होने वाले भारी राशि खर्च के वैध कारणों से अवगत करवाए जबकि उसी व्यय का उन एच.ई.एम.एम को खरीदने में उपयोग किया जा सकता है जिससे सी.सी.एल की स्थायी संपत्ति का सृजन होगा ।

सिफारिश (क्रम सं. 20.2)

22. समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में संरक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

"समिति इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है कि वर्ष 2019-11 को छोड़कर वर्ष 2008-09 से सुरक्षा उपकरणों की खरीद और उनके अनुरक्षण के निमित बजटीय प्रावधानों का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं कर सकी जिसकी परिणति निधियों को वापस लौटाने के रूप में हुई। यदि वर्ष 2010-11 को छोड़ दिया जाए जब इसने संबंधित प्रयोजनार्थ बजटीय आवंटन का 162% खर्च किया था, वर्ष 2008-09 से पूंजीगत व्यय 76% से अधिक नहीं हुआ है। वर्ष 2008-09 से शेष वर्षों में सुरक्षा उपकरणों की खरीद और उनके अनुरक्षण हेतु किया गया खर्च अत्यंत कम रहा है उदाहरणार्थ यह वर्ष 2009-10 में 2.50%, 2018-19 में 4.17%, 2013-14 में 13.99% और 2014-15 में 75.58% रहा। विगत वर्षों में आवंटित निधियों के अत्यल्प उपयोग के बावजूद, बाद के वर्षों में बढ़ हुए आवंटन किए गए और इस प्रकार इनका पूरा प्रयोग नहीं हो पाया। समिति इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है कि निधियों का कम उपयोग किया जाना सिर्फ गलत बजटीय प्राक्कलन का ही सूचक नहीं है बल्कि इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि प्रबंधन ने खान श्रमिकों की सुरक्षा को कम महत्व दिया है। सीसीएल द्वारा दिए गए उत्तर में वर्ष 2008-19 से सुरक्षा उपकरण हेतु आवंटित निधियों के अत्यल्प उपयोग के विशिष्ट कारणों के संबंध में जानबूझकर चुप्पी साधी गई है और टालमटोल किया गया है। समिति इस महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में सीसीएल द्वारा अपनाए गए ढुलमुल रवैये

को गंभीरता से नोट करती है क्योंकि इस मुद्दे का खान श्रमिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा और खानों के कार्यनिष्पादन पर सीधा असर है। इस प्रकार समिति का मानना है कि यदि आवंटित निधियों का सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए पूरा उपयोग किया गया होता तो मृत्यु और गंभीर चोट के मामलों से भले ही पूरी तरह नहीं बचा जाता लेकिन उन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता था। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय और सीसीएल इस मुद्दे के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पण प्रस्तुत करें। समिति आगे सिफारिश करती है कि सीसीएल को एक सुदृढ़ बजटीय प्रणाली विकसित करना चाहिए जिससे कि ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए आवंटित निधियों का फायदेमंद रूप से उपयोग हो सके और वांछित परिणाम हासिल हो सकें।"

23. मंत्रालय ने अपने की गई कार्यवाही उत्तर में निम्नवत बताया:-

"प्रत्येक वर्ष विशिष्ट नाजुक सुरक्षा वस्तुओं के लिए बजटीय प्रावधान बनाए जाते हैं। बोलीदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेजों जो उत्पादन प्रक्रिया के अंतिम रूप दिए जाने और प्रस्तावित मूल्य के 11 चित्र के लिए आवश्यक हैं कि प्रस्तुत न करने के कारण उत्पादन में देरी हुई है हालांकि जी पोर्टल के प्रारंभ से पूंजी शीर्ष के अधीन उत्पादन कारगर हो रहा है हम विवेकपूर्ण बजट आवंटन एवं इसके उपयोग के लिए सक्रिय कदम ले रहे हैं।"

24. समिति ने वर्ष दर वर्ष विशेष रूप से 2008-09 से संरक्षा उपस्करों की खरीद हेतु आवंटित निधियों का अल्प-उपयोग किए जाने पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की थी । चूंकि इतने अति महत्वपूर्ण क्षेत्र पर निधियों का अल्प उपयोग किए जाने से खनन कामगारों की संरक्षा और सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, समिति ने मंत्रालय और सी.सी.एल से इस पर एक व्याख्यात्मक टिप्पण मांगा था । समिति ने भविष्य में निधियों के सार्थक उपयोग हेतु एक मजबूत बजटीय प्रणाली विकसित करने की की भी सिफारिश की है मंत्रालय/सीसीएल द्वारा विवेकपूर्ण बजटीय आवंटन और इसके उपयोग हेतु सक्रिय उपायों की सराहना करते हुए मंत्रालय ने पाया कि मंत्रालय/सीसीएल द्वारा वांछित स्पष्टीकरण टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया है । विगत में अनेक वर्षों से संरक्षा मुद्दों हेतु निर्धारित धनराशि के अल्प उपयोग पर वांछित स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण

प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अपना असंतोष व्यक्त करती है । समिति मुद्दे की गंभीरता पर पुन: जोर देती है क्योंकि इसका खनन कामगारों की संरक्षा और सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । समिति मंत्रालय और सी.सी.एल से अपेक्षा करती है कि वे समिति के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र वांछित स्पष्टीकरणात्मक टिप्पण प्रस्तुत करें ।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिंहावलोकन

सिफारिश (क्रम सं. 1.1)

समिति ने यह पाया है कि भारतीय कोयला उद्योग के इतिहास में तत्कालीन निजी स्वामित्व वाली कोयला खानों का दो चरणों में राष्ट्रीयकरण किया जाना एक प्रमुख घटना रही है। पहले चरण में भारत सरकार ने 17 अक्तूबर 1971 को कोकिंग कोल खानों का प्रबंधन अपने हाथ में लिया गया और इन खानों का 5 जनवरी 1972 से राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे चरण में दो इस्पात संयंत्रों अर्थात टी.आई.एस.ओ. और आई.आई.एस.सी.ओ की दो धारित कोयला खानों को छोड़कर देश में गैर कोकिंग कोयला खानों का प्रबंधन 31 जनवरी 1973 को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया। इसके बाद इन खानों का 01 मई 1973 से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एक अन्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कोल माइंस लिमिटेड (सी.एम.एल) अस्तित्व में आई जिसका मुख्यालय कोलकाता में रखा गया। सी.एम.एल कंपनी के गठन के बाद से कोयला खानों को तीन प्रभागों, अर्थात, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी में पुनः वर्गीकृत किया गया। अपने तीन प्रभागों के साथ सी.एम.ए.एल 01 नवंबर 1975 तक काम करती रही और इसके बाद कोयला उद्योग का पुनर्गठन करने के भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल) का नया नाम दिया गया। सी एम ए एल का मध्य भाग सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल) के रूप में जाना जाने लगा।

सिफारिश (क्रम सं. 1.2)

इस प्रकार सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल), कोल इंडिया लिमिटेड जो 1 नवंबर 1975 से वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आई, की सहायक कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। वर्तमान में यह एक श्रेणी-एक मिनी रतन कंपनी है जिसका निवल मूल्य 5142.72 करोड़ रूपये है और इसका लाभ 1704 करोड़ रूपए है। सी.सी.एल के खनन प्रचालन झारखंड राज्य के 08 जिलों में फैला हुआ है और जिसका क्षेत्रफल 2600 वर्ग

किलोमीटर है। इसकी कुल 42 प्रचालनरत खान(36 ओपनकाट और 06 भूमिगत) और 06 धोवनशाला (वाशरी) (04 कोकिंग कोल, 02 गैर-कोकिंग कोल) हैं। सी.सी.एल की 05 क्षेत्रीय कार्यशाला हैं और 01 केंद्रीय कार्यशाला है। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि कोयला उत्पादन को अधिकतम स्तर तक पहुंचाने के साथ-साथ कंपनी का एक प्रमुख उद्देश्य सामान्यतः समाज और विशेष रूप से कोलफील्ड्स के इर्द- गिर्द बसे हुए लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की बेहतरी और अपने कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने कॉरपोरेट दायित्व का निर्वाह करना है। जैसा कि समिति को बताया गया है कि कंपनी नई धोवनशाला चालू करने, साइलोज, कोल हैंडलिंग संयंत्रों, कन्वेयर सिस्टम, रेलवे साइडिंग्स की स्थापना करने और निकट भविष्य में लोगों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों और कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने की परिकल्पना करती है। समिति आशा करती है कि कंपनी निर्धारित समय सीमा में इन सभी में भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगी और उनके लिए शुभकामना करती है कि वे आने वाले वर्षों में अपने उत्पादन और लाभ में भरपूर उन्नति करें। सेंट्रल कोलफील्ड्स (सीसीएल) की जांच के दौरान समिति ने कंपनी के भौतक और वित्तीय कार्यनिष्पादन, इसकी उच्चक्षमता वाली परियेाजनाओं को शुरू करने, नई कोयला धोवनशालाओं की स्थापना करना, प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, पर्यावरणीय चिंताएं, पुनर्स्थापन और पुर्नवास और क्षतिपूर्ति मुद्दों, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों की पहलें, खदान कामगारों हेतु सुरक्षा उपाय, इत्यादि से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ जिन पर समिति ने आगामी पैराओं में अपनी टिप्पणियां/सिफारिशें दी हैं। समिति आशा करती है कि इस प्रतिवेदन में दी गई टिप्पणियां/सिफारिशें और सुझाव को सच्ची भावना के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

सरकार का उत्तर

समिति की टिप्पणियों और इस संबंध में सुझाए गए उपायों को कार्यान्वयन हेतु नोट कर लिया गया है।

[कोयला मंत्रालय, फाइल सं. पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस:343541), दिनांक 18 जुलाई 2021]

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में रिक्तियां और 'महिला निदेशक' के पद को भरना

सिफारिश (क्रम सं. 2.1)

समिति ने यह देखा कि कंपनी के निदेशक मंडल के 12 स्वीकृत पदों में से कार्यात्मक निदेशकों में से निदेशक (कार्मिक) का एक पद और गैर-सरकारी निदेशक की श्रेणी में एक पद रिक्त है। समिति यह भी नोट करती है कि कंपनी के निदेशक मंडल में 'महिला निदेशक' का प्रतिनिधित्व नहीं है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंध के अनुरूप नहीं है। इस तथ्य के बावजूद ऐसा हो रहा है कि कंपनी के सचिवालीय लेखाकार विगत कई वर्षों से अपने प्रतिवेदनों में लगातार यह टिप्पणी करते रहे हैं। इस प्रकार समिति को सीसीएल के निदेशक मंडल में महिला निदेशक नियुक्त नहीं करने का कोई तार्किक कारण नजर नहीं आता। अत: समिति चाहती है कि उसे कंपनी अधिनियम, 2013 में निदेशक मंडल में महिला निदेशक नियुक्त करने का स्पष्ट अनुबंध होने और विगत कई वर्षों से लेखा संपरीक्षकों द्वारा इसे दोहराए जाने के बावजूद निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं किए जाने के सही कारणों के बारे में अवगत कराया जाए। समिति यह भी पुरजोर सिफारश करती है कि निदेशक मंडल में सभी नियुक्तियां तुरंत भर जाएं और 'महिला निदेशक' की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम के उपबंध का बिना और देर किए अनुपालन किया जाए।

सरकार का उत्तर

आज की तारीख में बोर्ड ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में स्वतंत्र निदेशकों के 5 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 4 पद भरे हुए हैं। सीसीएल के बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों में से नियुक्त एक श्रीमती जाजुलागोरी, अधिवक्ता हैं, जिन्हें 10-07.2019 को 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और इस प्रकार सीसीएल बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए मानदंडों को पूरा करता है।जहां तक निदेशक (कार्मिक) और स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पद का संबंध है, सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) का पद 01.01.2020 से श्री आर.एस. महापत्रो के बाद से रिक्त है। उक्त पोस्ट की सूचना 01.01.2020 को ही सार्वजनिक उद्यम बोर्ड को दे दी गई है।पीईएसबी

ने 27.01.2020 को भी इस पद का विज्ञापन दिया है। हालांकि, उक्त पद के लिए चयन बैठक अभी तक पीईएसबी द्वारा आयोजित की गई है। कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों के लिए लंबित चयन बैठकों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के लिए पीईएसबी के नवनियुक्त अध्यक्ष के साथ भी इस मामले को उठाया है।स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पद के लिए कोयला मंत्रालय स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पदों को भरने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को लगातार याद दिला रहा है।

[कोयला मंत्रालय फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

सीसीएल के निदेशक मंडल में सीआईएल के एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

सिफारिश (क्रम सं. 2.2)

समिति ने यह पाया कि नियंत्रक कंपनी अर्थात सी.आई.एल के मंडल से कोई भी स्वतंत्र निदेशक सहायक कंपनी अर्थात, सी.सी.एल में निदेशक नहीं है जो कि कॉर्पोरेट शासन संबंधी डी.पी.ई दिशानिर्देशों के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता है। एक प्रश्न कि नियंत्रक कंपनी अर्थात सी.आई.एल. का कोई भी स्वतंत्र निदेशक सहायक कंपनी अर्थात सी.सी.एल में निदेशक क्यों नहीं है, के उत्तर में कंपनी ने बताया कि एस.ई.बी.आई के विनियम **24 (**सूचीबंधन दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियम **2015** के अनुसार सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक भारत में निगमित गैर-सूचीबद्ध भौतक सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में होगा। विनियम में भौतक सहायक कंपनी को उस कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी आय अथवा निवल मूल्य इससे तुरंत पिछले लेखांकन वर्ष में कंपनी अथवा सहायक कंपनी की संचित आय अथवा निवल मूल्य से **10%** अधिक हों, सीसीएल के प्रबंधक ने अपने उत्तर में बताया कि चूंकि सीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की भौतिक सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए सीसीएल के निदेशक मंडल में सीआईएल (नियंत्रण कंपनी) का कोई भी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों और एस.ई.बी.आई के विनियमन **24 (**सूचीबंधन और प्रकटन आवश्यकता) विनियम **2015** के बीच

विरोधाभास है। अतः समिति इच्छा व्यक्त करती है कि कोयला मंत्रालय स्पष्ट करें क्या इस संबंध में डी.पी.ई दिशानिर्देश लागू होंगे या नहीं। समिति यह भी जानना चाहती है कि क्या एस.ई.बी.आई (सूचीबंधन दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियम,**2015** ने इस मुद्दे पर सरकार उपक्रमों हेत बनाए गए दिशानिर्देशों का अतिक्रमण किया है और यह भी जानना चाहती है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होने वाली कंपनियों पर एस.ई.बी.आई के विनियम लागू होंगे या नहीं।

सरकार का उत्तर

वित्तीय वर्ष **2020-21** के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के ऑडिटेड वित्तीय विवरण के अनुसार, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) सीआईएल की मैटेरियल सब्सिडियरी है और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, **2015** की धारा **24** सीसीएल पर लागू होगी और सीआईएल के बोर्ड से एक स्वतंत्र निदेशक को सीसीएल के बोर्ड में नियुक्त किया जाना है।हालांकि, वर्तमान में सीआईएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक मौजूद नहीं है।इस प्रकार, जब भी सीआईएल के बोर्ड में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जाती है, तो उसे सीसीएल के बोर्ड में भी नियुक्त किया जाएगा ताकि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, **2015** की धारा **24** का अनुपालन किया जा सके।सीआईएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का मुद्दा डीओपीटी और डीपीई के साथ उठाया गया है।

[कोयला मंत्रालय फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019**-**पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

सी.सी.एल का भौतक कार्य निष्पादन

सिफारिश (क्रम सं. 3.1)

वित्तीय वर्ष 2018-19 सहित वर्ष 1975-76 में कंपनी के गठन से लेकर अब तक इसके कार्य निष्पादन का तुलनात्मक आंकड़ा यह दर्शाता है कि कंपनी के चालन के विगत 45 वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन जो वर्ष 1975-76 में 22.72 मिलियन टन था, में वर्ष 2018-19 में मात्र तीन गुणा अर्थात 68.7 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार डिस्पैच जो वर्ष 1975-76 में 21.15 मिलियन टन था, वर्ष 2018-19 में लगभग तीन गुणा बढ़कर 68.4 मिलियन टन हो गया है। तथापि,'आउटपुट पर मैन शिफ्ट (ओ.एम.एस) के हिसाब से उत्पादकता में आठ गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। प्रति टन के हिसाब से बिक्री मूल्य भी 24 गुना अर्थात, 61.5 रूपये प्रति टन से वर्ष 2018 -19 में 1498 रूपये टन बढ़ा है। आंकड़ों का विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि कंपनी को अपने उत्पादन जो वर्ष 1975-76 में 22.72 मिलियन टन था, को दो गुणा अर्थात वर्ष 2009-10 में 47 मिलियन टन तक पहुंचाने में लगभग 35 वर्ष लगे। तत्पश्चात वर्ष 2012-13 तक अगले तीन वर्षों में उत्पादन 47/48 मिलियन टन के स्तर पर स्थिर बना रहा। तत्पश्चात् वर्ष 2012-13 में कथित रूप से शासन का कायाकल्प मॉडल के के एमजी शुरु करने के बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2013-14 से कंपनी में वर्ष 2017-18 को छोड़कर उत्पादन, डिस्पैच, उत्पादकता, बिक्री और लाभ में निरंतर सुधार दिखाई दिया है। वर्ष 2017-18 में लाभ में गिरावट कथित रूप से इवैकयुएशन संबंधी बाधाओं के कारण थी। समिति ने यह पाया कि विगत 45 वर्षों में इसके प्रचालन के दौरान यद्यपि उत्पादकता में आठ गुणा से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सी.सी.एल ने अपना उत्पादन मात्र तीन गुणा बढ़ाया है जो कि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि के अनुपात में भी नहीं है। कंपनी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकारोक्ति दी है कि (एक) सीसीएल के अधिकांश खानें पुरानी हैं और उनके उपस्कर भी बहुत पुराने हो चुके हैं और इसने हाल ही में बहुत ही कम खानें खोली हैं। (दो) बहुत ही कम खानों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। (तीन) खानों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है जिसके कारण इनकी व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अक्षमता पनपने की संभावना बनी रहती है (चार)आठ घंटे की पारी में कर्मचारी औसतन चार घंटे ही काम करते हैं। कंपनी द्वारा उल्लेखित समस्या जो कंपनी के और अधिक उत्पादक और लाभकारी बनने के मार्ग में बाधा डाल रही हैं, का निर्भिक आकलन किए जाने की सराहना करते हुए समिति यद्यपि इस बात से क्षुब्ध है कि सीसीएल द्वारा समस्याग्रस्त क्षेत्रों की स्पष्ट रूप से पहचान किए जाने के बाद भी इन मुद्दों का समय पर समाधान करने के लिए कोई भी कारगर उपाय नहीं किए गए हैं। यहां तक कि ऐसा प्रतीत होता है कि केकेएमजी के पास भी ऊपर उल्लिखित कमजोरियों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं है। अतः समिति सिफारिश करती है कि सीसीएल निम्नलिखित कदम तत्काल उठाएं:- (एक) अपनी मशीनरी और उपसकरोको उन्नत बनाए(दो) अपने खनन प्रचालनों में वैश्विक मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक प्रौदयोगिकी का उपयोग करे (तीन) सभी

प्रभागों में सूचना प्रौदयोगिकी आधारित सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग करे (चार) भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सतर्कता को सुदृढ़ करे (पांच) श्रम शक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण उपाय शुरू करे (छह) मानव संसाधनों का उपयोग करने के लिए तंत्र विकसित करे; और (सात) श्रम शक्ति को प्रेरित और अनुशासित बनाने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और हतोत्साहन की पहलें शुरू करे। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में सीसीएल द्वारा की गई ठोस कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

(i) मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन:

कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले एचईएमएम के तकनीकी विशेषताओं में तकनीकी रूप से उन्नत आवश्यकता शामिल है। तकनीकी विशेषताओं को नवीनतम सरकारी परिपत्रों और सांविधिक आवश्यकताओं सांविधिक आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया गया है। अर्थात डीजीएमएस परिपत्र/अधिसूचनाएं और आईएसओ/बीआईएस मानक। यह नवीनतम परिचालन और सुरक्षा आवश्यकताओं और पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। ऑपरेटरों, ऑपरेटरों के स्टेशन/केबिन, सुरक्षात्मक संरचनाओं, नियंत्रण और संकेतकों, शुरू करने और रोकने की प्रणाली, एर्गोनॉमिक्स, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, दृश्यता, स्थिरता, शोर में कमी, चेतावनी उपकरणों और सुरक्षा संकेतों, मूविंग पार्ट्स के लिए सुरक्षात्मक उपायों और उपकरणों, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, अग्नि सुरक्षा आदि के क्षेत्रों में तकनीकी उन्नयन किया गया है ।

उपर्युक्त के अलावा, तकनीकी विशिष्टताओं में उपकरणवार सुविधाओं को भी जोड़ा गया है।निकटता अलार्म डिवाइस, थकान सेंसर आदि। तकनीकी विनिर्देश में ऑफ हाईवे उपकरणों के लिए नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन मानदंड अपनाए जाते हैं। कंपनी ने जमीन पर और हवा में धूल कणों दोनों को रोकने के लिए पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण आधारित स्प्रिंकलर के स्थान पर मिस्ट प्रकार के स्प्रिंकलर को अपनाया। कंपनी हेम्म निर्माताओं के ज्ञात स्रोतों के अनुसंधान और विकास स्कंध के संपर्क में रहती है।

(ii) खनन प्रचालनों में अत्याधुनिक वैश्विक मानक का प्रयोग:

चूरी यूजीपी (0. 81 एमटीआई) में सतत खनिक पहले ही शुरू की जा चुकी है। पिपरवार यूजीपी (0.87 एमटीआई) और परेज ईस्ट यूजीपी (0.51 एमटीआई) की योजना सतत खनिक के साथ बनाई गई है।पतरातू ए/बी/सी यूजीपी (5 एमटीआई) में लॉन्गवॉल

तकनीक प्रस्तावित है। पतरातू ए/बी/सी यूजीपी 5 एमटीआई की क्षमता वाली देश की सबसे बड़ी प्रस्तावित भूमिगत खदान है ।

अशोक ओसीपी (10 एमटीआई), मगध ओसीपी (51 एमटीआई), आम्रपाली ओसीपी (25 एमटीआई), नॉर्थ उरीमारी ओसीपी (7.5 एमटीवाई) और कारो ओसीपी (3.5 एमटीवाई) में कोयला निकालने के लिए इको फ्रेंडली सरफेस माइनर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोनार ओसीपी (3.5 एमटीआई) और पुरनाडीह ओसीपी (3 एमटीआई) में जल्द ही सरफेस खनिक शुरू किया जाएगा।इसके अलावा, आगामी ओपनकास्ट खानों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़े आकार की मशीनें और सतह खनिक पेश किए जाएंगे जहां भू-खनन शर्तें अनुमति देती हैं ।

सतही खनिकों से कोयला उत्पादन:

कोयला उत्पादन (मि.ट.) (अनंतिम)			
वर्ष	**ओपनकास्ट खानों से कुल कोयला उत्पादन**	**सतही खनिकों से कुल कोयला उत्पादन**	**कुल ओपनकास्ट खान उत्पादन की तुलना में सतही खनिकों से कोयला उत्पादन %**
2020-21	62.17	31.34	50.41
2019-20	66.19	23.65	35.74
2018-19	68.41	22.24	32.51

(iii) सभी डिवीजनों में आईटी सक्षम सेवाओं का व्यापक उपयोग

प्रणाली की समग्र दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न आईटी पहलें की गई हैं। कंपनी ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन का पर्याप्त आवंटन किया है। संगठन के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए सीसीएल द्वारा नियोजित आईटी समर्थित सेवाओं में से कुछ नीचे दिए गए हैं: -

1. एमपीएलएस-वीपीएन आधारित वान सेवाओं को सीसीएल कमांड क्षेत्रों में फैले डेटा जनरेशन बिंदुओं को जोड़ने के लिए नियोजित किया गया है।वर्तमान में एमपीएलएस वीपीएन आधारित वान द्वारा **275** अंक जोड़े गए हैं।इनका उपयोग ई-कार्यालय, कोयला नेट आदि जैसे अनुप्रयोगों तक पहुंच प्रदान और तोलब्रिज से

सीसीएल मुख्यालय सेंट्रल सर्वर तक वास्तविक समय डेटा हस्तांतरण के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना करने के लिए किया जाता है।

2. केंद्रीकृत निगरानी के लिए नेटवर्किंग के साथ-साथ वेब्रिज और कोल स्टॉक आदि पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीएल में लगाए गए और काम करने वाले सभी सीसीटीवी कैमरे आईपी आधारित हैं और भविष्य के कोई भी प्रतिष्ठान एक ही प्रकार के होंगे अर्थातआईपी आधारित। क्षेत्रीय मुख्यालय के साथ सीसीटीवी कैमरों की कनेक्टिविटी कुछ क्षेत्रों में स्थापित की गई है और इसे बाकी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
3. जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन प्रशिक्षण प्रणाली और आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर और रीडर्स को कोलफील्ड क्षेत्रों में लोड वाहनों के मार्ग, गति और आवाजाही को ट्रैक करने और तोलब्रिजों पर तैयार करने के लिए नियोजित किया गया है ।
4. साइट वार उपयुक्त बैंडविड्थ के साथ एमपीएलएस-वीपीएन आधारित डब्ल्यूएएन के प्रावधान के साथ सीसीएल कमांड क्षेत्र में ईआरपी के लिए सभी डेटा जनरेशन बिंदुओं तक कनेक्टिविटी की योजना बनाई गई है। एक नेटवर्क, जो कार्यान्वयन पर ईआरपी के लिए माध्यमिक नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा, पहले से ही **275** मौजूद है और वर्क ऑर्डर एक अन्य नेटवर्क के 447 वान बिंदुओं के लिए जारी किया गया है। डब्ल्यूएएन अंक जो ईआरपी के लिए प्राथमिक नेटवर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।इन दोनों नेटवर्क का इस्तेमाल फेलओवर के साथ-साथ लोड बैलेंसिंग मोड में कनेक्टिविटी देने के लिए किया जाएगा।

(iv) भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सतर्कता को मजबूत करना:

1. पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की तैनाती करके सतर्कता विभाग का सुदृढ़ीकरण
2. सतर्कता विभाग द्वारा जांच के दौरान सिस्टम सुधार, व्यवस्था में विफलता के लिए सुझावों को लागू किया जा रहा है।
3. समय-समय पर औचक जांच की जा रही है।
4. सतर्कता जागरूकता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

(v) कार्य बल की दक्षता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण के उपाय करना

कर्मचारी क्षमता निर्माण एक चालू और सतत प्रक्रिया है, जिसमें कर्मचारियों और

प्रबंधन दोनों का सीखना और विकास शामिल है। सीसीएल में, सीखने और विकास गतिविधियों को प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इन-हाउस आयोजित किया जा रहा है और कंपनी से बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों में कर्मचारियों को भेजा जाता है। एचआरडी विभाग, सीसीएल के तत्वावधान में केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (सीईटीआई), भुरकुंडा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (बीटीटीआई) और प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र (एमटीसी), मुख्यालय, रांची में ऑन जॉब ट्रेनिंग सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारी अपने प्रबंधकीय कौशल और नेतृत्व क्षमताओं के उन्नयन के लिए रांची में भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान, सीआईएल में विकास कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं।

तकनीकी क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे खनन में व्यावसायिक प्रशिक्षण और समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और बीटीआई और सीईटीआई में अन्य विषयों का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों के लिए कौशल विकास, अग्रणी पर्यवेक्षकों और गैर अधिकारियों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम पाठ्यक्रम में एक जगह है। इन-हाउस प्रशिक्षण गतिविधियों के अलावा, कर्मचारी एएससीआई, हैदराबाद जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में कंपनी के बाहर सम्मेलनों, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं।

कोविड 19 महामारी के कारण, ऐसे कार्यक्रमों में कर्मचारियों की भागीदारी सीमित रही लेकिन क्षमता निर्माण उपायों के एक भाग के रूप में कोविड-19 के संबंध में सभी सरकारी को देख गतिविधियों का आयोजन किया गया। 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश और सुरक्षा उपाय की संख्या नीचे दी गई है:

- हैवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटरों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम:**100**
- **2020-21** में समूह वीटीसी द्वारा कर्मचारियों का प्रशिक्षण: **1959**
- खनन और अन्य (नौकरी पर) में व्यावसायिक प्रशिक्षण: **174**
- अधिकारियों के लिए इन-हाउस विकास कार्यक्रम: **504**
- कंपनी के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबिनार): **143**

(vi) मानव संसाधनों की क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए तंत्र तैयार करना

वेतन समझौते के अनुसार अनुकंपा के आधार पर कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जुड़ने वालों का उपयोग उनकी योग्यता और

कौशल के अनुसार किया जा रहा है।कंपनी की आवश्यकता के अनुसार बेहतर उपयोग के लिए सही कार्य हेतु उनके प्लेसमेंट के लिए ऐसे उम्मीदवारों का एक पूल बनाया गया है।उन्हें बेहतर कैरियर विकल्पों के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने और उचित नौकरियां लेकर अपनी पूरी क्षमता का दोहन और उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विभागीय उम्मीदवारों को बाहरी भर्ती का सहारा लेने से पहले सांविधिक और अन्य महत्वपूर्ण पदों की रिक्तियों को भरने का पहला अवसर दिया जा रहा है ताकि मौजूदा कार्यबल की योग्यता और क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके। ऐसी खानोंपरियोजनाओं के कुशल कर्मचारियों/, जिनमें उत्पादन गतिविधियां बंद कर दी गई हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उनके कौशल का इष्टतम तरीके से उपयोग किया जा रहा है।

(vii) कार्यबल को प्रेरित करने और अनुशासित करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और हतोत्साहन उपाय

सीसीएल प्रबंधन ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यबल को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं:

वित्तीय प्रोत्साहन :

- वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता में सुधार के लिए योजना
- दिसंबर-2020 से मार्च-2021 की अवधि के लिए स्पॉट प्रोत्साहन योजना

गैर-वित्तीय प्रोत्साहन: गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों में सार्वजनिक मान्यता और पुरस्कार, व्यावसायिक विकास के अवसर आदि शामिल हैं ।कंपनी के पास एक सुपरिभाषित औद्योगिक संबंध (आईआर) सेटअप है और ऑपरेटिंग ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि के साथ संरचनात्मक बैठकें आयोजित की जाती हैं। कामगार कल्याण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय इकाई/क्षेत्र और शीर्ष मुख्यालय स्तर पर द्विपक्षीय मंच में लिया जाता है जो महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों में भाग लेने के कारण कर्मचारियों को प्रेरित करता है। अधिकारियों को सीआईएल के आचरण अनुशासन और अपील नियम (सीडीए नियम) (1978) के तहत कवर किया जाता है और इसकी सहायक कंपनियां और गैर-कार्यकारी कर्मचारी औद्योगिक स्थायी आदेश अधिनियम के तहत प्रमाणित सीसीएल में लागू स्थायी आदेश नियमों द्वारा शासित होते हैं जो रोजगार की शर्तों को परिभाषित करते हैं।

[कोयला मंत्रालय फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

सीसीएल का वित्तीय कार्य निष्पादन

सिफारिश (क्रम सं. 4.1)

समिति ने यह पाया कि सी.सी.एल. ने अपने सकल कारोबार जो वर्ष 2014-15 के 11781 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 13659 करोड़ रूपये , वर्ष 2016-17 में 14533 करोड़ रूपये, 2017-18 में 15729 करोड़ रूपये और वर्ष 2018-19 में 16344 करोड़ रूपये हो गया, में लगातार बढ़ोतर की है। तथापि, समिति का विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि कंपनी के निवल मूल्य और लाभ में ऐसा पैटर्न नहीं दिखाई दिया। इन वर्षों के दौरान इन दोनों प्रमुख संकेतकों में उतार चढ़ाव दिखाई दिया है। कंपनी का निवल मूल्य वर्ष 2014-15 में 5812.38 करोड़ रूपये के स्तर से गिरकर वर्ष 2018-19 में 5142.72 करोड़ रूपये हो गया । कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि जब वर्ष 2012-13 में कोयला उत्पादन 48 मिलियन टन था तो कंपनी का निवल लाभ 1886 करोड़ रूपये रहा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब कोयला उत्पादन में वर्ष 2018-19 में 43% की वृद्धि हुई और यह 68.7 मिलियन टन तक पहुंच गया तो कंपनी के लाभ में गिरावट आई और यह 1704 करोड़ रूपये के स्तर पर पहुंच गया जो कि वर्ष 2012-13 के आंकड़ों की तुलना में 9.6 प्रतिशत की गरावट बैठती है। समिति ने यह भी पाया है कि विगत 10 वर्षों के दौरान कंपनी के कोयला उत्पादन, कोयले के उठान, आउटपट प्रति मैन शिफ्ट के हिसाब से उत्पादकता और सकल कारोबार में लगातार वृद्धि होती दिखाई दे रही है लेकिन पुनः कंपनी की लाभकारिता में इसी प्रकार का पैटन नहीं दिखाई देता क्योंकि कंपनी के व्यवसाय चालन के मख मानदंड संबंधी आंकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि वर्ष 2009-10 में सकल कारोबार 6292 करोड़ रूपये था जो वर्ष 2018-19 रूपये था जो वर्ष 2018-19 में 5142.72 करोड़ रूपये के स्तर पर पहुंच गया । इसी प्रकार 'आउटपुट पर मैन शिफ्ट 'जो वर्ष 2009-10 में 3.66 थी, वर्ष 2018-19 में बढ़कर 8.09 के स्तर पर पहुंच गई लेकन लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल जो वर्ष 2016-17 में 56.60 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 48.93 प्रतिशत आ पहुंचा है और खजाने

में दिया गया अवदान जो वर्ष 2016-17 में 7167.11 करोड़ रूपये था, वर्ष 2018-19 में घटकर 6512.02 करोड़ रूपये के स्तर तक पहुंच गया है। इस प्रकार समिति यह समझ पाने में असमर्थ है कि कंपनी किस कारणवश इस अवधि के दौरान अपने ' निवल लाभ ' और ' लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल' में उतनी ही अनवरत वृद्धि प्राप्त नहीं कर सकी जब कार्य निष्पादन के अन्य प्रमुख संकेतकों में अनवरत वृद्धि का रूझान दिखाई देता है। अत: समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सीसीएल न केवल अपने व्यवसाय प्रचालनों से अपनी कमाई में उच्चतर वृद्धि प्राप्त करने अपितु कंपनी के सकल कारोबार में वृद्धि के अनुरूप अपनी लाभकारिता के अनुपात को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने के उद्देश्य से विशेष रूप से विगत कई वर्षों से अपनी निवल कमाई और लाभकारिता के ऐसे असमान पैटर्न रहने के पीछे सही सही कारणों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन कराए ।

सरकार का उत्तर

जैसा कि समिति द्वारा देखा गया है, सीसीएल ने सकल कारोबार में लगातार वृद्धि दर्ज की है जबकि कंपनी के नेटवर्थ और लाभ की वृद्धि में इसी तरह का कोई पैटर्न नहीं देखा गया है। तथ्य का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है: -

क) कंपनी का टर्नओवर और लाभ **(मूल्य करोड़ में)**

वित्त	वित्तीय विवरण के अनुसार प्रचालनों से राजस्व	इंड एएस 115 के अनुसार कोयला गुणवत्ता भिन्नता हेतु प्रावधान	अन्य प्रचालन राजस्व	प्रचालनों से कुल राजस्व (सकल टर्नओवर)	लेवी (रॉयल्टी, एनएमईटी, एमएमडीआर, जीएसटी, क्लीन एनर्जी सेस आदि)	प्रचालनों से निवल राजस्व (लेवी से टर्नओवर नेट)	प्रचालनों से नेट राजस्व % के रूप में लेवी (लेवी का टर्नओवर नेट)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=5-6)	(8)
2014-15	11781	-	278	12059	2331	9728	23.96
2015-16	13659	-	304	13963	3130	10833	28.89
2016-	14900	-	374	15274	4499	10775	41.76

17							
2017-18*	15729	236	562	16527	4941	11586	42.65
2018-19*	16344	156	951	17451	5115	12336	41.47

*** नोट इंड एएस -:115 के प्रावधानों के अनुसार बिक्री के साथ कोयले की गुणवत्ता भिन्नता के लिए प्रावधान को समायोजित किया गया है**

(मूल्य करोड़ में)

वित्त वर्ष	**प्रचालनों से निवल राजस्व (लेवी से टर्नओवर नेट)**	**कुल व्यय**	**लेवी के टर्नओवर नेट का कुल व्यय %**	**कर पूर्व लाभ**	**लेवी के टर्नओवर नेट का कर पूर्व लाभ %**
2014-15	9728	7299	75.03	2740	28.17
2015-16	10833	8174	75.45	3119	28.79
2016-17	10775	8963	83.18	2374	22.03
2017-18	11586	10752	92.80	1344	11.60
2018-19	12336	9801	79.45	2692	21.82

जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण से पता चला है, सकल कारोबार में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए गए लेवी शामिल हैं और यह सकल कारोबार के पर्याप्त हिस्सा है। सकल कारोबार के प्रतिशत के रूप में लेवी 2014-15 में 23.96% से बढ़कर 2018-19 में 41.47% हो गई है। इसके अलावा इसका कंपनियों के मुनाफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह ग्राहकों से एकत्र होकर केंद्रीय/राज्य के खजाने में जमा किया जाता है। किसी कंपनी की लाभप्रदता केवल लेवी के टर्नओवर नेट के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि लेवी के टर्नओवर नेट के % के रूप में कर से पहले लाभ 2014-15 में 28.17% से घटकर 2018-19 में 21.82% हो गया है और यह मुख्य रूप से कर्मचारी लाभ व्यय में वृद्धि के कारण है जो 1000 करोड़ रुपये था। वर्ष 2014-15 में 3897 करोड़ रुपये और 3160 प्रतिशत यानी 100 करोड़ रुपये की वृद्धि

हुई। 2018-19 में 5129 करोड़ रुपये। हालांकि लेवी के टर्नओवर नेट के% के रूप में कर से पहले लाभ में वक्र पैटर्न निम्नलिखित कारणों से है:

1. वित्त वर्ष 2016-17 में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक दोनों के वेतन पुनरीक्षण हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान था।
2. वित्त वर्ष 2017-18 ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रावधान था जिसकी राशि 900 करोड़ रुपये थी। और कंपनी ने उधार पर 102 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया था।

ख) कंपनी का टर्नओवर और नेटवर्थ **(मूल्य करोड़)**

वित्त वर्ष	**प्रचालनों से निवल राजस्व (लेवी से टर्नओवर नेट)**	**नेट वर्थ**	**कर पूर्व लाभ**	**लाभांश एवं लाभांश वितरण कर**
2014-15	9728	5812	1771	427
2015-16	10833	5973	1915	1754
2016-17	10775	3245	1389	4374
2017-18	11586	3479	790	639
2018-19	12336	5143	1704	358
Total				7552

कंपनी की नेटवर्थ में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड कमाई शामिल है।लाभांश और लाभांश वितरण कर लाभ का विनियोजन है अर्थात लाभांश द्वारा कम हुए कर पश्चात लाभ और लाभांश वितरण कर नेटवर्थ का हिस्सा बन जाएगा।

सीसीएल ने वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 तक 7552 करोड़ रुपये लाभांश और लाभांश वितरण कर का भुगतान कर दिया है। और इसके कारण, कारोबार में दिखाई गई वृद्धि कंपनी के नेटवर्थ में परिलक्षित नहीं हो रही है। यहां तक कि नेटवर्थ में एक टेढ़ी मेढ़ी पैटर्न भी दिखाई गई क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष-2016-17 में लाभांश के रूप में 4374 करोड़ रुपये का भुगतान किया जो कंपनी द्वारा अर्जित कर के बाद लाभ से काफी अधिक है। वित्त वर्ष 2016-17 में कंपनी ने संचित लाभ में से

लाभांश और लाभांश वितरण कर का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप नेटवर्थ में वित्त वर्ष 2015-16 में 5973 करोड़ से वित्त वर्ष 2016-17 में 3245 करोड़ रुपये।

ग) टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, प्रोडक्शन एंड आउटपुट प्रति मैन शिफ्ट (ओएमएस)

(मूल्य करोड़ में)

वित्त वर्ष	**प्रचालनों से निवल राजस्व (लेवी से टर्नओवर नेट)**	**कुल व्यय**	**निवल लाभ (पीएटी)**	**उत्पादन (.ट.मि)**	**आउटपुट पर मैन शिफ्ट (ओएमएस)**
2012-13	8556	6578	1886	48.06	4.42
2013-14	8556	6666	1672	50.02	4.64
2014-15	9728	7299	1771	55.65	5.46
2015-16	10833	8174	1915	61.32	6.51
2016-17	10775	8963	1389	67.05	7.23
2017-18	11586	10752	790	63.41	7.20
2018-19	12336	9801	1704	68.72	8.09

जैसा कि समिति द्वारा देखा गया है, 7 वर्षों की अवधि के दौरान अर्थात वित्त वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक कोयला उत्पादन 48.06 मीट्रिक टन से बढ़कर 68.72 मीट्रिक टन (42.99% वृद्धि) हो गया है जबकि शुद्ध लाभ (पीएटी) में 9.65% की कमी आई है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उत्पादन, ऑफटेक और ओएमएस में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन लागत में भी सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। इसी अवधि में कंपनी की कुल लागत में 48.99% की वृद्धि हुई है और एक श्रम प्रधान कंपनी होने के नाते लागत घटक का बड़ा हिस्सा कर्मचारी लाभ व्यय है जो कुल लागत का लगभग 51% है। 2012-13 से 2018-19 तक कर्मचारी लाभ व्यय में 1606 करोड़ रु. तक वृद्धि की गई है।

घ) लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल और राजकोष में योगदान

(मूल्य करोड़ में)

वित्त वर्ष	कर से पहले लाभ	लगाई गई पूंजी (रि-स्टेटेड)	लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल (%)	लाभांश	लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	डीडीटी सहित राजकोष में योगदान
2016-17	2374	4190	56.60	3634	740	7167
2017-18	1344	3345	41.48	531	108	6567
2018-19	2692	5502	48.93	297	61	6512

समिति द्वारा देखा गया है कि 2016-17 में लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल 56.60% से घटकर 2018-19 में 48.93% हो गया है। इस अवधि के दौरान तोरी-शिवपुर रेल लाइन परियोजना में 1117 करोड रु. का पूंजी निवेश किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कुल लगाई गई पूंजी में वृद्धि हुई लेकिन परियोजना के पूरा होने के बाद प्रतिफल मिलने की उम्मीद है। रिर्पोटिंग की तारीख पर वर्तमान देयता (1600 करोड़ रु. राशि के कोयले की ब्रिकी के लिए ग्राहकों से अग्रिम जमा) में वृद्धि होने के कारण वित्त वर्ष 2017-18 में लगाई गई पूंजी में कमी आई है।

जहां तक राजकोष में अंशदान में कमी का संबंध है, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 3634 करोड़ के लाभांश की तुलना में वित्त वर्ष 2016-17 में 740 करोड़ रु. का लाभांश वितरण कर का भुगतान किया गया था।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

डाटा रखरखाव प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

सिफारिश *(क्रम सं .5.1)*

समिति ने यह पाया है कि उसके समक्ष प्रस्तुत डाटा में कर से पहले लाभ (पीबीटी) और कर के बाद लाभ के मामले में दो पृथक दस्तावेजों में अंतर है। प्रारंभिक

सामग्री में दिए गए डाटा के अनसार वर्ष **2017-18, 2016-17** और **2015-16** में पीबीटी को क्रमश: **1344** करोड़ रूपये**, 2374** करोड़ रूपये और **3119** करोड़ रूपये दर्शाया गया है। तथापि**,** दिनांक **13.11.2019** को चर्चा के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत डाटा में वर्ष **2017-18, 2016-17** और **2015-16** के पीबीटी को क्रमश: **1387** करोड़ रूपये**, 2371** करोड़ रूपये और **3103** करोड़ रूपये दिखाया गया है। इसी प्रकार समिति के समक्ष प्रस्तुत पीएटी के डाटा में वर्ष **2017-18, 2016-17** और **2015-16** के लिए पीएटी को क्रमश: **790** करोड़ रूपये**, 1389** करोड़ रूपये**,** और **1915** करोड़ रूपये दिखाया गया है लेकिन दिनांक **13** नवंबर, **2019** को चर्चा के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत डाटा में वर्ष **2017- 18, 2016-17** और **2015-16** के लिए पीएटी को क्रमश: **808** करोड़ रूपये**, 1387** करोड़ रूपये और **1923** करोड़ रूपये दिखाया गया है। समिति यह देखकर चिंतित है कि दो भिन्न अवसरों पर समिति के समक्ष सीसीएल द्वारा प्रस्तुत डाटा में अंतर है। समिति का यह दृढ़ मत है कि ऐसे उदाहरण कंपनी की डाटा रखरखाव प्रणाली की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाते हैं। अंत: समिति मंत्रालय/सीसीएल को निदेश देती है कि वह दो भिन्न अवसर पर पीबीटी और पीएटी पर दो तरह के अलग-अलग डाटा प्रस्तुत करने के कारण सहित एक स्पष्टीकरण संबधी नोट प्रस्तुत करने और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करे।

सरकार का उत्तर

पीबीटी एवं पीएटी

(मूल्य करोड़ में)

वित्त वर्ष	**कर से लाभ**	**कर से लाभ (रि-स्टेटेड)**	**कर के बाद लाभ**	**कर के बाद लाभ (रि-स्टेटेड)**
2015-16	3119	3109	1915	1929
2016-17	2374	2371	1389	1387
2017-18	1344	1387	790	808

इंड एएस वित्त वर्ष 2016-17 से लागू किया गया था। इंड एएस आंकडों के प्रावधानों के अनुसार 2015-16 के आंकडों को रि-स्टेट किया गया था। तद्नुसार, पीबीटी एवं पीएटी के आंकडों को रिस्टेटेड करते हुए क्रमश: 3109 करोड़ रु. और 1929 करोड़ रु. कर दिया गया था।

इंड एएस के कार्यान्वयन से पहले, लाभ और हानि के विवरण में पूर्व अवधि के समायोजन को अलग से बताया जाना आवश्यक था।
इंड एएस 8 के पैरा 41 और 42 के अनुसार, इंड एएस के कार्यान्वयन के बाद, वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत पूर्व अवधि को रिस्टेट करते हुए पूर्व अवधि की मदों को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के आंकड़ों को रिस्टेट किया गया।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

जनशक्ति प्रबंधन

सिफारिश (क्रम सं. 6.1)

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि वर्ष **2009-10** में **53,305** के स्तर से वर्ष **2018-19** में **40,000** के स्तर तक जनशक्ति की संख्या में कटौती किए जाने के बावजूद अपने कोयला उत्पादन जो वर्ष **2009-2010** में **47** मिलियन टन के तौर पर था**,** को वर्ष **2018-19** में **68.7** मिलियन टन के स्तर तक बढ़ाने में सफल रहा है। समिति यह जानकर भी प्रसन्न है कि 'आउटपुट पर मेन शिफ्ट' जो वर्ष **2009-10** में **3.66** था वर्ष **2018-19** में बढ़कर **8.09** हो गया है और इस उपलब्धि का कारण 'ग्रीनफील्ड परियोजनाओं' में और अधिक यंत्रीकृत और पूंजी सघन प्रक्रियाओं को अपनाना है। समिति के विश्लेषण में भी यह बताया गया है कि सीधी भर्ती के माध्यम से नियोजित जनशक्ति के अलावा रोजगार और काश्तकारों को भी दिया गया है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और कुछ कार्य आउटसोर्स भी किए गए हैं। समिति ने यह भी पाया है कि कंपनी के प्रचालनों को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल जनशक्ति मुहैया कराने के उद्देश्य से कौशल के उन्नयन हेतु तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इस संबंध में **15** जुलाई **2016** को सीआईएल की सभी कंपनियों में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। सीसीएल के प्रबंधन द्वारा जनशक्ति की संख्या में कटौती किए जाने के बावजूद 'आउटपुट पर मैन शिफ्ट' कोयला उत्पादन और सकल कारोबार में सफलतापूर्वक बढ़ोतरी किए जाने की सराहना करते हुए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सीसीएल निम्नलिखित कार्य करें **:- (i)** अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक यंत्रीकृत

प्रक्रियाओं को शुरू करने की संभावना तलाशे ताकि मानवीय प्रक्रियाओं पर निर्भरता को कम किया जा सके; और (ii) प्रभावकारी क्षमता वर्धन उपाय शुरू करे ताकि मानव संसाधनों का उपयोग करके उनसे बेहतर और बढ़ी हुई उपलब्धि प्राप्त की जा सके।

सरकार का उत्तर

(i) कंपनी कोयला लोडिंग के लिए उच्च क्षमता वाले एचईएमएम, सतह खनिक, कंटिन्यूअस माइनर, सीएचपी और साइलो शुरू करके मशीनीकरण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ii) कर्मचारी क्षमता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें कर्मचारियों और प्रबंधन दोनों की ओर से लर्निंग और विकास शामिल है। सीसीएल में, लर्निंग और विकास गतिविधियों को इनहाउस आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण और- विकास कार्यक्रमों के माध्यम से और कर्मचारियों को कंपनी से बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजकर, किया जा रहा है। एचआरडी विभाग, सीसीएल के तत्वावधान में केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (सीईटीआई), भुरकुंडा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान और प्रबंधन प्रशिक् (बीटीआई)षण केंद्र (एमटीसी), मुख्यालय, रांची में ऑन जॉब ट्रेनिंग सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यपालक अपने प्रबंधकीय कौशल और नेतृत्व क्षमताओं के उन्नयन के लिए रांची में भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान, सीआईएल में विकास कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं। तकनीकी क्षमता के निर्माण के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे खनन और अन्य विषयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और बीटीआई और सीईटीआई में किया जा रहा है।

कार्यपालकों, फ्रंटलाइन सुपरवाइजरों के लिए कौशल विकास और गैरका-र्यपालकों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रमों को एमटीसी, एचआरडी, सीसीएल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इनहाउस प्रशिक्षण गतिविधियों के अलावा-, कर्मचारी कंपनी के बाहर एएससीआई, हैदराबाद जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में सम्मेलनों, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं।

कोविड 19 महामारी के कारण, इस वर्ष ऐसे कार्यक्रमों में कर्मचारियों की भागीदारी सीमित रही लेकिन क्षमता निर्माण उपायों के हिस्से के रूप में कोविड 19 के संबंध में सरकार के सभी दिशा-निर्देशों सुरक्षा उपायों का पालन करने हुए निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए थे। 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

- हेवी अर्थ मूविंग मशीन ओपरेटरों के लिए मूल प्रशिक्षण कार्यक्रम : 100
- 2020-21 में ग्रुप वीटीसी द्वारा कर्मचारियों का प्रशिक्षण: 1959
- खनन और अन्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण; (ऑन द जॉब): 174
- कार्यपालकों के लिए इन-हाउस विकास कार्यक्रम : 504
- कंपनी से बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबीनार): 143

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

वॉशरियों को शुरू करना/कार्य निष्पादन

सिफारिश (क्रम सं .7.1)

समिति नोट करती है कि सीसीएल के चार कोकिंग कोल धोवनशालाएं और तीन गैर-कोकिंग कोल धोवनशालाएं हैं। सीसीएल की धोवनशालाओं ने वर्ष 2018 19 के दौरान कंपनी के समग्र लाभ में 253.90 करोड़ रूपये का योगदान दिया है। समिति यह भी नोट करती है कि धुले हुए मध्यम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) के उत्पादन के आंकड़े वर्ष 2017-18 में 11.15 लाख टन की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 8-04 लाख टन रहे। डब्ल्यूएमसीसी के उत्पादन आंकड़े संभावित ग्राहकों की तरफ से मांग नहीं होने के कारण अप्रैल 2018 से लेकर जुलाई 2018 तक की अवधि के दौरान कम रहे। तीन गैर-कोकिंग कोल धोवनशालाओं में से एक धोवनशाला, अर्थात, कारगाली धोवनशाला को वर्ष 2016-2017 और वर्ष 2017-2018 के दौरान बंद कर दिया गया था और यह अप्रैल 2018 में पुन: शुरू हुई। 2018-19 के दौरान कारगाली धोवनशाला ने 1.12 लाख टन गैर-कोकिंग कोल का उत्पादन किया। समिति नोट करती है कि शेष दो गैर-कोकिंग कोल धोवनशालाओं में से गिडी धोवनशाला ने 1 लाख टन से भी कम धुले हुए गैर कोकिंग कोल का उत्पादन किया और सीसीएल अपनी एक प्रमुख गैर -कोकिंग कोल धोवनशालाओं, अर्थात, पीपरबाड़ धोवनशाला पर पूरी तरह से निर्भर है जिसने वर्ष 2018-19 के दौरान 64.30 लाख टन घुले हुए गैर-कोकिंग कोल का उत्पादन किया। रोचक बात यह है कि आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सीसीएल का लाभ जो इसने धोवनशालाओं के माध्यम से कमाया है उसमें से अधिकांश लाभ अकेली पीपरखाड़ गैर-कोकिंग कोल धोवनशाला द्वारा कमाया गया है। यह इस तथ्य से साबित होता है कि गैर-कोकिंग कोल

धोवनशालाओं (अधिकांशत: पीपरवाड़) ने 376.73 करोड़ रूपये के लाभ का योगदान दिया और चार कोकिंग कोल धोवनशालाओं ने 122.82 करोड़ रूपये के घाटे का योगदान दिया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान सीसीएल को अपनी धोवनशालाओं से 253.91 करोड़ रूपये का निवल लाभ प्राप्त हुआ। कोकिंग कोल धोवनशालाओं का उत्पादन प्रतिशत 35.69% रहा जबकि यह गैर-कोकिंग कोयले के मामले में 97.96% रहा। अत: समिति यह सिफारश करती है कि सीसीएल कोकिंग कोल धोवनशालाओं के इतने कम उत्पादन के कारणों की जांच करे और कोकिंग कोल धोवनशालाओं के संस्थापित क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए शीघ्र आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए ताकि इन धोवनशालाओं से न केवल बेहतर उत्पादन मिले बल्कि बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त स्वदेशी उपलधता भी सुनिश्चित हो सके जिससे आयात पर हमारी निर्भरता अधिक से अधिक कम हो पाएगी।

सरकार का उत्तर

कोकिंग कोल वॉशरीज से कम प्रतिफल के कारण:

1. कंपनी की खानों में अच्छी गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले के भंडार में कमी के कारण वाशरियों को आपूर्ति किए जाने वाले कोकिंग कोल की गुणवत्ता कम हो गई है। वॉशरियों को कोकिंग कोल फीड के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें 26-27% की राख होती है अर्थात डब्ल्यू- III ग्रेड तक कच्चे कोयले की प्रोसेसिंग। डब्ल्यू- II और डब्ल्यू- III ग्रेड कोयले का योगदान कुल कच्चे कोयले के फीड का लगभग 25% है और बाकी 75% डब्ल्यू- IV ग्रेड और उससे ऊपर (राख लगभग 35%) का है। स्थापित उपकरण उच्च ग्रेड/राख के कच्चे कोयले की हैंडलिंग से लैस नहीं हैं जिनकी धुलाई क्षमता खराब है। इससे वाशरी के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
2. सभी कोकिंग कोल वॉशरीज ने 18-20 वर्ष का अपना तकनीकी जीवन पूरा कर लिया है ।

बेहतर उत्पादकता/इष्टतम उपयोग के लिए उठाए गए कदम:

1. 40.70 करोड़ रुपए (जीएसटी सहित) की राशि से रजरप्पा वाशरी के नवीकरण की योजना बनाई गई है जिसे वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही तक निष्पादित किया जाएगा।.
2. कथारा वाशरी के विभिन्न उपकरणों के समय-समय पर व्यापक रख-रखाव की योजना बनाई गई है। संयंत्र में मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है।

3. केडला वाशरी के जिग्स (मुख्य धुलाई उपकरण) के समय-समय पर व्यापक रखरखाव की योजना बनाई गई है। मैंटेनेंस का काम शुरू हो गया है।

4. गिदी और करगली वाशरियों को सुरक्षा कारणों से पहले ही बंद कर दिया गया है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

वॉशरियों को शुरू करना/कार्य निष्पादन

सिफारिश (क्रम सं .7.2)

समिति यह भी नोट करती है कि सीसीएल बिल्ड ओन एंड ऑपरेट (बीओओ) संकल्पना के आधार पर 7 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम टी वाई) की क्षमता वाले 2 कोकिंग कोल धोवनशालाओं और 8 एम टी वाई क्षमता के 3 नॉन कोकिंग कोल धोवनशालाओं को लगाने की प्रक्रिया में है। समिति को सूचित किया गया है कि नई कोकिंग कोल धोवनशालाओं के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा पुरानी कोकिंग कोल धोवनशालाओं को बदलने के पश्चात सीसीएल 14-15% राख की मात्रा के साथ वाश्ड कोकिंग कोल उत्पादन की योजना बना रहा है जो इस्पात उत्पादन में प्रयोग होता है। चूंकि कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता का घरेलू उत्पादन इस्पात क्षेत्र की मांग से कम है अत: 14-15% राख की मात्रा के कोकिंग कोल का आयात किया जाता रहा है। आयातित कोयले की मात्रा 2018-19 में 52 एमटी थी। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2018-19 के दौरान कोकिंग कोल धोवनशालाओं में 122.82 करोड़ रूपए की हानि हुई और साथ ही अप्रैल 2018 से जुलाई 2018 तक वाश्ड मिडियम कोकिंग कोल की कोई मांग नहीं थी, समिति यह समझने में असमर्थ है कि ऐसा किस प्रकार हुआ कि एक तरफ देश प्रचुर मात्रा में वाश्ड कोकिंग कोल का आयात कर रहा है और दूसरी ओर उसकी विदेशी मांग में कमी आ रही है। अत: समिति चाहती है कि सीसीएल इस अजीब स्थिति का पूरा विश्लेषण करे और वाश्ड कोकिंग कोल की वास्तविक मांग और संभावित उपभोक्ताओं का वास्तविक मूल्यांकन करे ताकि कोयला धोवनशालाओं की संस्थापित क्षमता का इष्टतम उपयोग हो सके और नई कोयला धोवनशालाओं में निवेश के बेहतर लाभ मिल सके। समिति का यह मत है कि इन परियोजनाओं के वांछित मात्रा में कोयले के आयात निर्भरता को कम करने में बड़ी भूमिका है और अत: यह सिफारिश करती है कि इन कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल धोवनशालाओं को संचालित करने और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र इष्टतम क्षमता उपयोग के साथ चलाने की आवश्यकता है। समिति का यह मत है कि विदेशी कोयला कंपनियों द्वारा कोयले के घरेलू उत्पादन और विद्युत

कंपनियों द्वारा उनका तापीय ऊर्जा उत्पादन में उपयोग न केवल बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित करते हैं, जीडीपी में योगदान करते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अत: समिति यह महसूस करती है कि कोयले के आयात के विनियमन में इस प्रकार नीतिगत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है कि हमारे कोयले के भंडार का इष्टतम उपयोग हो सके और कोयले का घरेलू उत्पादन भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो सके और साथ ही तापीय ऊर्जा और इस्पात के उत्पादों का मूल्य आयातित कोयले के उपयोग के कारण न बढ़े। समिति यह आशा करती है कि सरकार इस संबंध में शीघ्र पहल करेगी।

सरकार का उत्तर

कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियां और बंदरगाह के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। यह समिति प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ एक बड़े मंच पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करती है ताकि कोयले के आयात को समाप्त करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्र के कोयला उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जा सके। आईएमसी की अब तक नौ बैठकें हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देश पर कोयला मंत्रालय द्वारा आयात डाटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात पर नज़र रख सकें।

घरेलू कोयले की खपत में वृद्धि की दिशा में एक प्रमुख प्रयास के रूप में, उन मामलों, जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (गैर-तटीय) के 90% तक कम कर दिया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्र) के 70% तक कम कर दिया था, में विद्युत संयंत्रों की वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे 79 गैर-तटीय विद्युत संयंत्र हैं जहां एसीक्यू में 10% (लगभग 10.5 मि.ट.) की वृद्धि होगी और 5 तटीय विद्युत संयंत्रों के एसीक्यू में 30% (लगभग 9 मि.ट.) की वृद्धि होगी। एसीक्यू में वृद्धि से विद्युत संयंत्रों को अधिक घरेलू कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

उपर्युक्त के अलावा, 75% के ट्रिगर स्तर वाले या आपूर्ति के बढ़े हुए स्तर वाले संयंत्रों के लिए 75% से 80% तक ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) के ट्रिगर स्तर में वृद्धि, बैंक से ऋण सुविधा का लाभ उठाने में उपभोक्ता की मदद करने के लिए यूसेन्स एलसी (लेटर ऑफ क्रेडिट) भुगतान तंत्र की सुविधा की शुरूआत, व्यापारियों सहित कोयला आयातकों के लिए स्पेशल स्पॉट नीलामी योजना जैसे अन्य कुछ उपायों से कोयले के आयातों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के तहत अल्पावधि के लिए पेश किए गए कोयले के साथ-साथ 30 वर्षों तक की अवधि के लिए गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेजों की अवधि में वृद्धि का कोयला आयात प्रतिस्थापन की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

क्षमता वाली परियोजनाओं की समय पर समाप्ति की मॉनीटरिंग

सिफारिश (क्रम सं .8.1)

समिति यह नोट करती है कि सीसीएल की पांच नई उच्च क्षमता वाली परियोजनाएं यथा संघमित्रा, चंद्रगुप्त, कोत्रे-बसंतपुर-पाचमो, पत्रातु एबीसी और पीपरवार फेज-1 शुरू होने वाली है। तथापि समिति यह देखती है पूर्व की कई ग्रीनफील्ड परियोजनाएं विभिन्न कारणों से विलंबित हुई हैं। एनंऊरीमरी जैसी ग्रीनफील्ड परियोजना जिसे अप्रैल **2005** में लगाया जाना था, को **8** वर्ष से अधिक के विलंब के बाद अक्तूबर **2013** में स्थापित किया गया। इसी प्रकार, मगध, आम्रपाली, कोनल नामक ग्रीनफील्ड परियोजना को **2006** में स्थापित किया जाना था, को लगभग **9** वर्षों के विलंब के बाद **2014/2015** में स्थापित किया गया। इन उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए मॉनीटरिंग तंत्र के बारे में पूछे जाने पर समिति को यह सूचित किया गया कि निगरानी प्रणाली विद्यमान है जिसमें अन्य बातों के साथसाथ निम्नवत शामिल है-: (**i**) परियोजना मॉनीटरिंग टीम द्वारा परियोजनाओं के प्रारंभ करने और पूर्ण होने से संबंधित कार्यकलापों की निगरानी (**ii**) सीसीएल बोर्ड की प्रत्येक बैठक में चल रही परियोजनाओं

की स्थिति की समीक्षा (**iii)** कोयला सचिव द्वारा **150** करोड़ रूपए से अधिक अथवा **3** एम टी वाई क्षमता से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की तिमाही समीक्षा और **(iv)** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी पी आई आई टी) के परियोजना मॉनीटरिंग ग्रुप और साथ ही सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) द्वारा परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि परियोजनाओं के विभिन्न तौर पर प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करने हेतु बहु आयामी मॉनीटरिंग प्रणाली विद्यमान है और यह आशा करती है कि इस प्रणाली से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। तथापि सीसीएल के पूर्व उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलंब को नोट करते हुए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि पर्यावरण, वन, भूमि अधिग्रहण आदि जैसे मुद्दों पर सभी सांविधिक/विनियामक अनापत्ति की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सुनियोजित तंत्र बनाने के लिए भावी कदम उठाए जाएं और यदि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन/ निष्पादन की प्रक्रिया में कोई अपरिहार्य समस्या उत्पन्न होती है जिससे परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब हो, तो उन समस्याओं को पदक्रम के उच्चतम स्तर पर लिया जाना चाहिए ताकि समस्याओं का समय पर समाधान हो सके ओर अनावश्यक विलंब न हो।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय स्तर पर फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कुल 44.5 एमटीपीए की क्षमता वाली सीसीएल की 4 एफएमसी परियोजनाएं हैं। सभी 4 परियोजनाओं के टेंडर पहले ही दिए जा चुके हैं और सभी 4 परियोजनाओं को नवंबर, 2023 तक चालू किया जाना है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

कोयला उत्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग लौंगवॉल - प्रौद्योगिकी

सिफारिश (क्रम सं .9.1)

समिति ओपन कास्ट खानों में सरफेस माइनरों को अपनाने, निरंतर माइनरों और लौंगवॉल माइनिंग, कोयला हैडलिंग संयंत्रों (सीएचपी)/ खानों में सिलों के माध्यम से रैपिड लोडिंग प्रणाली शुरू करने, रेलवे साइडिंग स्थापित करने आदि जैसे विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को नोट करती है जिससे सीसीएल को अपने उत्पादन, खनिज पदार्थों के संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिली है। समिति उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पाती है कि आज की तिथि के अनुसार पूरे विश्व में लौंगवाल प्रौद्योगिकी सबसे अधिक लाभकारी है। हालांकि ओपन कास्ट खनन प्रणाली एक निश्चित गहराई तक के कोयला डिपॉजिट के लिए किफायती है परंतु लौंगवॉल प्रौद्योगिकी गहरे कोयला भंडार को अधिक क्षमता के साथ प्रभावी रूप से निष्कर्षण करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त, यह प्रौद्योगिकी यह सुनिश्चित करती है कि ओवरबर्डन के लिए किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता न पड़े और यह इंकलाइन के माध्यम से कोयले तक आसानी से पंहुच जाती है जिससे निवेश करने पर शीघ्र लाभ मिलता है और साथ ही उस क्षेत्र की भूमि वनस्पति और जीव -जंतुओं को कम -से-कम हानि पंहुचती है। समिति को यह सूचित किया गया है कि सीसीएल लौंगवॉल प्रौद्योगिकी को पत्रातु एबीसी में अपने प्रस्तावित उच्च क्षमता वाले अंडरग्राउंड माइन परियोजना में लगाने वाला है। लौंगवॉल प्रौद्योगिकी के ओपन कास्ट खनन की तुलना में लाभ को देखते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि कंपनी और संरक्षण के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लौंगवॉल प्रौद्योगिकी का अन्य अंडरग्राउंड खानों में उपयोग करने की संभाव्यता पर भी विचार करे।

सरकार का उत्तर

सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए डीप सीटेड कोयला निक्षेपों वाली अन्य-भूमिगत खानों में लांगवॉल प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम)*:*

(क) एचईएमएम की उपलब्धता

सिफारिश (क्रम सं. 10.1)

समिति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि सीसीएल का 99% से अधिक कोयला उत्पादन ओपन कास्ट माइनिंग से आता है और वर्ष 2018-19 में कंपनी के पूरे ओपन कास्ट कोयला उत्पादन में 32% सरफेस माइनिंग का योगदान था। समिति ने यह पाया कि ओपन कास्ट माइनिंग में लगाए गए शोवल, डंपर, डोजर और ड्रिल जैसे हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एच ई एम एम) पर्यावरण-अनुकूल और प्रदूषण कम करने वाले उपकरण हैं। उदाहरणतया ड्रिलिंग मशीन में इनबिल्ट डस्ट सप्रेशन प्रणाली होती है जो ओपन कास्ट माइनिंग में प्रदूषण कम करता है। सीसीएल द्वारा शोवल, डंपर, डोजर और ड्रिल जैसे हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एच ई एम एम) की उपलब्धता के आंकड़े दर्शाते हैं कि इन्हें कमोबेश कंपनी द्वारा निर्धारित मानक के अनसार उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरणतया शोवल, ड्रिल, डोजर और डंपर की मानदंड के अनुसार 80%, 78%, 70% और 67% उपलब्धता की तुलना में इन मशीनों की वास्तविक उपलब्धता प्रतिशतता में क्रमश: 75.2%, 82.3%, 73% और 72.9% थी जो कि शोवल जिसमें थोड़ी कमी थी, को छोड़कर लगभग सभी श्रेणियों में निर्धारित मानदंडो से अधिक है।

सरकार का उत्तर

हमने डम्पर**,** डोजर और ड्रिल के संबंध में उपलब्धता के सीएमपीडीआईएल मानदंडों को हासिल किया है और शॉवल के संबंध में सीएमपीडीआईएल मानदंडों से मामूली रूप से नीचे है। यह मुख्य रूप से उपकरणों अर्थात ईकेजी और मैरियन शॉवल के पुराने पड़ने**,** और खराब सेवा सहायता और ओईएम से कलपुर्जों की आपूर्ति के कारण है। शॉवल के संबंध में उपलब्धता की इस कमी को रखरखाव की सर्वोत्तम पद्धतियों अर्थात शर्त आधारित रखरखाव**,** विश्वसनीयता केंद्रित रखरखाव और महत्वपूर्ण विफलताओं के ब्रेक डाउन विश्लेषण को अपनाकर दूर किया गया है। इसके परिणामस्वरूप शॉवल के संबंध में उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और हमने 2020-21 में 79.2% की वृद्धि हासिल की है जबकि 2018-19 के दौरान यह 75.2% थी।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं

सिफारिश (क्रम सं. 11.1)

समिति यह देखती है कि खनन कार्यकलापों के खनन क्षेत्रों के आस-पास पर्यावरण, मानव जीवन, वनस्पति और जीव-जंतुओं पर काफी प्रभाव पड़ता है। समिति कोयला मंत्रालय और सीसीएल द्वारा एकीकृत परियोजना आयोजना, प्रदूषण कम करने; प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने, पारिस्थितिकी का पुनर्गठन करने; अपशिष्ट के उचित निपटारे आदि के माध्यम से खानों के आसपास के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों को नोट करती है। समिति यह अपेक्षा करती है कि इन उपायों को और अधिक एकीकृत और संरचनात्मक तरीके से जारी रखा जाएगा ताकि पर्यावरण संबंधी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके।

सरकार का उत्तर

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) एकीकृत परियोजना आयोजना, प्रदूषण शमन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारिस्थितिकी की बहाली, अपशिष्ट का उचित निपटान, जलवायु परिवर्तन और समावेशी विकास के समाधान के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोल इंडिया पर्यावरण नीति, 2018 के प्रावधानों का, जो सतत विकास के सिद्धांतों को दर्शाते हैं, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में पालन किया जाता है। सीसीएल में प्रावधानों का पालन करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं-

1. - समेकित परियोजना आयोजन

- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 1994 (अब ईआईए अधिसूचना, 2006 द्वारा अधिक्रमणित) और ईआईए, 2006 के प्रावधानों के अनुसार सीसीएल की खानों / इकाइयों को शुरू, विस्तारित और संचालित किया जाता है। सतत खनन/प्रचालन के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाती है जिसमें प्रभावों को कम करने, प्रदूषण नियंत्रण, जैवविविधता संरक्षण, पीएपी का पुनर्वास और पुनर्स्थापन एवं माइन क्लोजर योजना के लिए

उपायों को शामिल किया जाता है। कोयला परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति (ईसी) जारी करने से पहले एमओईएफएंडसीसी द्वारा ईआईए-ईएमपी का मूल्यांकन किया जाता है।

- पर्यावरण मंजूरियों की शर्तों का अनुपालन पब्लिक डोमेन में डाला गया है। ईसी वाली सभी खानों/इकाइयों के लिए छमाही अनुपालन रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय, एमओईएफएंडसीसी, रांची और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है।
- सीसीएल की खानों/इकाइयों का पर्यावरण विवरण भी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है और कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुपालन में, वन भूमि से संबंधित परियोजनाओं के मामले में एमओईएफएंडसीसी से पूर्व वानिकी मंजूरी भी प्राप्त की जाती है।
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत नई और विस्तार परियोजनाओं के लिए कन्सेंट टू इस्टेबलिशमेंट (सीटीई) और परिचालन इकाइयों के लिए कन्सेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) भी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त किया जाता है।

2. **वायु प्रदूषण को कम करना** -

- **पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी:** खानों / इकाइयों की पर्यावरणीय गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सीसीएल की सभी खानों / इकाइयों की पर्यावरण निगरानी की जाती है। पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट नियमित रूप से जेएसपीसीबी और एमओईएफऔरसीसी को प्रस्तुत की जाती हैं। निम्नलिखित प्रकार के स्टेशनों की निगरानी की जाती है -

(क) परिवेशी वायु गुणवत्ता और शोर-गुल स्तर निगरानी स्टेशन - कोर और बफर जोन दोनों में**;**

(ख) जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन - खान डिस्चार्ज, सतह और भूजल की गुणवत्ता।

वायु में टोटल पार्टिकुलेट मैटर के लगभग 6000 सैंपल, वायु में पीएम 2.5 के 6000 सैंपल, शोरगुल के 4200 सैंपल, 2200 पानी के सैंपल (सतही जल, बहिःस्राव जल और भूजल गुणवत्ता) का सीएमपीडीआईएल की एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के माध्यम से सीसीएल की विभिन्न खानों और इकाइयों में हर साल विश्लेषण किया जाता है।

- **खनन क्षेत्र में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन -**

क. शॉवल डम्पर प्रणाली के स्थान पर कोयला खनन के लिए **सतही खनिकों** का उपयोग। सतही खनिकों ने कोयले की ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इसके अलावाश् सभी बड़ी परियोजनाओं में कोल विनिंग की पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जाएगा।

ख. ड्रिलिंग खानों में धूल का एक अन्य प्रमुख स्रोत है और सीसीएल में लगभग 117 ड्रिलों में **डस्ट एक्सट्रैक्टर्स/वेट ड्रिलिंग मैकेनिज्म** उपलब्ध कराए गए हैं।

ग. सभी ओपनकास्ट खानों में बड़ी क्षमता वाले मोबाइल स्प्रिंकलर हैं। 28 केएल क्षमता के लगभग 61 मोबाइल स्प्रिंकलर तैनात किए गए हैं और अब सीसीएल ने केवल मिस्ट प्रकार वाले स्प्रिंकलर खरीदने की पहल की है जो सामान्य स्प्रिंकलर से तकनीकी रूप से बेहतर हैं, 28 केएल क्षमता के लगभग 20 मिस्ट टाइप स्प्रिंकलर पहले ही तैनात किए जा चुके हैं।

घ. **रेलवे साइडिंग पर डस्ट स्क्रीन उपलब्ध कराना** - रिसेप्टर्स को धूल से बचाने के लिए अब रेलवे साइडिंग के साथ डस्ट स्क्रीन लगाए जा रहे हैं।

ड. उपभोक्ता के स्तर पर वायु गुणवत्ता का प्रबंधन-दो नई वाशरीज (नई कथारा कोकिंग कोल वाशरी और बसंतपुर-तापिन कोकिंग कोल वाशरी) की स्थापना की जाएगी जो स्वच्छ कोयले का उत्पादन करके प्रदूषण को कम करेगी।

च. मगध, आम्रपाली, उत्तरी उरीमारी और कोनार ओसीपी में एफएमसी परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। इनके निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी किया जा चुका है।

छ. सीसीएल ने पहले चरण में अपने 25 रेलवे साइडिंग पर पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 10) डस्ट मॉनिटर लगाए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में 14 कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन (सीएएक्यूएमएस), रोड स्वीपिंग मशीन और फॉगगन की खरीद पूरी कर ली जाएगी।

3. **प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण-**

क) **खानों में वनरोपण** में खनन क्षेत्र का पुनरूद्धार, एवेन्यू प्लांटेशन और ब्लॉक प्लांटेशन शामिल हैं। अब तक सीसीएल ने लगभग 84 लाख पौधे लगाए हैं और जैविक रूप से पुनरूद्धारित क्षेत्र 2754 हेक्टेयर है। ईसी शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण का घनत्व प्रति हेक्टेयर 2500 पौधे होना चाहिए और सीसीएल में इसका पालन किया जा रहा है। ईसी में निर्धारित शर्त के अनुसार, हर तीन साल में एक बार 5 मिलियन घन मीटर से कम की समग्र क्षमता वाली खानों के लिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कोयला खनन परियोजनाओं में भूमि सुधार की प्रगति की निगरानी की जाती है। 5 मिलियन घन मीटर से अधिक की समग्र क्षमता वाली बड़ी परियोजनाओं के मामले में हर साल भूमि सुधार की स्थिति की निगरानी की जाती है।

ख) **सीड बॉल प्लांटेशन:** कारो ओसीओ, कोनार ओसीपी, भुरकुंडा कोलियरी, पिपरवार क्षेत्र और चयनित धोरी जीओएम सहित सीसीएल की खानों के ओवरबर्डन डंपों पर लगभग 8 लाख सीड बॉल फैलाए गए हैं।

मॉनसून की पहली बारिश के बाद, ओबी डम्प्स पर फैले सीड बॉल्स पर 1 इंच से 3 इंच की वृद्धि देखी जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सीसीएल की कई खानों में ओवरबर्डन डंप पर लगभग 44.1 लाख सीड बॉल 34.6 हेक्टेयर में फैले हुए थे।

ग) **खान जल उपयोग**- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की खानों के पास स्थित गांवों द्वारा 25250 मिलियन गैलन खान के पानी के उपयोग के लिए सीआईएल और झारखंड राज्य सरकार के बीच 30.10.2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, रामगढ़, हजारीबाग एवं पलामू जिले में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु पेयजल और स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार को तीन

संख्या में एनओसी जारी किए गए थे। इससे 40 गांवों की 90,728 आबादी को फायदा होगा।

घ) भूजल पुनर्भरण के लिए परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन।

ड.) पिपरवार ओसीपी की 1.0 हेक्टेयर पुनरूद्धारित भूमि पर एक इको-पार्क विकसित किया गया है। अतिरिक्त 20 हेक्टेयर पुनरूद्धारित भूमि पर चंद्रशेखर वाटिका के रूप में जाना जाने वाला इको-पार्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। 23.07.2020 को वृक्षारोपण अभियान के अवसर पर विस्तार की आधारशिला रखी गई।

4. **पारिस्थितिकी की बहाली-** सीसीएल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सी.आर.बाबू के मार्गदर्शन में लगभग 20 किस्मों के साथ घास के मैदान के विकास द्वारा संगम ओसीपी, ब्रकासयाल क्षेत्र में लगभग 8 हेक्टेयर खनित भूमि का पुनरूद्धार किया है।

5. **मत्स्य पालन के विकास के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम-**

सीसीएल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची और सीएमपीडीआईएल के सहयोग से बरकासयाल क्षेत्र में मत्स्य पालन के विकास के लिए पानी से भरी खानों के विकास की एक और परियोजना शुरू की। यह खानों के स्थायी बंद होने और स्थानीय ग्रामीणों की आय सृजन के लिए एक उदाहरण है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

वृक्षारोपण

सिफारिश (क्रम सं. 12.1)

समिति यह देखती है कि वर्ष 2017, 2018 और 2019 के दौरान क्रमश: 202957, 128025 और 112500 पौधे लगाए गए। कंपनी ने सूचित किया कि

वृक्षारोपण कार्यकलापों को राज्य वन विभाग से आउटसोर्स किया जाता है और नियमित सेंसिंग सर्वेक्षण और पर्यावरण अनुवीक्षण सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) द्वारा किया जाता है। समिति को सूचित किया गया कि राज्य वन विभाग रख-रखाव के दूसरे वर्ष के बाद 60% और अधिक जीवित बचे पौधों के प्रतिशत के साथ वृक्षारोपण कार्य को आगे रख-रखाव के लिए सौंपता है। समिति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि सीसीएल ने पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 11.76 करोड़ रुपये वृक्षारोपण पर खर्च किए हैं और सीसीएल के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे यह सुनिश्चित हो कि अधिकांश लगाए गए पौधे जीवित रहें और अपना पूरा जीवन जीएं। समिति का यह दृढ़ विचार है कि जब तक कंपनी 2 वर्षों के रख-रखाव की अवधि के बाद उन्हें सौंपे गए पौधों के जीवित रहने को सुनिश्चित नहीं करते, वृक्षारोपण से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन कराया जाए जिससे कि एक निश्चित अवधि जैसे पांच से दस वर्षों के बाद लगाए गए पौधों की संख्या और उनमें से वास्तविक रूप में जीवित बचे पौधों की संख्या से संबंधित डाटा का विश्लेषण कर वृक्षारोपण योजना की सफलता का मूल्यांकन किया जा सके और कंपनी ऐसे अध्ययन की खोज के आधार पर एक संरचनात्मक रख-रखाव प्रणाली बनाए ताकि अधिक से अधिक लगाए गए पैधों को जीवित रखना सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

जैसा कि सिफारिश की गई है, वित्त वर्ष 2021-22 में लगाए गए पौधों की संख्या और पांच साल तक पौधों के जीवित रहने का विश्लेषण करके वृक्षारोपण योजना की सफलता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

स्लरी प्रबंधन

सिफारिश (क्रम सं. 13.1)

समिति को यह बताया गया कि स्लरी से कोयले के प्रभावी प्राप्ति के लिए फाइल कोल सर्किट की योजना बनाई गई है जिसमें फिल्टर प्रेस, फ्लोटेशन सेल बैंक और टीटर बेड सेपरेटर शामिल हैं। इससे प्राप्त फाइन वाश्ड कोल को मेन सर्किट द्वारा उत्पादित वाश्ड कोकिंग कोल के साथ मिलाया जाएगा। इन आधुनिक फाइन कोल सर्किटों की प्रभाविता का मूल्यांकन करने के बाद इन प्रौद्योगिकियों को अन्य भावी कोकिंग कोल वाशरियों में शामिल किया जाएगा। सीसीएल द्वारा उठाए गए इन भावी कदमों का स्वागत करते हुए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि स्लरी को सरल सक्शन प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रबंधित किया जाए जिसमें वैक्युम के साथ पाइप/पंप लगे हों जो स्लरी को बाहर निकालेंगे जैसा कि केई विकसित देशों में किया जा रहा है।

सरकार का उत्तर

भावी वॉशरीज़ में शामिल की जाने वाली वॉशिंग टेक्नॉलोजी को अत्याधुनिक तकनीक के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसमें क्लोज सर्किट ऑपरेशन और ज़ीरो अपशिष्ट निर्वहन परिवेश के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के साथ बड़े व्यास के चक्रवात, टीटर बेड सेपरेटर, प्लवनशीलता, फिल्टर प्रेस और स्पाईरल कन्सेंट्रेटर आदि की शुरुआत की गई है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

थोरियम आधारित विद्युत संयंत्र

सिफारिश (क्रम सं. 15.1)

समिति देखती है कि इस विषय पर जांच के दौरान कोयला मंत्रालय/सीसीएल से यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि वे समिति को थोरियम आधारित विद्युत संयंत्र के बारे में अवगत कराएं। यह उल्लेख किया गया है कि यह सूचना परमाणु ऊर्जा विभाग से मांगी गई है। समिति यह देखती है कि थोरियम भावी ऊर्जा आपूर्ति में विश्व भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और कनाडा पिछले कई वर्षों से इस बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। अत: समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि अब समय आ गया है कि हम देश में बड़ी मात्रा में थोरियम डिपोजिट को वाणिज्यिक दोहन के लिए उपयोग करने की संभाव्यता को तलाशें और इस प्रयोजनार्थ कनाडियन तकनीक काफी मददगार सिद्ध हो सकती है। समिति मंत्रालय से यह इच्छा व्यक्त करते हुए कि वे परमाणु ऊर्जा विभाग से शीघ्र सूचना एकत्र करें और उसे यथाशीघ्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। समिति यह भी चाहती है कि उसे वाणिज्यिक प्रयोग के लिए देश में बड़ी मात्रा में थोरियम डिपोजिट का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

कोयला मंत्रालय ने 22 अप्रैल, 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं.11028/1/2019-पीसीए (भाग-I) द्वारा समिति को अपेक्षित सूचना पहले ही प्रस्तुत कर दी है (अनुबंध-**I**)। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने इसकी जानकारी दिनांक 26 अगस्त, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11028/1/2019-पीसीए द्वारा 'सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)' विषय की जांच करने के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करते हुए लोक सभा सचिवालय (सीओपीयू) को भी दी है **(अनुबंध-**II)।

इस संबंध में परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) से प्राप्त अद्यतन उत्तर इस प्रकार है:

देश में थोरियम के विशाल भंडार के दोहन की संभावना तलाशने के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक घटक इकाई, इंडिया गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आईजीसीएआर) ने एक अनूठी सुविधा कामिनि (कलपक्कम मिनी रिएक्टर) को शुरू किया है। थोरियम के विशाल संसाधनों का उपयोग करने की दिशा में देश में परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण के अग्रणी। कलपक्कम में यू233 ईंधन से युक्त, 30 केई,

हल्का पानी मध्यम और ठंडा, अनुसंधान रिएक्टर को शुरू किया है। यह परमाणु और सामरिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घटकों की न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी, न्यूट्रॉन शील्डिंग और सामग्री के न्यूट्रॉन सक्रियण के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा भी है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में पायरो उपकरणों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है और संचालन के लिए मंजूरी दे दी जाती है। इस सुविधा का उपयोग कंडक्शन न्यूट्रॉन बीम प्रयोगों के लिए भी किया जाता है।

थोरियम और परमाणु ऊर्जा में इसके अनुप्रयोग के संबंध में भारत ने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियों में पर्याप्त प्रगति की है। थोरियम से संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में भारत विश्व में अग्रणी है और भारत के वैज्ञानिकों के पास थोरियम में अनुसंधान एवं विकास से संबंधित प्रकाशनों और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इसके अनुप्रयोगों की अधिकतम संख्या है। विभिन्न स्रोतों से अन्वेषण से लेकर थोरियम से परमाणु ऊर्जा उत्पादन तक, तकनीकी रूप से भारत कई उन्नत देशों की तुलना में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है।

भारत में थोरियम के वैकल्पिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, जो कि नोट में वर्णित स्रोतों की तुलना में अधिक किफायती और लागत प्रभावी हैं। इसलिए, कोयला खानों से थोरियम की वसूली के लिए कनाडा द्वारा प्रदर्शित प्रौद्योगिकी उपलब्ध वैकल्पिक संसाधनों के लिए लागत प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकती है।

थोरियम परमाणु ऊर्जा विभाग के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा मोनोज़ाइट प्रोसेसिंग प्लांट में मोनोज़ाइट की दरार से उत्पन्न होता है। इन थोरियम मूल्यों को देश के तीसरे चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भविष्य में उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सुरक्षा विनियमन और दिशानिर्देशों के अनुरूप भंडारित किया गया है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

पुनस्थापन:, पुनर्वास और मुआवजे के मुद्दे

सिफारिश (क्रम सं. 16.1)

समिति यह देखती है कि सीसीएल की अपनी कोई भूमि अधिग्रहण नीति नहीं है। सीसीएल के लिए यह भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम अथवा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित किया जाता है। समिति को प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरा सीसीएल ने 1326.18 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। तथापि, अभी भी उक्त भूमि का प्रमाणीकरण जिला प्राधिकारियों द्वारा किया जाना बाकी है। परिणामस्वरूप परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) जिन्हें 1326.18 एकड़ अधिग्रहित भूमि का मुआवजा मिलना है, कि कुल संख्या को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान, सीसीएल ने 1933 प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को मुआवजा संवितरित किया। इसी प्रकार, वर्ष 2018-19 में 1282 प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अपनी भूमि से अलग कर दिया जाता है जहां वे वर्षों से रह रहे थे और जीविकोपार्जन कर रहे थे तो उन्हें दर्दनाम, शारीरिक, वित्तीय और मानसिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जब तक कि उनका उपयुक्त पुनर्वास नहीं हो जाता। इसलिए ऐसे व्ययक्तियों के लिए समयबद्ध पुनर्वास और मुआवजे की अत्यंत आवश्यकता है। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि सुनियोजित नीति लाई जाए ताकि प्रभावित लोगों से संबंधित पुनर्वास और मुआवजे के मुद्दों को समयबद्ध रूप से निपटाया जा सके।

सरकार का उत्तर

सीसीएल में, समयबद्ध तरीके से आरएंडआर और मुआवजा मुद्दों का निपटान करने के लिए सीआईएल आर एंड आर नीति और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम

की अनुसूची **I, II** और **III** जैसी अच्छी तरह से परिभाषित आर एंड आर नीति मौजूद है। हालांकि, किरायेदारों द्वारा प्रबंधन को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन जमा करने पर ही निर्धारित समय प्राप्त किया जा सकता है (सीसीएल आर एंड आर नीति की प्रति अनुबंध-**III** पर है)। सीसीएल ने अपने माध्यम से किरायेदारों से परामर्श करने के लिए एक पहल शुरू की है। क्षेत्र/परियोजना अधिकारी ग्राम समिति का गठन कर डाक के माध्यम से लिखित रूप में नोटिस देकर उन्हें आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करने के लिए प्रेरित करते हैं।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

पुन: स्थापन, **पुनर्वास और मुआवजे के मुद्दे**

सिफारिश (क्रम सं. 16.2)

समिति ने यह भी पाया कि अक्सर मुआवजे और पुनर्वास में कई कारणों से विलंब होता है जैसे कि 2018 में 1326 एकड़ अधिग्रहित भूमि के लिए परिवारों को मुआवजा देने में हुआ। समिति का यह मत है कि लोगों को पुनर्वास भूमि लेने से पहले होना चाहिए। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि सीसीएल और सरकार को प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत अच्छे घरों के लिए शहरी विकास मंत्रालय को सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं को एक साथ लाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि सही मायनों में उनकी पुन: स्थापना हो सके और प्रभावित लोगों का उचित पुनर्वास हो सके। प्रभावित लोगों को तकनीकी कौशल सिखाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए जिससे उन्हें लाभप्रद रोजगार मिलने में आसानी हो। प्रभावित लोगों के रहन-सहन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति का यह दृढ़ मत है कि उचित वित्तीय योजना बनाई जाए और प्रभावित व्यक्तियों को बेहतर मार्गदर्शन भी दिया जाना चाहिए ताकि वे मुआवजे की राशि का

उपयोग अपने परिवार को गुणवत्तापरक सहयोग, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, अपनी दैनिक कमाई से नए उद्यम शुरू करने और अपनी कमाई के बेहतर स्रोत सृजित करने में कर सकें। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि सभी खानों जहां से अब कोयला नहीं निकाला जा रहा, को सिटी सेंटर या टाउनशिप के रूप में विकसित करें जो पीएपी के लिए घर बन सकता है और आगे कंपनी बायो-फ्यूल संयंत्र लगाने, कई सरकारी कल्याण योजनाओं को अपने क्षेत्र में एक साथ लाने के प्रयास करे, सीएसआर कार्य करे और विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करे।

सरकार का उत्तर

परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) के बेहतर पुनर्वास के लिए 16.2 में दी गई सिफारिश को नोट किया गया है। सीएसआर पहल के तहत, परियोजना प्रभावित लोगों को विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, ड्राइवर प्रशिक्षण, सिलाई आदि प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।

आरएंडआर नीति के तहत, 2020 में सीआईएल द्वारा अनुमोदित वार्षिकी योजना (अनुबंध-IV) भी पीएएफ की उचित वित्तीय नियोजन आवश्यकताओं के लिए मौजूद है। भूमि, जहां अब कोयला नहीं निकाला जाता है, का उपयोग भूमि को आरएंडआर साइट, इको पार्क, वनरोपण, आदि के रूप में विकसित करने के लिए किया जा रहा है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

समाधान केंद्र

सिफारिश (क्रम सं. 18.1)

समिति नोट करती है कि सीसीएल के पास भी 'समाधान केंद्र' नामक एक प्रणाली है जिसे कंपनी के कम्रचारियों और हितधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु वर्ष 2012

में स्थापित किया गया था। हालांकि, सतर्कता विभाग को विसल ब्लोअर पॉलिसी के अंतर्गत सामान्य प्रक्रिया के दौरान और समाधान केंद्र के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। समिति पाती है कि सतर्कता विभाग को प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या और समाधान केंद्र के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्य के बीच अंतर है। वर्ष 2018-19 के दौरान समाधान केंद्र के माध्यम से 307 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जबकि उसी वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग को 405 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसलिए समिति जानना चाहेगी कि क्या इन दोनों स्थानों पर प्राप्त हुई शिकायतें एकसमान या एक ही थी अथवा यह अलग-अलग थी। ऐसी स्थिति में जब दो विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुई शिकायतें एक ही नहीं थी तो शिकायतों की कुल संख्या काफी अधिक होगी जो कर्मचारियों / विभागों के कार्यकरण के संबंध में चिंतन करने को मजबूर करती है। समिति आगे यह नोट करती है कि समाधान केंद्र द्वारा शिकायत निवारण की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 से घटकर वर्ष 2018-19 में 89% हो गई है। समिति 2018-19 में शिकायत निवारण की दर में हुई कमी के कारणों को भी जाना चाहेगी। समिति यह भी चाहती है कि 'समाधान केंद्र' के कार्यकरण को और सुदृढ़ बनाया जाए ताकि निकट भविष्य में सीसीएल को शून्य शिकायत वाली कंपनी बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

सरकार का उत्तर

समाधान सेल एक शिकायत निवारण तंत्र है। समाधान सेल को सेवा मामले, कल्याण मामले, सेवानिवृत्ति बकाया, रोजगार मामले, चिकित्सा संबंधी मामले आदि से संबंधित सामान्य प्रकृति की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जहां कोई सतर्कता कोण शामिल नहीं है।

यह उल्लेख करना उचित है कि, जिस विभाग से शिकायत संबंधित है, उसके परामर्श से समाधान सेल शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए काम करता है। 2018-19 के दौरान, 89% शिकायत निवारण में कमी मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण थी कि, पुराने अभिलेखों से संबंधित थे जिनकी गहन जांच और जांच की आवश्यकता थी। सीसीएल को शून्य-शिकायत कंपनी बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाधान सेल को मजबूत करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना

सिफारिश (क्रम संख्या 19.1)

समिति का विचार है कि सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं कार्यबल से अधिक आउटपुट हासिल करने के अलावा संगठन के कार्यकरण में दक्षता और पारदर्शिता लाती हैं। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सीसीएल को उत्पादन, बिक्री, उत्पादकता और लाभ के संदर्भ में तथा कार्यबल के कार्यकरण की प्रभावी निगरानी के संदर्भ में भी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के कार्यनिष्पादन में वांछित वृद्धि हासिल करने के मद्देनजर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही अपेक्षित आईटी अवसंरचना विकसित करने हेतु निधियों का पर्याप्त आवंटन करना चाहिए। समिति अभी अनुरोध करती है कि खनन गतिविधियों और सीसीएल के अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों में उन्नत और अद्यतन आईटी तकनीकों के प्रयोग हेतु इस संबंध में वैश्विक पद्धतियों का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

कंपनी द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण आईटी पहलें इस प्रकार हैं:

1. ईआरपी समाधान-एसएपी: - ईआरपी (एसएपी) का कार्यान्वयन सीसीएल की अधिकांश व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा और कुशल उपयोग और बेहतर उत्पादकता के लिए संसाधनों को ईष्टतम बनाएगा। द्वितीय चरण के कार्यान्वयन के लिए सेवा प्रदाता ने जनवरी -2021 में सीसीएल में अपना काम शुरू कर दिया है।
विकास और प्रशिक्षण के उद्देश्य से ईआरपी केंद्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है और यह प्रचालन में है।

अगस्त, 2021 तक सीसीएल में लागू चरण-**II** ईआरपी को पूरा करने के उद्देश्य से समयबद्ध मध्यवर्ती महत्वपूर्ण गतिविधियों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

2. ई-नीलामी :- नीलामी की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ई-नीलामी मोड के माध्यम से कोयले की नीलामी की जाती है।

3. ई-प्रापण: - सर्वोत्तम और पारदर्शी व्यावसायिक अनुप्रयोग के एक भाग के रूप में सीसीएल ने सीआईएल के केंद्रीय सेवा प्रदाता के साथ-साथ जीईएम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के उद्देश्य से ई-प्रापण मोड अपनाया है।

4. ई-पेमेंट:- कर्मचारियों के सभी वेतन और कर्मचारियों और विक्रेताओं के सभी बिलों का भुगतान कंपनी द्वारा ई-पेमेंट मोड के माध्यम से किया जा रहा है।

5. ई-शिकायत निवारण: - सीसीएल ने आईटी पहलों के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए शिकायतों की ई-फाइलिंग और उनके निवारण पर पावती को अपनाया है।

6. ई-चालान: - सीसीएल मुख्यालय सर्वर पर जीएसटी ई-चालान उत्पन्न करने के उद्देश्य से वे-ब्रिज से केंद्रीकृत सीसीएल मुख्यालय सर्वर पर रीयल टाइम डाटा ट्रांसफर चालू है।

7. ई-ऑफिस: - यह ई-ऑफिस परियोजना संगठन के व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन को बढ़ाने का इरादा रखती है और इसका उद्देश्य ट्रैकिंग विवरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम के साथ पुरानी मैनुअल प्रक्रिया को बदलकर उत्पादन, उत्पादकता में सुधार करना और पारदर्शिता बढ़ाना है।

8. कोलनेट: - विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं में उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के माध्यम से सेंट्रल सर्वर प्रोसेसिंग कोल-नेट (विपणन और बिक्री, पेरोल, पीआईएस और सामग्री प्रबंधन।) से संबंधित व्यावसायिक कार्यों के लिए मौजूदा ईआरपी टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर) में काम कर रहा है।

9. वेब एप्लीकेशन:-

क. ऑनलाइन शिकायत प्रणाली: यह सीसीएल के सतर्कता विभाग के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए एक वेब आधारित सार्वजनिक मंच है।

ख. शिकायत निवारण प्रणाली: सीसीएल के समाधान सेल को शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए एक वेब आधारित सार्वजनिक मंच।

ग. भीष्म पितामह: सीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी और सीआईएल कार्यकारी परिभाषित पेंशन योजना से संबंधित अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन मंच।

घ. सीपीआरएमएसई वेब एप्लिकेशन: सेवानिवृत्त सीसीएल कर्मचारियों के लिए उनके सीआरपीएमएसई बिलों और सीपीआरएमएसई क्लोजिंग बैलेंस की जांच करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।

ड. बिल ट्रैकिंग सिस्टम: विक्रेताओं के लिए उनके बिल आईडी से संबंधित स्थिति और विवरण की जांच करने के लिए वेब पोर्टल।

10. मोबाइल एप्लीकेशन:-

क. भीष्म पितामह मोबाइल ऐप: सीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी और सीआईएल कार्यकारी परिभाषित पेंशन योजना से संबंधित अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया ऐप।

ख. महिला सुरक्षा ऐप: मोबाइल एप्लिकेशन को तत्काल जीपीएस स्थान साझा करने और संकट में पंजीकृत फोन नंबरों पर एक स्वचालित फोन कॉल का संकेत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ग. ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप: ग्राहकों को बिक्री आदेश जारी करने से लेकर सड़क मार्ग से कोयले की वास्तविक डिलीवरी तक सभी गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन। सभी सहायक कंपनियों के लिए सीआईएल द्वारा विकसित और सीसीएल अध्याय का रखरखाव एम एंड एस और सिस्टम विभाग सीसीएल द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

सुरक्षा मुद्दे

सिफारिश (क्रम संख्या 20.1)

समिति पाती है कि सीसीएल के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखना तथा कोयला के दुर्घटना मुक्त खनन का प्रयास करना है। जैसा कि समिति को बताया गया है, खान सुरक्षा संबंधित खतरों की पहचान करके और उसके पश्चात चार कदमों को अपनाकर उन खतरों को दूर करके हासिल की जाती है जिनमें अभियांत्रिकी नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण, प्रतिस्थापन और विलोपन शामिल है। यह भी बताया गया है कि तीन सुरक्षा समितियों यथा (एक) पिट सेफ्टी कमिटी (दो) त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति (तीन) द्विपक्षीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया है तथा विभिन्न सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। तथापि, समिति यह पाती है कि विभिन्न सुरक्षा मानदंडों जैसे मृत्यु, गंभीर चोटों, मृत्यु दर/एमटी, गंभीर चोट दर के संदर्भ में सीसीएल का प्रदर्शन वर्ष 2018-19 में बिल्कुल संतोषजनक नहीं रहा है क्योंकि जहां वर्ष 2017-18 में संबंधित दुर्घटनाओं में कमी आई थी वही वर्ष 2018-19 में इनमें वृद्धि देखने को मिली है। उदाहरणार्थ पिछले 4 वर्षों की तुलना में जहां मृत्यु और गंभीर चोटों वाले मामले 1 अंक में थे वही वर्ष 2018-19 में यह मामले बढ़कर 2 अंकों में अर्थात् क्रमश: 10 और 16 हो गए हैं। समिति चाहती है कि उसे वर्ष 2018-19 में मृत्यु और गंभीर चोटों के मामलों में हुई वृद्धि के विशिष्ट कारणों तथा सीसीएल द्वारा अपने कार्यबल के बहुमूल्य जीवन को बचाने हेतु सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपायों से भी अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2018-19 में एक घटना में 4 लोगों की मौत एवं सात लोगों की गंभीर चोटें आई थी जिसके फलस्वरूप मृत्यु एवं गंभीर चोटों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा मानकों को मजबूत करने को एक लिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. जोखिम संवीक्षा पर आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजना एमपी को लागू एवं तैयार करना

2. साइट विशिष्ट आधारित मानक कार्य संचालन प्रक्रिया एसपी
3. खानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा करना
4. स्थाई समितियों के सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन एवं कोल इंडिया लिमिटेड सुरक्षा बोर्ड सम्मेलन के दिशा निर्देशों का अनुसरण किया गया
5. सुरक्षा स्थल पर कर्मचारी प्रतिनिधियों और नियमों को डीजीएमएस के साथ संयुक्त परामर्श का आयोजन किया गया क्षेत्रीय एवं कंपनी स्तर की द्विपक्षीय समिति एवं त्रिपक्षीय समिति सम्मेलनों में सुरक्षा मामले पर विचार विमर्श हुआ
6. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की सभी खानों में सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने एवं जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने हेतु प्रत्येक साल वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह आयोजित किए जाते हैं
7. यूनिट स्तर पर सीसीएल की सभी खानों में सुरक्षा संवाद दिए जाते हैं
8. इलेक्ट्रिकल सुरक्षा बढ़ाने हेतु एल ओ टी ओ लॉग आउट टेक आउट पद्धति की शुरुआत
9. सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने हेतु दुर्घटनाओं घटनाओं पर आधारित लघु सुरक्षा वीडियो का प्रसारण एवं शेयरिंग किया गया इसके अतिरिक्त मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर 32 नंबर से दुर्घटनाओं को कम करने पर सीख लेने हेतु सुरक्षा वीडियो के प्रसारण के लिए सीसीएल की खानों को प्रदान किया गया है
10. प्रत्येक खान में खान सुरक्षा समिति है जो कामगारों को सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए महीने में एक बार मिलती है

इन सबके अलावा परिणाम स्वरूप 2019-20 में मौत एवं गंभीर चोटों में उल्लेखनीय कमी हुई है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

सिफारिश (क्रम संख्या 20.2)

समिति इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है कि वर्ष 2019-11 को छोड़कर वर्ष 2008-09 से सुरक्षा उपकरणों की खरीद और उनके अनुरक्षण के निमित बजटीय प्रावधानों का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं कर सकी जिसकी परिणति निधियों को वापस लौटाने के रूप में हुई। यदि वर्ष 2010-11 को छोड़ दिया जाए जब इसने संबंधित प्रयोजनार्थ बजटीय आवंटन का 162% खर्च किया था, वर्ष 2008-09 से पूंजीगत व्यय 76% से अधिक नहीं हुआ है। वर्ष 2008-09 से शेष वर्षों में सुरक्षा उपकरणों की खरीद और उनके अनुरक्षण हेतु किया गया खर्च अत्यंत कम रहा है उदाहरणार्थ यह वर्ष 2009-10 में 2.50%, 2018-19 में 4.17%, 2013-14 में 13.99% और 2014-15 में 75.58% रहा। विगत वर्षों में आवंटित निधियों के अत्यल्प उपयोग के बावजूद, बाद के वर्षों में बढ़ हुए आवंटन किए गए और इस प्रकार इनका पूरा प्रयोग नहीं हो पाया। समिति इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है कि निधियों का कम उपयोग किया जाना सिर्फ गलत बजटीय प्राक्कलन का ही सूचक नहीं है बल्कि इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि प्रबंधन ने खान श्रमिकों की सुरक्षा को कम महत्व दिया है। सीसीएल द्वारा दिए गए उत्तर में वर्ष 2008-19 से सुरक्षा उपकरण हेतु आवंटित निधियों के अत्यल्प उपयोग के विशिष्ट कारणों के संबंध में जानबूझकर चुप्पी साधी गई है और टालमटोल किया गया है। समिति इस महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में सीसीएल द्वारा अपनाए गए ढुलमुल रवैये को गंभीरता से नोट करती है क्योंकि इस मुद्दे का खान श्रमिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा और खानों के कार्यनिष्पादन पर सीधा असर है। इस प्रकार समिति का मानना है कि यदि आवंटित निधियों का सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए पूरा उपयोग किया गया होता तो मृत्यु और गंभीर चोट के मामलों से भले ही पूरी तरह नहीं बचा जाता लेकिन उन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता था। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय और सीसीएल इस मुद्दे के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पण प्रस्तुत करें। समिति आगे सिफारिश करती है कि सीसीएल को एक सुदृढ़ बजटीय प्रणाली विकसित करना चाहिए जिससे कि ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए आवंटित निधियों का फायदेमंद रूप से उपयोग हो सके और वांछित परिणाम हासिल हो सकें।

सरकार का उत्तर

प्रत्येक वर्ष विशिष्ट नाजुक सुरक्षा वस्तुओं के लिए बजटीय प्रावधान बनाए जाते हैं। बोलीदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेजों जो उत्पादन प्रक्रिया के अंतिम रूप दिए जाने और प्रस्तावित मूल्य के 11 चित्र के लिए आवश्यक हैं कि प्रस्तुत न करने के कारण उत्पादन में देरी हुई है हालांकि जी पोर्टल के प्रारंभ से पूंजी शीर्ष के अधीन उत्पादन कारगर हो रहा है हम विवेकपूर्ण बजट आवंटन एवं इसके उपयोग के लिए सक्रिय कदम ले रहे हैं।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस:343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

सीएसआर पहलें

सिफारिश (क्रम संख्या 21.1)

समिति पाती है कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व दिशानिर्देशों के अनुसार, सीसीएल को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर अपने लाभ का 2% खर्च करने का दायित्व था। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि वर्ष 2015-16 के दौरान 213 करोड़ रुपए का सीएसआर व्यय सर्वाधिक था जो कि वर्ष के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) का 6.8% था। हालांकि, उत्तरवर्ती वर्षों में व्यय सीएसआर दिशानिर्देशों में निर्धारित पीबीटी के 2% के बुनियादी न्यूनतम आवंटन से काफी कम रहा जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि कंपनी ने 2014-15 के दौरान सीएसआर पर मात्र 1.8%, 2016-17 के दौरान मात्र 1.3%, और 2018-19 के दौरान 1.57% व्यय किया। समिति नोट करती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी द्वारा किया गया 172.11 करोड़ रुपए का बड़ा व्यय स्वच्छता पर किया गया था। समिति कंपनी के उत्तर से यह पाती है कि वर्ष 2015-16 में स्वच्छता पर किया गया इतना बड़ा वेयर स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय के निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदेश पर किया गया था समिति पाती है कीबोर्ड अपने द्वारा किए गए किए जाने वाले

सीएसआर कार्यकलापों की प्रकृति के बारे में निर्णय लेने में सक्षम था परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अग्रिम में कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई और कार्य को करने से पहले लक्षित लाभार्थियों अथवा हित धारको के काल साथ कोई परामर्श नहीं किया गया और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष दर वर्ष सीएसआर निधियां प्रयुक्त पड़ रही और काफी लाभार्थी उन लोगों से वंचित रह गए जिन्हें भी निधियों का पूर्ण उपयोग किए जाने पर पा सकते थे इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सीएसआर कार्यकलापों की अपेक्षाकृत अधिक संगठित तरीके से अंजाम देने हेतु एक सुसंगत तंत्र विकसित किया जाए जिससे कि सीएसआर हेतु निर्धारित निधियों का पूर्ण उपयोग हो सके और जिससे जरूरतमंद और निर्धन लोग सर्वाधिक रूप से लाभान्वित हो सके समिति यह भी चाहती है कि सीएसआर योजनाओं के अंतर्गत सीसीएल को अद्यतन औद्योगिक के प्रयोग के माध्यम से पानी के संदूषण के रोकथाम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु जल शोधन संयंत्रों की स्थापना पाइप द्वारा जलापूर्ति मुहैया कराना क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना जैसे कार्य लेना चाहिए

सरकार का उत्तर

सीसीएल बोर्ड द्वारा 19-10-2019 को आयोजित की 47820 सम्मेलन में सीएसआर गतिविधियां के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया संरचनात्मक ढंग से कार्य करने को स्वीकृत की गई है सीसीएल के क्षेत्रों को सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एसपी अनुसरण करने को निर्देशित किया गया है आवश्यकता मूल्यांकन हेतु सरकारी योजना तैयार करने कार्यान्वयन निगरानी इत्यादि उल्लेखित करता है कार्य योजना सीसीएल के क्षेत्रों में गांव और सुदूर क्षेत्रों में समाज के लोग समुदाय गांव पीएपी सीमांत वर्ग के स्थानीय आवश्यकताओं के पश्चात तैयार किया जाता है जिन्हें योजना के अतिरिक्त गतिविधियों जो जिला प्रशासन द्वारा नियोजित एवं कार्यान्वित होती हैं पोषण भी कंपनी द्वारा किया जाएगा इस प्रकार तैयार योजना जो ग्राम वासियों विशेषकर क्षेत्र के आदेश में गरीब एवं सीमांत लोगों को विकास जरूरतों को लक्षित करती हैं कार्यान्वयन हेतु की जाती है

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल सीएसआर व्यय 52.89 करोड था जो विगत 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का लगभग 2.48% है 2020-21 के दौरान कुल सीएसआर 52.75 करोड़ गैर लेखा परीक्षा आंकड़ों पर आधारित था जो विगत 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का लगभग 2.26% है

कंपनी ने इस संबंध में निम्नलिखित कार्य आरंभ किए हैं:

1) पानी टंकी युक्त शोर आधारित गहरे बोरवेल गांव में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए स्थापित किए गए हैं
2) सीसीएल के विभिन्न आदेश क्षेत्रों में ग्राम वासियों के उपयोग के लिए आरओ वाटर प्लांट स्थापित किए गए हैं
3) कार्य योजना में आसपास के गांवों को खानों से पाइप युक्त जल आपूर्ति के प्रावधान हेतु गतिविधि अनुमोदित की गई है
4) सीसीएल अपने कमांड आदेश क्षेत्र के गांव में नियमित चिकित्सा कैंप आयोजित करता है सीसीएल के वर्तमान अस्पतालों में गरीबों की चिकित्सा जरूरतों को सुलझा ने एवं समाज के गैर लाभान्वित वर्गों के लिए आरोप हैं यह उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के प्रकोप के से कंपनी के 4 अस्पताल जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार ताल के रूप में कार्यरत
5) सीसीएल की कॉलोनियों में जल उपचार प्लांट सुविधा है जिससे आसपास के ग्रामवासी भी लाभान्वित हो रहे हैं

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

सिफारिश (क्रम संख्या 21.2)

तथापि समिति सीएसआर वित्त पोषण के अंतर्गत शुरू किए गए कुछ कार्यकलापों में सीसीएल की उपलब्धियों की प्रशंसा करती है समिति यह नोट करके प्रश्न है कि एक जनजातीय लड़की जिसने सीसीएल के स्पोर्ट्स अकैडमी में प्राप्त किया था ने यूरेशियन एथलेटिक मीट में स्वर्ण पदक जीता तथा इस एकेडमी के अन्य कैडेटों ने विभिन्न

चैंपियनशिप में 182 स्वर्ण पदक सहित 405 मेडल जीते सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली के अंतर्गत कंपनी की जिसमें समाज के कमजोर वर्गों के अनेक विद्यार्थियों ने आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला प्राप्त की है भी प्रशंसनीय हैं विशेष रूप से निर्धन परिवारों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा और सुविधाएं मुहैया कराने हेतु बुरकु और धोरी स्थित कायाकल्प पब्लिक स्कूल भी प्रशंसनीय है समिति आशा व्यक्त करती है कि कंपनी की भावी योजनाएं यथा खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत विभिन्न खेलकूद केंद्र स्थापित करना दो भस्मक सहित सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाना 3 सीसीएल क्षेत्रों के 150 स्कूलों में सैनिटरी पैड्स की आपूर्ति और चार सीसीएल के वर्तमान परित्यक्त खानों में से निकल के गांव में शोधित जल की आपूर्ति करना इत्यादि भी वांछित परिणामों के सफल साथ सफल होंगी तथापि समिति चाहती है कि स्थानीय रोजगार सृजित करने और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के मद्देनजर सीसीएल को केले और बांस के पत्तों आदि जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल के प्रयोग से बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स बनाने हेतु स्थानीय लोगों को वित्तीय सहायता और अन्य कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराने के माध्यम से एक फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू करना चाहिए समिति चाहती है कि इस संबंध में सीसीएल द्वारा की गई ठोस कार्यवाही से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

सीसीएल बोर्ड द्वारा सीसीएल कमांड क्षेत्रों के विद्यालयों में 150 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन एवं कचरा भट्टी स्थापित करने की एक परियोजना स्वीकृत की गई है निरंतरता हेतु इन मशीनों में उपयोग होने वाले सैनिक प्रीपेड को एस एच जी के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है जो चिन्हित निर्मित किए जाएंगे समिति के माननीय सदस्यों की सिफारिश के अनुसार स्थानीय रूप से उपलब्ध है कच्चे माल जैसे केले की पत्तियां और बांस की पत्तियों के उपयोग के साथ जैव निम्नीकरणीय सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए स्थानीय लोगों को कौशल तकनीक सिखाने की परियोजना भी शुरू की जाएगी

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

सिफारिश (क्रम संख्या 21.3)

कंपनी के कार्यों की प्रकृति तथा अगलबगल के क्षेत्रों के निवासियों पर पड़ने वाले - इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समिति चाहती है कि कंपनी अपने परिचालन गत रह रहे लोगों और उनके परिवारों के लाभार्थी सक्रिय रूप से खानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाएं शुरू करने चाहिए इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सीसीएल को सीएसआर गतिविधियों हेतु कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित मात्रा न्यूनतम दायित्व को पूरा करने हेतु सीएसआर निधि खर्च भर नहीं करनी चाहिए बल्कि खानों के अगलबगल रहने वाले समुदायों परिवारों विशेषकर ग-रीबों और समाज के वंचित वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वयमेव अधिक से अधिक सीएसआर कार्यक्रम शुरू करने चाहिए समिति यह भी चाहती है कि भौतिक राशियों के नियमित अनुरक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए उदाहरण के लिए स्कूलों में निर्मित शौचालय जैसी भौतिक आरटीओ का यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित रूप से अनुरक्षण किया जाना चाहिए कि वे आने वाले समय में भी प्रयोग करने की स्थिति में बने रहें इस संदर्भ में समिति चाहती किसी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उनके द्वारा निर्मित से अवगत कराया जाए समिति चाहती है किसी एसआरबीआई की बुकिंग के संबंध में सचिव या लेखा परीक्षा में की गई टिप्पणियों पर प्रतिबंध आधार के बजाय वास्तविक आधार पर ध्यान दें और उसका अनुपालन करें।

सरकार का उत्तर

कंपनी अधिनियम के अनुसूची साथ में दिए गए विषयों पर केंद्र राज्य के निर्देशों के अनुसार खानों के पास रहने वाले समुदायों परिवारों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना ऊपर झारखंड राज्य में शुरू की गई परियोजनाओं पर सी एस आर व्यय भारित किए गए हैं।

माननीय समिति की अनुशंसा भविष्य अनुपालन के लिए भी नोट कर ली गई है।

सीसीएल बोर्ड के निर्देशों के अनुसार एसवीए के अधीन निर्मित/पुनर्निर्मित किए गए शौचालय के रखरखाव संबंधी सीआईएल से समुचित आदेश निर्देश का अनुरोध किया

गया है क्योंकि सीआईएल से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था सीसीएल रखरखाव कार्य शुरू नहीं कर सके सीआईएल की सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर निधि से अर्जित संपत्ति को इसके अनुवर्ती संचालन रखरखाव और उपयोग के लिए लाभार्थियों को सौंप दिए गए सीसीएल ने एसवीए के अधीन निर्मित/पुनर्निर्मित शौचालय को स्कूल प्रबंधक समिति स्कूल प्राधिकारियों को सौंप दिए गए वाणिज्य मामलों के मंत्रालय की दिनांक 22.01.2021 के तहत संदर्भ संख्या सीजी-डीएल-ई-22012021-224640 अधिसूचना के अनुसार कंपनी कारपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी संशोधन नियम 2021 की धारा 7(4) कहता है कि:

उद्धरण :

सीएसआर राशि का एक कंपनी द्वारा पूंजीगत परिसंपत्ति के अधिग्रहण अथवा के सृजन के लिए किया जाए जो निम्नलिखित के द्वारा धारित किया जाएगा :-

(क) परमार्थ उद्देश्यों से युक्त और नियम 4 के उप-नियम (2) के अंतर्गत सी.एस.आर. पंजीकरण संख्या प्राप्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कोई कंपनी, अथवा कोई पंजीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा पंजीकृत सोसायटी; अथवा (ख) स्वयं सहायता समूहों, समूहों, कंपनियों रूप में उक्त सीएसआर परियोजना के लाभार्थी; अथवा (ग) सरकारी प्राधिकरण

अनुद्धरण :-

इस प्रकार यह अपेक्षा की जाती है कि शौचालयों की दैनिक आधार पर सफाई उसके रखरखाव और रखरखाव का कार्य जिला पदाधिकारियों की सहायता से स्कूल प्राधिकरण स्थानीय ग्राम समितियों स्थानीय संस्थाओं द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाता है। कंपनी के राज्य के कमांड क्षेत्र से स्थित होने के कारण शौचालय के निर्माण/रखरखाव का निरीक्षण सुनिश्चित करने में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इसकी

सराहना की जा सकती है कि संबंधित राज्य सरकार, राज्य में संचालित संस्थाओं की निधि के साथ निर्मित/मरम्मतशुदा शौचालय के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन स्थानीय संस्था जिला प्रशासन को सौंपी जानी चाहिए।

राज्य/ केंद्र सरकार की कंपनियों/कार्यान्वयनकारी एजेन्सियों को अंतरित राशि को सीएसआर व्यय समझा जाता है। की उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर अंतिम व्यय का सामंजस्य किया जाएगा और क्रियान्वयन संस्था द्वारा वापस की गई और बिना खर्च की हुई राशि, यदि कोई है को बिना खर्च हुए सीएसआर खाता में जमा की जाएगी और उसका कंपनी अधिनियम सीएसआर नीति) नियम 2021 के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

सिफारिश (क्रम संख्या 21.4)

समिति पाती है कि कायाकल्प पब्लिक स्कूल जो निर्धनतम परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु निशुल्क सुविधाएं मुहैया करा रहा है, अन्य राज्यों से भी निशुल्क सुविधाओं की जरूरत रखने वाले 700 और विद्यार्थियों को संबंधित सुविधाएं मुहैया कराने वाला है इसलिए समिति सिफारिश करती है कि होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल को इस मद में सीएस आरबीआई को पूरा करने हेतु अपनी अनुषंगी कंपनियों की सीएसआर निधियों के साथ अपनी स्वयं की सीएसआर निधियों को पूर्ण करने की संभावना तलाशने चाहिए यदि सीआईएल पर्याप्त सीएसआर नदियां जुटाने में सफल रहती है तो सरकार को केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उपकरणों को अपने सीएसआर नदियों को पुल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर होने वाले व्यय को पर्याप्त कहा पूरा किया जा सके समिति चाहती है कि कंपनी यह सुनिश्चित करें कि उसके सीएसआर क्रियाकलापों के

सुदूर क्षेत्रों विशेषकर आकांक्षा जिलों में रह रहे परिवारों और लक्षित निर्धन तुम लोगों परिवारों तक पहुंचे।

सरकार का उत्तर

उपरोक्त वर्णित की गई "कायाकल्प पब्लिक स्कूल" नाम की परियोजना एक मुद्रण त्रुटि प्रतीत होती है। विषय की सिफारिश खेल अकादमी होटवार रांची झारखंड से संबंधित है।

नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों की पहचान सीएसआर गतिविधियां संचालित करने में सीबीएसई द्वारा बता प्रदान करने के लिए की है। सीसीएल झारखंड के 8 जिलों (रांची, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, पलामू) जो सभी भारत के 112 आकांक्षी जिलों (एडी) में से हैं। सीसीएल 2014-15 से अपने नियमित सीएसआर के भाग के रूप में आठ एडी में सीएसआर की गतिविधियां संचालित कर रहा है। 2018 में आकांक्षी जिलों के परिवर्तन कार्यक्रम के शुरुआत से 4 एडी (चतरा, लातेहार, रांची, रामगढ़) सीएसआर के अंतर्गत अपने परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सीसीएल को सौंपी गई।

इस प्रकार कंपनी के नियमित सीएसआर कार्य द्वारा इसके कमान क्षेत्रों के साथ-साथ एडी के जिला प्रशासन की परियोजनाओं के निधियन में किया गया खर्च ऐसे जिलों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए हैं, परियोजना कार्यक्रमों का चयन कंपनी संबंधित आकांक्षी जिला प्रशासन द्वारा गरीब लोगों की जरूरतों के आधार पर किया जाता है। समिति की सिफारिश का भविष्य में भी अनुसरण किया जाएगा।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

अध्याय तीन -

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती।

एचईएमएम का कम उपयोग

सिफारिश (क्रम संख्या 10.2)

तथापि समिति ने यह भी पाया कि इन मशीनरी की नियमानुसार उपलब्धता होने के बावजूद वर्ष 2018-19 में इनका वास्तविक उपयोग निर्धारित मानदंडों से काफी कम था। उदाहरणतया शोवल, डंपर, डोजर और ड्रिल के संबंध में क्रमश: 58%, 50%, 45% और 40% के उपयोग मानदंडों की तुलना में वर्ष 2018-2019 में वास्तविक उपयोग केवल 40.9%, 35.4%, 20.8% और 28.2% था। डोजर का वास्तविक उपयोग मानदंड से 50% से भी कम था और अन्य उपकरणों के लिए यह उपयोग मानदंड के केवल 60-70% के बीच था। समिति यह पाती है कि यद्यपि एच ई एम एम की उपलब्धता कमोबेश मानदंडों के अनसार है परंतु उनके उपयोग में काफी सुधार की आवश्यकता है। समिति पिछले पांच की अवधि के दौरान एचईएमएम के इतने कम उपयोग के कारण का ब्यौरा एचईएमएम के वर्ष वार उपलब्धता के साथ जानना चाहती है और साथ ही एचईएमएम के इतने कम उपयोग का कंपनी के उत्पादन पर प्रभाव के बारे में जानना चाहती है। समिति सिफारश करती है कि सीसीएल द्वारा एचईएमएम के विभिन्न उपकरण की उपयोगिता दर को बढाने के लिए आवश्यक उपाय करे। समिति यह भी सिफारश करती है कि सीसीएल की मशीनरी को, यदि वर्ष की किसी निश्चित अवधि के दौरान उन्हें आवश्यकता न हो तो उसे अन्य प्रयोगकताओं को किराए पर दिया जा सकता है ताकि न केवल वह मशीनरी उपयोग में रहे बल्कि सीसीएल को भी उससे कुछ राजस्व प्राप्त हो।

सरकार का उत्तर

एचईएमएम के उपयोग में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. भूमि पर जल्द से जल्द कब्जा पाने और जल्द से जल्द सीटीओ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ गहन संपर्क।

2. एचईएमएम के दैनिक कार्य घंटों में सुधार के लिए परियोजना स्तर पर निगरानी की जा रही है। एचईएमएम की विश्वसनीयता में सुधार के लिए विश्वसनीयता केंद्रित रखरखाव भी शुरू किया गया है।

3. बाहरी कंपनियों को कम उपयोग में लाए गए उपकरणों को किराए पर देने के बजाय, हम खान क्षमता के आंतरिक मूल्यांकन और उपकरणों के इष्टतम उपयोग के लिए खानों की उपयुक्तता के आधार पर एक परियोजना/क्षेत्र से दूसरी परियोजना/क्षेत्र में उपकरणों के हस्तांतरण करते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में, 37 उपकरणों का एक खान/क्षेत्र से अन्य खानों/क्षेत्रों में स्थानांतरण किया गया।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

रिजेक्ट्स की रिसाइक्लिंग

सिफारिश (क्रम सं .14.1)

समिति यह नोट करती है कि वाशरियों में निर्मित 'रिजेकट्स' और 'एशेज' की ई-नीलामी के माध्यम से ईंट व्यापार में लगे छोटे-छोटे स्थानीय व्यवसायों के लिए किसी भी लिंकेज नीति के अभाव में ई-नीलामी की जाती है। समिति यह देखती है कि सीसीएल की वॉशरियों ने प्रत्येक माह 0.3 लाख टन रिजेक्ट्स और 0.28 लाख टन 'स्लरी' का उत्पादन किया और कंपनी ने इस अवधि के दौरान ई-नीलामी के द्वारा 5.97 लाख टन रिजेक्ट्स और 2.8 लाख टन स्लरी का विक्रय किया। समिति सिफारिश करती है कि एक लिंकेज नीति विकसित की जाए और साथ ही एक अध्ययन कराया जाए कि कंपनी प्रति माह कितनी मात्रा में ऐश और रिजेक्ट्स का उत्पादन करती है और खपत हेतु मांग

कितनी है ताकि कंपनी द्वारा उत्पादित ऐश और रिजेक्ट्स के लिए उपयुक्त बाजार और संभावित विक्रेताओं को ढूंढा जा सके।

सरकार का उत्तर

इससे पहले, उच्च जीसीवी मूल्य के साथ न्यूनतम राख% के कारण, पास के आईपीपी (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक) के लिए लिंकेज ऑफ रिजेक्ट्स था। वर्तमान में कच्चे कोकिंग कोयले की गुणवत्ता में गिरावट के कारण, उत्पादित रिजेक्ट की गुणवत्ता राख% और जीसीवी दोनों के संबंध में भी खराब हो गई है। इस कारण से वर्तमान में सीसीएल वाशरीज द्वारा उत्पादित रिजेक्ट ई-नीलामी मोड के माध्यम से बेचे जाते हैं। संभावित ग्राहक स्पंज आयरन, ब्रिक, कोकरी उद्योग आदि हैं। ई-नीलामी के माध्यम से बेचे गए रिजेक्ट से लिफ्टिंग और अन्य संबंधित विविध कार्यों के दौरान स्थानीय परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि वाशरीज क्लोज सर्किट पर जीरो एफ्लुएंट/वेस्ट डिस्चार्ज के साथ चलती हैं।

इसके अलावा, यह उजागर करना उचित है कि वाशरीज़ से कोई राख उत्पन्न नहीं होती है। वर्तमान में, रिजेक्ट्स को ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ता ऐसे रिजेक्ट्स की खरीद कर सकते हैं। इसके अलावा सीसीएल वाशरीज से उत्पन्न रिजेक्ट को बेचने/निपटान करने के लिए कोई लिंकेज नीति विकसित करना सीआईएल द्वारा निपटाया गया एक नीतिगत मामला है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

सतर्कता पहलें

सिफारिश (क्रम सं. 17.1)

समिति कंपनी के प्रचालनों और प्रबंधनों की विभिन्न प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सीसीएल द्वारा उठाए गए विभिन्न सतर्कता पहलों को देखती है। तथापि, समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि इन पहलों के बावजूद

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीसीएल ने अपने एक्जिक्यूटिव्स पर 63 बड़े और 102 लघु दंड लगाए हैं और अपने नॉन एक्जिक्यूटिव्स पर 30 दंड लगाए हैं फिर भी वर्ष 2018-19 में ही लगभग 405 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। समिति आगे यह देखती है कि 405 शिकायतों में से एक बड़ी संख्या में शिकायतें अर्थात 92 शिकायतें गुमनाम / छद्म नाम से प्राप्त और दायर हुई हैं। शेष 267 शिकायतों में से 138 शिकायतों को एचओडी/जीएम के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया और 175 शिकायतों पर अभी भी कार्रवाई की जानी है। समिति का यह दृढ़ मत है कि सतर्कता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे संगठन के कर्मचारियों के कार्यों के कार्यों को ठीक प्रकार से करवाया जाना और सभी लेन-देन को प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित होता है जिससे भ्रष्टाचार, कदाचार/प्राधिकार और निधियों का दुरूपयोग कम होता है। समिति यह भी मानती है कि जब अधिक संख्या में गुमनाम / छद्म नाम से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो इससे यह प्रतिपादित होता है कि संगठन की सतर्कता प्रणाली या उससे जुड़े अधिकारियों पर से विश्वास कम हो रहा है क्योंकि गुमनाम शिकायतें दायर करने का मुख्य कारण यह हो सकता है कि शिकायतकर्ता प्रतिकूल परिणामों के भय में है अथवा शिकायताकर्ता वास्तविक व्हिसलब्लोअर है जिसकी पहचान सामने आने पर उसकी जान या उसके परिवार को खतरा हो सकता है। तथापि, समिति यह चाहती है कि गुमनाम शिकायतों की विषय वस्तु और उनमें लगाए गए आरोपों की भी पूर्णरूपेण जांच की जाए और उन्हें सारहीन पाए जाने पर इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार फाइल किया जाए।

सरकार का उत्तर

सीसीएल के सतर्कता विभाग में पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त शिकायतों की प्रामाणिकता, लगातार लाभकारी परिणामों के साथ हितधारकों में प्राप्त विश्वास के कारण काफी बढ़ गई है। अनाम और छद्म नाम वाले खंड में वर्गीकृत शिकायतों में कमी का विश्लेषण करते हुए एक भारी परिवर्तन देखा गया है। सांकेतिक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

	2019-2020	2020-2021
1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	405	464
बेनामी छद्मनाम होने के/कारण दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	92	49
1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान जांच/सत्यापन के लिए ली गई शिकायतों की संख्या	175	343
आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विभागाध्यक्षों/महाप्रबंधकों को भेजी गई शिकायतों की संख्या	138	69

उक्त श्रेणियों में यह कमी इंगित करती है कि विश्वास भागफल काफी ऊपर की ओर बढ़ गया है, क्योंकि सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और विभिन्न विषयों के समग्र कामकाज पर नियंत्रण रखने के अपने लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखता है।

इसके अलावा, गुमनाम और छद्म नाम वाली शिकायतों का निपटारा सीवीसी द्वारा सतर्कता नियमावली 2017 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जिसे सीवीसी परिपत्र संख्या 12/09/20 दिनांक 12.9.2020 (**अनुबंध-V**) के साथ पढ़ा जाता है।

[कोयला मंत्रालय, फाईल सं.: पीसीए-11028/1/2019-पीसीए (एफटीएस: 343541) दिनांक 18 जुलाई, 2021]

अध्याय चार

टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध मे सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सीसीएल/कोयला कंपनियों के निदेशक मंडल में स्थाई आमंत्रित गण

सिफारिश (क्रम सं. 2.3)

समिति नोट करती है कि सीसीएल के निदेशक मंडल में दो स्थाई आमंत्रितगण है जिनमें से एक पूर्वी रेलवे के मुख्य प्रचालन प्रबंधक और दूसरे झारखंड सरकार के प्रधान सचिव (खान और भू- गर्भ विज्ञान) होते हैं। सचिवालयीयन संपरीक्षक ने यह टिप्पणी की है कि निदेशक मंडल की बैठकों में स्थाई आमंत्रितगणों की उपस्थिति बहुत कम रहती है। इस मुद्दे पर कोयला मंत्रालय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि 'स्थाई आमंत्रितगण' केवल राज्य सरकारों के साथ विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, वन कटाई मामलों, समय-समय पर औद्योगिक संबंधों की समस्याओं, इत्यादि से संबंधित कानून और व्यवस्था की समस्या को लेकर संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। यदि ऐसा है तो समिति यह नहीं समझ पा रही है कि 'स्थाई आमंत्रितगणों' को निदेशक मंडल के सभी बैठकों में उपस्थित होना चाहिए जहां बैठकों की कार्यसूची 'गोपनीय' अथवा ऐसे विषयों जैसे वाणिज्यिक रणनीतियों, व्यवसाय प्रचालनों इत्यादि पर हो सकती हैं जिनमें 'स्थाई आमंत्रितगणों की उपस्थिति आवश्यकता नहीं होती। समिति इस बात से भी अवगत होना चाहती है कि क्या निदेशक मंडल में 'स्थाई आमंत्रितगण' का प्रावधान डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप है यह कंपनी का स्वतंत्र निर्णय है। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निदेशक मंडल की सभी बैठक में स्थाई आमंत्रितों की उपस्थिति संभवत: बहुत जरूरी नहीं होती है, समिति सिफारिश करती है कि उन बैठकों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं जिनमें "स्थाई आमंत्रितगणों " की उपस्थिति आवश्यक होती है। दिशानिर्देशों में उनको दिए जाने वाले पारिश्रमिक, उनके पदावधि, उनकी शक्तियां, उत्तरदायित्व, उनके विचारणीय विषयों, इत्यादि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

सीसीएल/कोयला कंपनियों के बोर्ड में स्थायी आमंत्रितों को इन बोर्डों में निदेशक के रूप में नहीं माना जाता है और उनके पास मताधिकार नहीं है और बोर्ड की बैठक में कोरम के उद्देश्य से नहीं गिना जाता है ।साथ ही सीसीएल की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्यों को किसी पारिश्रमिक/प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है।जहां तक स्थायी आमंत्रितों द्वारा भाग लेने की आवश्यकता वाली बैठकों की प्रकृति को निर्दिष्ट करने वाले दिशा-निर्देश तैयार करने का संबंध है, बोर्ड के अन्य निदेशकों की तरह स्थायी आमंत्रित बोर्ड को प्रत्येक प्रस्ताव पर उचित निर्णय लेने में मदद करते हैं और वे बोर्ड का अभिन्न हिस्सा हैं ।ऐसे में उन्हें बोर्ड की हर बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

सीसीएल/कोयला कंपनियों के निदेशक मंडल में स्थाई आमंत्रितगण

सिफारिश (क्रम सं. 2.4)

समिति को इस विषय में भी आशंका है कि क्या स्थाई आमंत्रित गणों के माध्यम से जनसंपर्कता का कोई प्रयोजन भी सिद्ध हुआ है विशेष रूप से जब सीसीएल ने स्वयं ही यह कहा हो कि पर्यावरणीय और वानिकी स्वीकृतियां, स्वामित्व का अंतरण इत्यादि के अभाव में उनकी प्रमुख परियोजनाएं कई वर्षों से बुरी तरह अटकी पड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए परियोजनाएं, अर्थात, मगध ओ.सी, आम्रपाली ओ.सी, कोनार ओ.सी जो वर्ष 2006 में ही चालू हो जानी चाहिए थी, वे वस्तुत:आठ/नौ वर्षों के विलंब के साथ वर्ष 2014-15 में शुरू हुई। इसी प्रकार चंद्रगुप्त ओ.सी.पी, संघमित्रा ओ.सी.पी, कोटरेबसंतपर पंचमो ओ.सी.पी. इत्यादि परियोजनाओं में मुख्यतः पर्यावरणीय और वन संबंधी स्वीकृतियों के अभाव में विलंब हो रहा है। अतः समिति इस बात से चिंतित है कि स्वीकृतियां प्राप्त करने भूमि अधिग्रहणों, औद्योगिक संबंधों कानून एवं व्यवस्था, पुनर्स्थापन, इत्यादि में आने वाली बाधाओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने में 'स्थाई आमंत्रितगण' कितने कारगर सिद्ध हुए हैं। अत: समिति की यह सुविचारित राय है कि विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों को शीघ्रता से दिलाने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के कार्य पर सार्थक प्रभाव डालने में 'स्थाई आमंत्रितगणों' की भूमिका और अधिक कारगर होनी चाहिए और इसलिए समिति सिफारिश करती है कि निदेशक मंडल में नियुक्त किए जाने वाले 'स्थाई आमंत्रितगणों' का प्रभावी और लाभकारी ढंग से उपयोग करने के लिए मंत्रालय एक उपयुक्त तंत्र विकसित करे।

सरकार का उत्तर

नई परियोजनाओं को चालू करने और मौजूदा लोगों के विस्तार और उत्पादन और प्रेषण के निर्वाह के लिए सीसीएल को राज्य सरकार और रेलवे के साथ निकट संपर्क में रहना होगा। इस प्रकार, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति मामलों, औद्योगिक संबंधों की समस्याओं से संबंधित यदा-कदा कानून और व्यवस्था के मुद्दों, रेलवे मुद्दों के संबंध में राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखने के लिए स्थायी आमंत्रित रखना वांछनीय है ।

एचईएमएम पर व्यय की गई लागत

सिफारिश (क्रम सं. 10.3)

सीसीएल द्वारा प्रस्तुत डाटा के समिति के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान संयंत्रों और उपकरणों को किराए पर लेने के लिए 859 करोड़ रूपए खर्च किए। कंपनी ने यह सूचित किया कि एचईएमएम को किराए पर लेने अथवा इन उपकरणों को खरीदने की तुलनात्मक लागत प्रभाविता के मूल्यांकन के लिए कोई स्वतंत्र अध्ययन नहीं कराया गया। यह ध्यान में रखते हुए कि 859 करोड़ का इतना बड़ा खर्च एक वर्ष में संयंत्र और उपकरणों को किराए पर लेने के लिए किया गया विशेषत: तब जब सीसीएल के अपने उपकरण का कुछ मामलों में पूरी क्षमता तक उपयोग नहीं किया जा रहा जो इस बात से स्पष्ट है कि एचईएमएम की उपयोगिता वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारित मानदंड के 50% से भी कम थी, समिति यह सिफारिश करती है कि समिति को एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपकरणों को किराए पर लेने के कारण बताए जाएं जबकि सीसीएल के अपने उपकरण काफी हद तक उपयोग नहीं किए जा रहे और साथ ही एचईएमएम को किराए पर लेने और स्वयं खरीदने की तुलनात्मक प्रभाविता और अन्य संबंधित मुद्दों को स्पष्ट बताया जाए।

सरकार का उत्तर

सीसीएल में 99 प्रतिशत कोयला उत्पादन ओपनकास्ट खानों में होता है। कंपनीकी सभी खानें योग्य पेशेवरों द्वारा चलाई जाती है, जो कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। सभी ओपनकास्ट खानों में ओवरबर्डन को हटाने के लिए शॉवल डम्पर का कॉम्बिनेशन उपलब्ध है। पिपरवार, अशोक, मगध, आम्रपाली, उत्तरी उरीमेरि और कारो में कोयला खनन के लिए सरफेस माइनर्स की शुरुआत की गई है।

i. सीसीएल में सतही खनन सीएमपीडीआईएल द्वारा सामान्य कार्य प्रणाली के रूप में तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार सीसीएल के स्वामित्व वाली हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) या सीसीएल द्वारा किराए पर ली गई मशीनों द्वारा किया जाता है।

ii. सीमित जीवनकाल के साथ छोटे पैचों में जहां विभागीय मशीनों को लगाना किफायती नहीं होता है, वहां सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कोल इंडिया के अनुबंध प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार खुली निविदा प्रणाली के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी को तैनात किया जाता है।

iii. चूंकि विभागीय उपकरणों का जीवनकाल काफी लंबा होता है (शॉवल - 6-12 वर्ष, डंपर - 6-9 वर्ष) ऐसी मशीनों को विशेष रूप से केवल उन पैचों में तैनात किया जाता है जो तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं।

अध्याय पाँच -

टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध मे सरकार ने अन्तरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली
24 जनवरी, 2022
04 माघ, 1943 (शक)

संतोष कुमार गंगवार
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

F.No.11028/1/2019-PCA (Part-I)
Government of India
Ministry of Coal
(CA Section)
****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 22nd April, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reply to the Q.12 i.e. "Thorium Based Power Plants" of Additional list of points for obtaining written replies on the subject "Central Coalfields Limited" -reg.

The undersigned is directed to refer to Lok Sabha Secretariat's OM No. 66/1/6/2019 -COPU dated 06th March 2020 and written replies submitted by this Ministry vide OM of even number dated 11.03.2020 on the above mentioned subject wherein it was submitted in respect of Q. 12 that “Ministry of Coal has no information on thorium based power plants. However, an OM has been sent to Department of Atomic Energy for seeking information. The same would be sent to the Committee as soon as it is received from Department of Atomic Energy”.

2. 2. The reply to the Q.12 i.e. "Thorium Based Power Plants" of Additional list of points for obtaining written replies on the subject "Central Coalfields Limited" (50 copies in English), is enclosed as per Annexure for kind perusal and necessary action.

4. Hindi version will follow.

Encl. As above.

sd/-
(Alka Shekhar)
Under Secretary to the Government of India
E mail: alka.shekhar@nic.in
Telefax No. 011- 23382188

Lok Sabha Secretariat
(CoPU), (Smt Memta Kemwal, Director),
Parliament House,
New Delhi-110001.

अनुबंध-दो

No. 11028/1/2019-PCA
Government of India
Ministry of Coal
(CA Section)

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 26 August, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Updated information in connection with the examination of the subject 'Central Coalfields Limited (CCL)' -regarding.

The undersigned is directed to refer to Lok Sabha Secretariat OM No. 66/1/6/2019 dated 05.08.2020 and this Ministry's OM of even number dated 14.08.2020 on above mentioned subject.

2. The Hindi translation of updated replies (date-wise) with updation made in red colour in the annexures are enclosed herewith for further appropriate action. The details are as follows:

Sr. No.	Lok Sabha Secretariat's OM dated	Replies sent to CoPU vide MoC's OM dated	Updated Information sent vide MoC's OM dated 14.08.2020	Hindi translation of updated Information sent vide MoC's OM dated 14.08.2020
1.	06.08.2019	19.08.2019	Annexure I	Annexure I- Hindi
2.	15.10.2019 (Additional information)	24.10.2019	Annexure II	Annexure II- Hindi
3.	26.12.2019	10.01.2020	Annexure III	Annexure III- Hindi
4.	17.02.2020	21.02.2020	Annexure IV	Annexure IV- Hindi
5.	03.03.2020	06.03.2020	Annexure V	Annexure V- Hindi
6.	06.03.2020 (Additional List)	11.03.2020	Annexure VI	Annexure VI- Hindi
		Supplementary reply for Point 12. MoC's OM dated 22.04.2020.	No Change.	NA

3. It is informed that Hindi translation of supplementary reply for point no. 12 (sr. no. 6 in table above) is also enclosed herewith at Annexure-VII-Hindi.

4. It is also informed that in reply of point no. 22 of Annexure – III of English sent to CoPU vide MoC's OM dated 14.08.2020; under the heading "**Selection Process**" may be read as **"The cadets of the sports academy have so far won 596 medals including 280 gold medals in different championships."**

5. This issues with the approval of the Secretary (Coal).

Enclosures: As above (7)
(Annex- I to VII- Hindi)

(Alka Shekhar)
Under Secretary to the Government of India
E mail: alka.shekhar@nic.in

Telefax No. 011- 23382188

Lok Sabha Secretariat
(CoPU), (Shri R C Tiwari, JS),
Parliament House, New Delhi-110001
(Email-id: comm.pub@sansad.nic.in).

REHABILITATION AND RESETTLEMENT

POLICY OF COAL INDIA LIMITED 2012

Preamble :

The location & quality of coal reserves, and their distance from major consumers determines to a great extent the selection of mine sites. For reserves that are close to the surface, opencast mining has proven to be the most efficient mining method. Opencast mines require relatively large area of land. Population growth, particularly in India's eastern region, has made it increasingly difficult for the subsidiary coal companies to acquire the land they need for expanding their operations under the present Resettlement & Rehabilitation Policy, 2008 of Coal India.

The resettlement and rehabilitation policies followed by the subsidiary companies have evolved over time and undergone numerous changes in response to changing circumstances. As and when the Central or State Governments enact amendments to the Land Acquisition Act issue new guidelines and rehabilitation, as per its requirement Coal India reviews and modifies its resettlement & rehabilitation policy taking into account the changing conditions in coal producing areas.

In addition to compensation for land coal companies provide Rehabilitation & Resettlement (R&R) package for project affected persons to compensate for loss of livelihood. Apart from compensation for house site, house, tree, cow shed, cost of shifting etc. employment is also provided to land oustees. In addition to this, efforts are made to rehabilitate them by construction of houses, buildings roads, streets, schools, providing water etc. wherever feasible. However, demand for both more land compensation& better R&R package has been raised by project affected persons and has been highlighted in various Parliamentary Committees. Coal Companies often have to face representations and agitations by these land oustees who obstruct the smooth working of existing mines and come in the way of expansion of new projects.

In the past, subsidiaries found it relatively easy to acquire land, if they were able to offer employment. Partly because of this practice, subsidiaries have built up as largely unskilled labour beyond their needs. This has contributed to the heavy losses and many mines are incurring and has also affected their efficiently and viability. The subsidiaries may still need to hire people in selected locations and continue to give preference to those whose livelihood will be affected by coal mining operations. However, increasingly subsidiaries will need to develop other ways and means to compensate land owners and others adversely affected by their projects and give them the option to choose which method of compensation best suits their needs. Greater emphasis will also need to be given to community requirements like schools, hospitals etc. Only proper resettlement & rehabilitation will elicit the required

cooperation of project affected people and make it possible for Coal India to acquire land it needs to fulfill the ever increasing demand of coal for the economic development of the Country.

The purpose of the Resettlement & Rehabilitation Policy 2012 is to revise and provide greater flexibility to the basis principles for the resettlement and rehabilitation of people affected by coal mining projects i.e. Project Affect People (PAPs). It attempts to consolidate the different resettlement and rehabilitation practices that are being followed by subsidiaries as per the different State Land Acquisition Acts and various decisions of the Coal India Board and to modify the Policy of 2008 so as to give the Board of the subsidiary Companies greater flexibility to deal more effectively with resettlement and rehabilitation issues and determine the rehabilitation packages best suited to local needs in line with this policy. The provisions of the National Rehabilitation & Resettlement Policy, 2007 and the Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Bill, 2007 have also been kept in mind while framing the policy.

While Coal India's basic philosophy for compensating land- losers and other project affected people remains substantially unchanged, the revised policy emphasizes the need to cultivate and maintain good relationships with the people affected by Coal India's projects stating as early as possible. It also underscores that the subsidiaries have responsibility towards the land oustees whole livelihood is often taken away. On the other land, subsidiaries need to project themselves more effectively against unjustified claims, redundant manpower and swelling Wage Bills. To this end, the statement proposes that subsidiaries prepare detailed resettlement and rehabilitation action plans (RAPs) that clearly identify, at an early stage, the entitlements of the people affected by coal projects and enables them to exercise a choice between various options. The concept of Annuity in lieu of compensation / employment is also being introduced to mitigate , if not eliminate the ever dependence of Project Affected Families (PAFs) on CIL for provision of employment.

(1) The revised Resettlement& Rehabilitation Policy, 2012 is based on the deliberations of the inter Ministerial Committee set up vide OM 490191 / 2011 – PRIW -1 dated 01..07.2011 of Ministry of Coal, deliberations of the CMDs meet held on 05.03.2012 at New Delhi and has been approved by the CIL Board in its 279th meeting held on 12thh & 13th March, 2012.

(2) Objectives and general principles of Coal India's Resettlement & Rehabilitation Policy- 2012

A. To re-visit CIL's existing R&R Policy 2008 and evolve a PAP friendly policy by incorporating such provisions of the National Policy and The Draft Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill- 2011 as considered suitable in light of the growing difficulties many subsidiaries face in land acquisition.

B. To accord the highest priority for avoiding or minimizing disturbances of the local population while taking decisions to open new mines or expand existing ones too (exploring alternatives sites and project designs) and to ensure that wherever people are likely to be adversely affected by a project, the subsidiaries will prepare resettlement & rehabilitation action plans for the project.
C. To ensure a humane, participatory, informed consultative and transparent process for land acquisition for coal mining and allied activities with the least disturbances to the owners of the land and other effected families.
D. To provide just & fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired or are affected by such acquisition and make adequate provisions for loss of livelihood of such affected persons including their rehabilitation & resettlements.
E. To ensure that the cumulative outcome of compulsory acquisition should be that the affected persons become partners in development leading to an improvement in their post acquisition social & economic status and matters connected therewith or incidental thereto.
F. Through the preparation of resettlement & rehabilitation action plans, subsidiaries will safeguard that project-affected people improve or at least regain their former standard or living and earning capacity after a reasonable transition period. The transition period is to be kept to a minimum. However until all the actions specified in the rehabilitation plan have been completed.
G. Involuntary resettlement is conceived and executed as a development programme with project-affected people being provided sufficient resources & opportunities to share in a project's benefits. The efforts of subsidiaries are complementary to the Governments scheme in rural development and the concurrence, approvals and support from concerned Government authorities will be sought.
H. In parallel, subsidiaries will work closely with non-government organizations of proven repute which are legally constituted and recognized & also have the confidence of the project-affected people in the preparation& implementation of rehabilitation plans.
I. Corporate Social Responsibility (CSR) : Activities shall be intensified in and around the villages where land is being acquired in accordance with the SCR Policy of Coal India.
J. Actual implementation of R&R package must follow a detailed survey of the project-affected villages to formulate the list of persons / families affected by the project, nature of the affect, the likely loss of income etc. For this purpose, if necessary, the services of a reputed NGO with an impressive record of integrity and performance may be engaged.

3.SCOPE

This Policy may be called 'Rehabilitation & Resettlement Policy of Coal India Limited – 2012 " It extends to the Coal India Limited and its subsidiary companies in India. It shall come into force from the date of its approval of the CIL Board and its applicable to all cases in which land is taken after the date of approval by the CIL Board. While implementing the policy it is to be ensured that the provisions of the concerned Acts applicable and Rules mentioned there under shall not be violated.

4.Definitions –

(a) " **affected family** " means

(i) a family whose primary place of residence or other property or source of livelihood is adversely affected by the acquisition of land (including direct negotiation) for a project or involuntary displacement for any other reasons; or

(ii) any tenure holder, tenant, lessee or owner of other property, who on account of acquisition of land (including plot in the abadi or other property) in the affected area or other wise, has been involuntarily displaced from such land or other property; or

(iii) any agricultural or non-agricultural labourer, landless person (not having homesteads land, agricultural land, or either homestead or agricultural land) rural artisan, small trader or self-employed person, who has been residing or engaged in any trade, business, occupation or vocation continuously for a period of not less than three years preceding the date of declaration of the affected area, and who has been deprived of earning his livelihood or alienated wholly or substantially from the main source of his trade, business, occupation or vocation because of the acquisition of land in the affected area or being involuntarily displaced for any other reason.

(b) "**famil**y" includes a person, his / her spouse, minor sons, dependant daughters, minor brothers, unmarried sisters, father, mother residing with him or her and dependent on him / her for their livelihood; and includes " nuclear family" consisting of a person, his / her spouse and minor children. Provided that where there are no male dependants, the benefit due to a land loser may devolve on dependent daughter nominated by the land loser.

(c) " **land owner** " includes any person –

(i) Whose name is recorded as the owner of the land or part thereof in the records of the concerned authority; or
(ii) Who is entitled to granted Patta rights on the land under any law of the State including assigned lands ; or
(iii) Who has been declared as such by an order or the court or District Collector.

(d)Displaced person - means and includes any person who is deprived of his homestead on account of acquisition. Provided that the person / family who does not ordinarily reside in the homestead land acquired for the project can be termed " Displaced " but he will be eligible for compensation only for homestead and not for livelihood.

(e) Ordinarily resides shall mean residing in the homestead / acquired land for a period more than 6 months every year for at least the preceding 5 years.

5. Socio-economic Survey and preparation of RAP

A baseline socioeconomic survey will be carried out to identify the PAPs who are enlisted to receive benefits in line with Coal India's Resettlement & Rehabilitation Policy. This survey will be conducted within two months of notification under relevant land acquisition acts by the subsidiaries with the help of reputed independent institutional agencies, who are well versed with the social matrix of the area.

The basic objective of the socio-economic study will be to generate baseline data on the social and economic status of the population who are likely to lose their means of livelihood or homestead due to the acquisition of the land for the project. The data base will be used to formulate a viable and practical Rehabilitation Action Plan (RAP) for the affected persons in line with their entitlements. Digital Satellite Maps would also be prepared or the project Area freezing the dwelling units and habitations existing at the time of negotiation for Land Acquisition wherever feasible. The RAP will also address the following –

(A) Implementation, Monitoring & Evaluation, Dispute Mechanism

The rehabilitation action plan will address the following :

i) The project design, including an analysis of alternative designs aimed at avoiding or minimizing resettlement
ii) Socio-economic survey and activities to ensure restoration of incomes of PAPs in line with Coal India's Resettlement & Rehabilitation Policy.
iii) Description of the institutional and other mechanisms for provision of entitlements
iv) Time Table for the acquisition and preparation of the resettlement site(s)
v) The cost and budgets for the resettlement and rehabilitation of PAFs
vi) Project specific arrangements to deal with grievances of PAFs and
vii) Time tables, benchmarks and arrangements for monitoring the resettlement and rehabilitation effort.

The RAP will be formulated in consultation with PAPs and State Governments.

(B) Environment Impact Assessment (EIA) will be conducted as per any law, rule and regulation of the locality in which the land has been acquired.

6. Eligibility Criteria –

(A) Eligibility Criteria for Economic Rehabilitation Benefits

This benefit shall accrue only to Entitled Project Affected Person. Entitled Project Affected Person shall be one from the following categories

(i) Persons from whom land is acquired including tribal cultivating lands under traditional rights.
(ii) Persons whose homestead is acquired.
(iii) Sharecroppers, land lessees tenants and day laborers
(iv) Tribal dependent on forest produce as certified by the District Forest Officer / Revenue Authorities.

(B) Eligibility criteria for Resettlement benefits

1.Only a Displaced family / person shall be eligible for resettlement benefits

2. A family/ person shall be termed displaced and hence eligible benefits if such family person has been a permanent resident and ordinarily residing in the project area on the date of publication of notification u/s 9 of CBA (A&D) Act 1957 / u/s 11 of L.A. Act, 1894/or on the date of the land vested with the State / Central Government as the case may be

and

(a) On account of acquisition of his / her homestead land / structure is displaced from such areas

or

(b) He / she is a homestead less or land less family / person who has been / is required to be displaced.

7. Census & Identification of displaced families

1. Within two months of publication of notice u,/s 4 (1) of the Land acquisition Act, or u/s 7 (1) of CBA (A&D) Act, 1q957 for acquisition of land or the project a census would be undertaken in the manner to be decided by the Collector / Project authority for identification of displaced families and for preparing their socio economic profile and list of eligible persons for the purpose of receiving Rehabilitation & Resettlement Benefits.

2. A photo identify card to each entitled project affected person shall be issued under the signature of the Collector / Propjet Authority concerned indicating the following particulars.

a) Name of the village / GP / PS
b) Name Father's name and address of the head of the family
c) Category of entitlement
d) Whether SC / ST / OBC / General
e) Age, Sex, Educational qualification of the members of the family

8. Types of Compensation and Rehabilitation Entitlement

Option to the land losers regarding Rehabilitation & Resettlement Benefit – The land losers shall have the option for Rehabilitation &Resettlement benefits in accordance with the awards for each affected family in terms of the entitlements passed by the Concerned Collector of the state or as per this Policy with the consent of the concerned collectors.

8.1 Eligibility and compensation

The table below shows the compensation & rehabilitation benefits will be offered by the subsidiaries for each Project Affected Person or family, affected by one of their projects. Evidence to the effect that a person is a legitimate PAP will need to be provided in the form of a written legal document or reference to a record, such as a revenue officer certificate, electoral roll, ration card or school record.

Category of Persons affected by the Project	***Compensation & Rehabilitation entitlement option***
	Provisions
(i) Persons (including tribals cultivating land under traditional rights) from whom land is acquired.	All land owners with titles will receive monetary compensation for the land acquired from them. The value of the land is determined on the basis of prevailing legal norms. *In respect of tribals cultivating land under traditional rights, authentication of land held under traditional rights by State Authorities will be necessary*. In addition to above the following shall apply.

Category of Persons affected by the Project	***Compensation & Rehabilitation entitlement option***
	Provisions
	A).Land compensation-Land compensation shall be paid as per the provisions of the concerned Act or State Government notification. Where no notification of the State Government is available the concerned subsidiary Board may decide on the rate of compensation keeping in view the compensation provided by the neighboring states. Authentication of land held under traditional rights by state authorities will be necessary. In addition to above Solatium will be paid as per provisions of the concerned Act / as imposed by the concerned State

	Government. Escalation of land compensation- Escalation will be paid as per provisions of the concerned Act / as imposed by the concerned State Government or Escalation art the rate of 12% per annum for a maximum period of three years. **(B) Employment provisions**: Apart from payment of the land compensation employment may be given in the following manner **1)**The maximum total number of employments that may be provided to the land losers would be limited to the total numberof acres of land acquired divided by two. However, employments will be released in proportion to the land possessed. **2)**For every two acres of land one employment can be considered. **3)** Subsidiaries of CIL may give an option to the land losers having less than two acres of land to club together their land to the extent of two acres and nominate one of the land losers among the groups or their dependent for employment under package deal or employment under descending order system by preparing the list of eligible land oustees in the descending order of land lost subject to the cut off equivalent to the total number of permissible employments or any other method with the approval of the respective Board of the subsidiary. **4)**The land loser must be a domiciled resident / Mool Niwasi and the certificate to this effect shall be issued by the concerned State Authority. **5)**The modalities for offering employment shall be such as may be approved by the Board of Subsidiary companies as per the unique conditions of the subsidiary provided that: a) The initial employment shall be given with pay of Category-1 pay scale of NCWA with training period of 6 months. b) In the seniority list, the seniority of the appointee shouldbe reflected in appropriate manner in order to keep the senior most as senior. c) The land loser trainees shall be posted as per requirement, including underground duties.

Category of Persons affected by the Project	***Compensation & Rehabilitation entitlement option***

	Provisions
	(**C) Lumpsum Monetary Compensation** 1. All the land losers who are not eligible for employment as above shall be entitled to receive compensation in lieu of employment at the rate of Rs. 5,00,000 /- (Five lakhs) for each acre of land on pro-rata basis. 2. Land losers who are offered employment as per principle specified in point No.(8 (i) B)above will have the option either to opt for employment or to forego employment and opt for monetary compensation at the rate of Rs. 5,00,000/- (five lakhs) for each acre of land on pro-rata basis with minimum of Rs. 50,000 (Fifty thousand) provided that the employment thus surrendered shall not be available for offer to any person and will stand lapsed from the total sanctioned number of employments as specified in point No.(8 (i) B1). 3. The land losers who have clubbed their land in Package Deal can claim employment for only one land loser of the clubbed two acres of land and remaining land losers of the package cannot claim either employment or lump sum monetary compensation in lieu of the land contributed by them. 4. Annuity- All land losers who are entitled to get lump sum monetary compensation may opt for payment of compensation amount in the form of annuity made payable to the land losers monthly, annually or at such intervals (not less than one year) as may be opted for by him. The annuity be paid for a maximum period extending to 60 years of age or the life of the project for which the land has been acquired, whichever is earlier. **Note:***A person receiving a job forgoes all claims to above compensation and a person receiving above compensation forgoes all claims to employments.*
(ii) Person whose homestead is acquired	I. Compensation for homestead shall be paid as the standard valuation method of the LA Act of the concerned state Government. II. One time lump sum payment of Rs. 3,00,000/- (three lakhs) shall be paid in lieu of alternate House site. Assistance in designing shifting allowance for construction of cattle shed. Monetary compensation for construction of work shed etc. . The compensation shall be paid to displaced persons only after vacation and demolition of the homestead / work shed etc.

	III. Subsistence allowance : Each affected displaced family will get subsistence allowance at the rate of 25 days (minimum agricultural wage) per month for one year.

Category of Persons affected by the Project	***Compensation & Rehabilitation entitlement option***
	Provisions
(iii)Sharecroppers land lessees, tenants and day labourers	The subsidiary will assist PAP to take up non farm self employment through petty contracts or formation of co-operatives if such co-operatives will not be entitled for awarding work as per manual for lack of experience the said co-operative will be facilitated by awarding small jobs to acquire experience after relaxation of the Subsidiary Boards. Manual pertaining to experience after getting report of the timely completion/ quality / of the awarded jobs from the concerned Department or contractors. Contractors will also be persuaded to give job to eligible PAPs on a prudential basis, where feasible as per terms of contract.
(iv) Landless tribals.Tribal dependent on forest produce.	The subsidiary will assist PAP to establish non farm self employment through the provision of infrastructure petty contracts or formation of co-operatives and encourage provisions of jobs with contractors. Contractors will be persuaded to give jobs to eligible PAPs on preferential basis where feasible. - In addition the subsidiaries will shift the tribal community as a unit and provide facilities to meet the specific needs of the tribal community that will allow them to maintain their unique cultural identity. - Tribal affected family will be given one time financial assistance of 500 days of MAW for loss of customary right or usages of forest produce. Loss of customary rights needs to be authenticated by the district authority. - Tribal affected families resettled out of the district shall be given 25% higher rehabilitation and resettlement benefit.

9. Resettlement & Rehabilitation Committee – A committee will be constituted at project level under the chairmanship of the Collector to be called the Rehabilitation and Resettlement Committee with the following objectives to monitor and review the progress of implementation of the Rehabilitation and Resettlement scheme and to carry out post implementation social audits in consultation with the village pachyat in rural areas and municipality in urban areas in the manner will be decided by the concerned State Government.

I. To approve the list of land losers and other PAPs;
II. To approve the list of persons eligible to be offered employment as per R&R Policy.
III. To approve the detailed Rehabilitation Plan for the project in consultation with the displaced persons and Gram Sabhas.
IV. To expedite issue of domicile certificates and other necessary documentation required for State Authorities.
V. To monitor and review the progress of the Rehabilitation Scheme grant of benefits and handing over of possession of land in a smooth manner.
VI. To facilitate the land acquisition process in any other manner as may be required including resolution of disputes.
VII. To carry out post implementation social audit in consultation with the authorities.

10. Community facilities – The subsidiary will provide at the resettlement site a school, road with street light, pucca drain, pond, dug well and or tube well for drinking water supply, community center, place of worship, dispensary, grazing land for cattle and play ground. Similar infrastructural facility, if necessary will be extended to the host locality. The community facilities & services would be available to all residents of the area, including PAPs and the host population.

The approach for operation of community facilities would be flexible and all efforts will be made to involve the State & local self Government / Panchayat for operating the facilities. To achieve this subsidiaries will pursue with these agencies to ensure the same. The planning of the community facilities and their construction should be undertaken in consultation with the affected community.

11. Corporate Social Responsibilities – This should be as per Company's Corporate Social Responsibility (CSR) Policy.

12. Monitoring and Evaluation Mechanism –

This RAP will be monitored and evaluated periodically after the completion of the land acquisition process.

I. The resettlement and rehabilitation activities are the responsibility of a separate group both at the project and corporate level, which will be constituted for planning, implementation, monitoring and evaluation of the Rehabilitation Action plan. At the corporate level the group will be headed by a senior manager, whereas at the project an executive of the rank of manager will head the group. The project group should have at least one member with social science qualification / experience and skills.

II. The project will closely interact with the State authorities during the implementation of the RAP. Although the subsidiaries will develop the plots ands infrastructural facilities in the resettlement colony &actively implement the RAP assistance of State Authorities will be taken for administrative services such as allotment of land, implementation will be planned , monitored and corrective measures will be incorporated in the RAP, if needed. In addition to the State Government the PAPs the village leaders including the Pradhans and NGOS will be consulted and associated with the implementation of the RAP.

III. The resettlement and rehabilitation cell at the corporate level will evaluate the implementation of the RAPP after its completion.

13. Flexibility to the Subsidiary Companies – The subsidiary companies boards have been authorized to approve necessary modifications in the R&R Policy with reference to unique conditions at the concerned subsidiaries as the policy is not exhaustive.

अनुबंध -चार

Coal India Limited

A Maharatna Company

Annuity Scheme, CIL, 2020

(In Lieu of Direct Employment or One-Time Monetary Compensation Against Land)

प्रमोद अग्रवाल
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
Pramod Agrawal
Chairman-Cum-Managing Director

कोल इण्डिया लिमिटेड
COAL INDIA LIMITED
(A MAHARATNA COMPANY)
A Govt. of India Enterprise
"COAL BHAWAN"
Premises No. 04 MAR, Plot No. AF-III
Action Area-1A, New Town, Rajarhat
Kolkata-700 156

2 September, 2020

Foreword

Land is a major resource for any mining project. One of the major challenges of the coal industry is land acquisition and its physical possession. As a natural corollary, rehabilitation and resettlement of villages pose its own challenge.

Coal India Limited and it subsidiary companies spread across eight states of the country, amidst the challenges, are meeting the energy requirement of the country with admirable tenacity.

Coal India believes in mining with a human face and over the years has gained and garnered the confidence and goodwill of the project affected persons (PAPs) with its philosophy of inclusive growth and progressive rehabilitation policies.

Coal India is a socially responsible and responsive company. The company is conscious of the need to protect the regular source of income the small landowners earn out of the land they part with for coal mining operations.

'CIL's Annuity Scheme 2020' is an attempt to strike a judicious balance between meeting the organisation's business goals and ensuring a sustainable source of income to PAPs.

Pramod Agrawal

Ph. : Off. : (033) 2324 6611/2324 6622, Fax : (033) 2324 4023 ▪ Email : chairman.cil@coalindia.in ▪ Website : www.coalindia.in

विनय दयाल
निदेशक (तकनीकी)
Binay Dayal
Director(Technical)

कोल इंडिया लिमिटेड
Coal India Limited
(A Government of India Enterprise)
A Maharatna PSU
Premises No. 04 MAR, Plot No. AF-III,
Action Area 1A, New Town,
Rajarhat, Kolkata-700156
Phone: 033 23244024, Fax: 033 3244082
E-mail: dt.cil@coalindia.in
Website: www.coalindia.in

2nd September, 2020

Foreword

With an objective to ensure energy security and curb import bills of the nation, CIL has envisaged to produce 1 Billion Tonne of coal by FY 2024 with participation of all stakeholders.

Land being key resource to coal mining, has vital role to play in meeting above objectives. Taking physical possession of tenancy land is one of the most challenging aspect in operationalization of any coal mining project across the subsidiaries of CIL.

Since inception, Coal India is working on basic philosophy of providing fair compensation to the affected families and making adequate provisions for safeguarding their sustainable income. For small landholding affected families, greater emphasis need to be given for their sustainable income.

Considering the paramount importance of these aspects, concept of alternative option like annuity was also emerged during the Chintan Shivir organised by Ministry of Coal on 17th & 18th February 2020 at Kevadia (Gujarat).

CIL's Annuity Scheme 2020 against land is an endeavor to afford a consistent source of earnings to its PAPs while taking care of organizational priorities at the same time.

I take this opportunity to appreciate the efforts put in by Shri A N Goswami, Chief Manager (Mining), Project Monitoring Division, CIL in framing this Scheme.

Binay Dayal

Coal India Limited
A MAHARATNA COMPANY
Coal Bhawan, 3rd Floor, Core - 2
New Town, Rajarhat,Kolkata- 700 156.
PHONE: 033-2324-6526, FAX:033-2324-6510
Email – mviswanathan2.cil@coalindia.in
WEBSITE:www.coalindia.in
CIN – L23109WB1973GOI028844

Ref No.CIL:XI(D):04112:2020: 25582 Dated 2nd Sept.'2020

To
GM (PMD),
Coal India Limited,
3rd Floor, New Town,
Rajarhat, Kolkata - 700 156.

Sub: Minutes of 409th CIL Board Meeting held on 25th August'2020.

Dear Sir,

Reproduced below is the relevant extracts from the minutes of 409th meeting of Board of Directors of Coal India Limited held on 25th Aug.'2020 at Kolkata with regard to the following item:

"ITEM NO.409.4 (B)

Sub: CIL Annuity Scheme, 2020 in lieu of direct employment or one-time monetary compensation against land.

4.2 Director (Technical) apprised the Board that CIL Subsidiaries were providing employment against land acquired for coal mining projects as per CIL R&R Policy and prevalent State Laws. In order to maintain the profitability of the projects, Subsidiaries are opting for outsourcing of projects which result in reduction in employment opportunity in projects for unskilled workers. Therefore, the scope for providing employment to unskilled project affected persons against land acquired had reduced. To address this issue, it was suggested in a review meeting held on 16th March'20 to explore a suitable alternative mode of land acquisition or to formulate an alternative to employment like annuity. Annuity is an alternative method in lieu of providing employment or one-time monetary compensation in lieu of employment as well as maintaining sustainable cash flow to affected families. This also reduces the overall cost to the company by way of reduction in wage cost. He further apprised the salient features of the scheme as under :-

a) The Annuity Scheme shall be implemented as an option in lieu of employment claim by the eligible affected family against land acquisition and annuity to be provided as per RFCTLARR Act 2013 to all the affected families. All such entitled Affected Family shall opt for annuity and forgo the job benefit or one-time monetary compensation in lieu of employment against acquired land by entering into an agreement with project authority.

b) For land owner, Annuity will be at the rate of Rs 150/- per decimal of land lost in lieu of employment to a minimum of Rs. 2000/- per month subject to a maximum of Rs

30000/- per month for the period of thirty years or life of project whichever is higher with 1 % incremental growth on every year on total annuity or Annual indexation to the Consumer Price Index for Agricultural Labourers over Rs.2000/- whichever is higher.

Or,

An affected family whose land or other immovable property has been acquired & possessed by the company and become eligible for employment as per respective State Policy and opt for annuity in lieu of employment or one-time monetary compensation will get Rs 30000/- per month for the period of Thirty years or life of project whichever is higher with incremental growth as mentioned above.

c) An affected family may be a non-title holder whose primary source of livelihood was dependant on the land acquired for more than three years prior to the date of acquisition will get Rs 2000/ - per month upto life of the project or 20 years whichever is higher with appropriate indexation to the Consumer Price Index for Agricultural Labourers. and

d) Subsidiary Board may be authorised to modify the increment provision of Annuity in view of financial viability and prevailing unique condition of the project provided such modification is not in conflict with prevailing Central/State Law or rules.

This was discussed in CMDs Meet held on 10th July'2020, they had agreed to the scheme and suggested minor modification. After incorporating the modification, the same is placed to the Board for its consideration.

To a another query, D(T) clarified that this is an enabling provision in lieu of providing employment against land acquisition and depending on the observations/suggestion to be received, if required, the scheme would be modified in future.

In view of the above, Board accorded its approval to CIL Annuity Scheme, 2020 in lieu of direct employment or one-time monetary compensation against land as brought out in the agenda note."

This is for your information and to take necessary action please.

Yours faithfully,

3/9/20

(M.Viswanathan)
Company Secretary

A.Circumstantial:

Keeping in view the need for more efficient and cost competitive the coal companies are moving towards outsourcing mode instead of departmental mode of operation. This would result in reduction in employment opportunity in the company. Further, in most of the cases of land acquisition, the demand for employment exceeds the employment opportunity available in the mine/ project. As such, the possibilities of providing employment to the land oustees are becoming difficult for the company.

Annuity may be a responsive alternate method in lieu of providing employment as well as maintaining sustainable resource of livelihood to the affected families.

B.Scope:

This annuity scheme shall be implemented in lieu of employment claim by the eligible affected family against land acquisition. All such entitled Affected Family shall opt for annuity and forgo the job benefit or one time monetary compensation in lieu of employment against acquired land by entering into an agreement with project authority.

C.Legal obligation about Annuity:

As per Second Schedule {See Sections 31(1), 38(1) & 105(3)} of the Right To Fair Compensation And Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act 2013);

Quote :

"The appropriate Government shall ensure that the affected families are provided with the following options:

(a) where jobs are created through the project, after providing suitable training and skill development in the required field, make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being in force, to at least one

member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required; or

(b) onetime payment of five lakhs rupees per affected family; or

(c) Annuity policies that shall pay not less than two thousand rupees per month per family for twenty years, with appropriate indexation to the CPI for Agricultural Labourers'."

Unquote

Therefore, annuity is a legally tenable alternative option in lieu of employment against acquired land.

D.Entitlements for Annuity;

The following category of beneficiaries may opt for Annuity in lieu of Job/ Employment or one time monetary compensation:

I.All land owner whose land is acquired will be eligible for compensation for land as specified in the First schedule of RFCTLARR Act, 2013 or, determined as per the clarification given by MoC vide letter No. 43020/25/2015-PRIW-I dt.04-08-2017 and Letter No.43020/25/2015-PRIW-I dt. 30-03-2018 respectively or, Negotiated Land Value in case of Direct purchase of land whichever is applicable.

II.An affected family whose land or other immovable property has been acquired & possessed by the company and eligible for employment as per respective State Policy.

III.An affected family, may be a non-title holder, whose primary source of livelihood was dependent on the land acquired for more than three years prior to the date of acquisition and stand affected by the acquisition of land, as certified by the State Government authorities.

IV. The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognized under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 due to acquisition of land as authenticated by the District Authority of the concerned State Government.

E.Benefits to be provided:

Category	Annuity
I.All land owner whose land is acquired will be eligible for compensation for land as specified in the First schedule of RFCTLARR Act, 2013 or, determined as per the clarification given by MoC vide letter No. 43020/25/2015-PRIW-I dt.04-08-2017 and Letter No.43020/25/2015-PRIW-I dt. 30-03-2018 respectively or, Negotiated Land Value in case of Direct purchase of land whichever is applicable**.** **Or,** II.An affected family whose land or other immovable property has been acquired & possessed by the company and eligible for employment as per respective State Policy.	Land compensation as per First Schedule of RFCTLARR Act 2013 in case of land acquired under CBA (A&D) Act or, determined as per the clarification given by MoC vide letter No. 43020/25/2015-PRIW-I dt.04-08-2017 and Letter No.43020/25/2015-PRIW-I dt. 30-03-2018 respectively or, Negotiated Land Value in case of Direct purchase of land whichever is applicable. Plus (+) Annuity at the rate of Rs 150/- per decimal of land lost in lieu of Employment subject to minimum Rs. 2000/- per month and maximum of Rs 30000/- per month for the period of Thirty years or life of project whichever is higher with 1 % incremental growth on every year on total annuity or Annual indexation to the Consumer Price Index for Agricultural Labourers over Rs.2000.00/- whichever is higher. Or, An affected family whose land or other immovable property has been acquired & possessed by the company and become eligible for employment as per respective State Policy and opt for annuity in lieu of employment or one time monetary compensation will get Rs 30000/- per month for the period of Thirty years or life of project whichever is higher with incremental growth as mentioned above. In case of death of land owner the annuity may be paid to his/her successor/ nominee for the rest period or equally distributed amongst all the successors. Modalities of distribution of annuity amount in case of death of land owner may be determined by the respective Subsidiary Board.

Category	Annuity
III. An affected family may be a non-title holder, whose primary source of livelihood was dependent on the land acquired for more than three years prior to the date of acquisition i.e. date of notification u/s 9 (1) of CBA (A&D) Act 1957 and stand affected by the acquisition of land, as certified by the State Government authorities**.**	Not less than Rs 2000/ - per month upto life of the project or 20 years whichever is higher with appropriate indexation to the Consumer Price Index for Agricultural Labourers.
IV. The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognized under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 due to acquisition of land as authenticated by the District Authority of the concerned State Government**.**	

Note:

All above entitled Affected Family shall have to opt for annuity and forgo the benefit of job/ employment by entering into an agreement with project authority.

Additional Benefits:

Respective Subsidiary Board may consider the following additional benefits to the Affected Families who opt annuity in lieu of employment keeping in view the financial viability of the project:

a) Imparting skilled development training or cost of such training.

b) Group insurance benefits.

c) Group Mediclaim benefits.

d) Special additional incentive to those who opt for and give possession of their land (including home stead land) within one month from the announcement of project specific annuity scheme under this Scheme.

Flexibility:

Subsidiary Board is authorized to modify the increment provision of Annuity in view of financial viability and prevailing unique condition of the project, provided such modification is not in conflict with prevailing Central/State Law or rules.

In case of any circular/guideline issued by Central/State Government regarding annuity in lieu of employment or one time monetary compensation the same would be effective from the date of issue and it will have an overwriting effect on the Annuity Scheme.

Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
24600200

फैक्स / Fax : 24651186

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023

सं. / No. 98/DSP/09/461535

दिनांक / Dated 24th Sept., 2020

Circular No. 12/09/20

Sub: Action on anonymous/pseudonymous complaints.

Ref. (i) DoPT's OM No.104/76/2011-AVD.I dated 18/10/2013 & 18/06/2014.

(ii) Commission's Circular No.07/11/2014 dated 25/11/2014.

Attention is invited to the DoPT's OM and the Commission's Circular mentioned above wherein it was prescribed that 'no action would be taken on anonymous/pseudonymous complaints' by Ministries/Departments/Organisations and such complaints should be filed.

2. The Commission has observed instances wherein some Departments/Organisations are taking cognizance of anonymous complaints, despite strict guidelines issued by DoPT and the CVC. Such non-compliance/violation of guidelines by the concerned authorities would be viewed seriously.

3. All CVOs/Administrative Authorities should ensure strict compliance to the above instructions.

(J. Vinod Kumar)
Director

To:

All Secretaries of Ministries / Departments of GoI /CMDs/Chief Executives/Heads/CEOs of CPSEs / PSBs / PSICs / FIs / Autonomous Organisations, etc.

All Chief Vigilance Officers of Ministries/Departments/CPSEs/PSBs/PSICs/FIs/ Autonomous Organisations, etc.

परिशिष्ट - एक

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(2021-2022) की उन्नीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1515 बजे तक कमरा सं. '147', तृतीय तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
6. श्री जनार्दन मिश्र
7. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

10. श्री के.सी. राममूर्ति
11. श्री एम. शनमुगम

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी - अपर सचिव
2. श्री जी.सी. प्रसाद - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया जिसका आयोजन निम्नलिखित चार प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार करने और स्वीकार करने हेतु किया गया है:-

(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।

(ii) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।

(iii) भारतीय खाद्य निगम से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।

(iv) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।

3. तत्पश्चात समिति ने उपर्युक्त प्रतिवेदनों पर एक-एक करके विचार किया और बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया । तदुपरांत समिति ने उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया ।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

परिशिष्ट-दो

(प्राक्कथन का पैरा 4 देखें)

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के विषय के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

एक. सिफारिशों की कुल संख्या	33
दो. टिप्पणियां/ सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है [पैरा सं. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 15.1, 16.1, 16.2, 18.1, 19.1, 20.1, 20.2, 21.1; 21.2, 21.2, 21.3, और 21.4]	27
कुल का प्रतिशतः	81.82
तीन. टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है पैरा क्रम सं. [10.2, 14.1 और 17.1]	3
कुल का प्रतिशत:	9.09
चार. टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति ने स्वीकार नहीं किए हैं [पैरा क्रम सं. 2.3, 2.4 और 10.3]	03
कुल का प्रतिशतः	9.09
पांच. टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार ने अन्तरिम उत्तर भेजे हैं	शून्य
कुल का प्रतिशतः	शून्य